रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 14—जुलाई 20, 2007 (आषाढ़ 23, 1929)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 14—JULY 20, 2007 (ASADHA 23, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 687

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 639

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1123

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं........ *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)....... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 3253

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिज़ाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 507

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 10135

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 529

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 687

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 639

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1123

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 3253

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 507

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 10135

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 529

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं0 100-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. पुरुषोत्तम मानभाई (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   ड्राईवर पुलिस कांस्टेबल
2. गंगाधर जगन्नाथ पाटिल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
   नि:शस्त्र पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

उल्लिखित पुलिस कांस्टेबल 4 नवम्बर, 2005 की रात को पुलिस इंस्पेक्टर, धबोई शहर श्री एस जे पाटिल के नेतृत्व में पुलिस जीप, धबोई-1-मोबाइल में धबोई पुलिस स्टेशन के शहरी क्षेत्र में रात्रि गश्त की ड्यूटी पर गए हुए थे। उन्होंने वहां पूरी रात गश्त की और प्रात: 4.30 बजे उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को सरकारी विश्रामगृह स्थित उनके आवास पर उतारा तथा वे स्वयं पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। लौटते समय, वाहन की हैडलाइट के प्रकाश में उन्होंने रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति को देखा जो दो बड़े और भारी बैग अपने हाथ में लिए हुए था। उसकी गतिविधि संदेहजनक लग रही थी इसलिए, उन्होंने उसकी जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने वाहन को रोका और संदिग्ध व्यक्ति को वहीं रुकने के लिए कहा। इसके पश्चात् पुलिस कांस्टेबल स्व. गंगाधर पाटिल अपने वाहन से उतरे और संदिग्ध व्यक्ति के एक बैग की जांच की। उसी समय संदिग्ध व्यक्ति के दूसरे बैग से मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही पुलिस कांस्टेबल पुरुषोत्तम मानभाई वाहन में से ड्राईवर की सीट की ओर से उतरे और जांच में सहायता करने के लिए दूसरी ओर से पहुँच गए। उन्होंने उस बैग को खोला जिसमें से घंटी बजने की आवाज आ रही थी। वाहन की हैड लाइट के प्रकाश में उन्होंने देखा कि बैग में एक मोबाइल फोन और हैंडसैट तथा अन्य संदिग्ध वस्तुएं रखी हैं। तुरंत ही उन्होंने वाहन में बैठे सहायक उप-निरीक्षक गलियाभाई को जोर से पुकारा। उस समय तक

संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल स्व. गंगाधर पाटिल पर चाकू से हमला कर दिया था जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। यह देखकर पुलिस कांस्टेबल पुरुषोत्तम मानभाई अपराधी को पकड़ने गए। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसे काबू कर लिया किन्तु संदिग्ध व्यक्ति ने उन पर भी हमला किया और उनके सीने पर बाईं ओर तेज धार हथियार का वार किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और संदिग्ध व्यक्ति उनकी पकड़ से छूट कर घटनास्थल के समीप स्थित एक तालाब में कूद गया। सहा. उप-निरीक्षक गलियाभाई उस संदिग्ध व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे तभी उन्हें ड्राईवर पुलिस कांस्टेबल पुरुषोत्तम दास ने रोका जो चोटों के कारण अचेत होते जा रहे थे। पुलिस कांस्टेबल गंगाधर पाटिल भी अचेत पड़े थे। ड्राईवर पुलिस कांस्टेबल पुरुषोत्तम भाई ने अचेत होने से पहले अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने वायरलैस के माध्यम से नियंत्रण कक्ष तथा सम्पूर्ण ग्रुप से सम्पर्क स्थापित किया और घटना की जानकारी प्रसारित कर दी। इसके पश्चात सहा. उप-निरीक्षक सहायता के लिए घटनास्थल के नजदीक की एक सोसायटी में गए और स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने दोनों कांस्टेबलों को प्रमुख स्वामी अस्पताल, धबोई भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल पुलिस कर्मियों को एस एस जी अस्पताल बड़ौदरा भेज दिया गया जहां पुलिस कांस्टेबल गंगाधर पाटिल को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ड्राईवर पुलिस कांस्टेबल पुरुषोत्तम भाई का आप्रेशन किया गया और उन्हें कई सप्ताह तक गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। सौभाग्यवश उनकी जान बच गई। घटना वाले दिन पुलिस स्टेशन में संगत शिकायत दर्ज की गई। इन दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा बरामद किए गए मुद्दामाल की पहचान उसके स्वामी ने कर ली जिसकी कीमत 5,30,760 रु. थी। इन दोनों पुलिस कर्मियों ने अपराध नियंत्रण के हित में अत्यन्त साहस और तत्परता से कार्य किया। पेशेवर जोखिम और अत्यन्त खतरा उनकी पहल और कर्त्तव्यनिष्ठा के आड़े नहीं आए। जन-संपत्ति को बचाने में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनमें से एक ने अपने कर्त्तव्य की बेदी पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पुरुषोत्तम मानभाई, ड्राईवर पुलिस कांस्टेबल और (स्व.) गंगाधर जगन्नाथ पाटिल, निःशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 101-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी आर शान, पुलिस उपाधीक्षक
2. संदीप कुमार, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12.02.2005 को 0800 बजे सूरनकोट के पुलिस उपाधीक्षक को हरि में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विश्वस्त सूचना मिली। इस संबंध में 45 आर आर के साथ समन्वय करके सूरनकोट के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस का एक संयुक्त अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान हरि निवासी गुलजार हुसैन गुज्जर की विधवा मु. जीनत नूर के घर में तीन उग्रवादियों की मौजूदगी का पता लगा। आतंकवादियों को समर्पण करने के लिए कहा गया किन्तु आतंकवादियों ने चेतावनी की परवाह न करते हुए उक्त महिला और शराज अहमद नामक उसके अवयस्क पुत्र को बंधक बना लिया। जिस समय आतंकवादियों के साथ समर्पण करने के लिए बातचीत की जा रही थी उसी समय 1500 बजे आतंकवादियों ने पुलिस बल पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी का जवाब दिया गया किन्तु उस स्थिति में बंधक बने सिविलियन लोगों की जान जाने की आशंका थी। इसलिए सूरनकोट के पुलिस उपाधीक्षक ने सेना के प्राधिकारियों और अपने पुलिसकर्मियों से गोलीबारी रोकने के लिए कहा। कांस्टेबल संदीप कुमार अश्रुगैस के उपकरण लेकर आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाकर रखे गए कमरे की खिड़की के नजदीक गए। वहां जैसे ही अश्रुगैस का गोला फेंका गया, आतंकवादियों के समक्ष अंधेरा छा गया, और वे परस्पर एक-दूसरे के साथ सट गए। इसी बीच, सूरनकोट के पुलिस उपाधीक्षक और उनके अंग-रक्षक संदीप कुमार द्वारा अपनी जान को जोखिम में डाल कर बंधकों को छुड़ा लिया गया। बंधकों को सुरक्षित रूप से छुड़ा लेने के पश्चात आतंकवादी लगभग एक घंटे तक गोलीबारी करते रहे। तभी अचानक तीनों आतंकवादी घर से बाहर निकलकर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। एक आतंकवादी जैसे ही आगे आया उसे सूरनकोट के पुलिस उपाधीक्षक और उनके अंगरक्षक संदीप कुमार द्वारा गोली से घटनास्थल पर ही मार डाला गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान गुजरावालान पाकिस्तान निवासी, लश्करे तोएबा गुट के जबीर शाहीन कोड अबु कासिम के रूप में हुई। इस मुठभेड़ में मारे गए अन्य दोनों आतंकवादियों की पहचान पाक निवासी लश्करे तोएबा गुट के मोहम्मद इकबाल उर्फ उस्मान इकबाल और एच एम गुट (स्थानीय) के कोड नाम सकिन्दर के रूप में हुई। लश्करे तोएबा गुट के मारे गए आतंकवादी अबु कासिम और अबु उस्मान (एफ एम) क्रमशः वर्ष 2000 और 2003 से पुंछ जिले में सक्रिय थे और अनेक आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। अबू कासिम अपने गुट सहित सूरनकोट पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी संख्या 159/03, धारा 302/120-बी/आर पी जी के उस मामले में भी संलिप्त थे जिनमें बफलियाज निवासी मोहम्मद इकबाल की पत्नी मु. मुमताज बेगम और सरवर

खान की पत्नी मु. फरोज कौसर के सिर कलम कर दिए गए थे। उनसे निम्नलिखित असबाब की बरामदगी की गई:-

(i)	राईफल ए के-47	03
(ii)	मैग्जीन ए के-47	09
(iii)	गोलाबारुद ए के-47	201 चक्र
(iv)	हैंड ग्रेनेड	01
(v)	रेडियो सैट-I-कोम.	02

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी आर शान, पुलिस उपाधीक्षक और संदीप कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं॰ 102-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. नीतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक
2. गुलाब खान, हैड कांस्टेबल
3. गुलाम रसूल, चयन ग्रेड, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 22.4.2005 को हंदवाड़ा के बकियाकर गांव में कुछ विदेशी उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वस्त स्रोतों से मिली विशिष्ट आसूचना के आधार पर हंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश कुमार, आई पी एस की सम्पूर्ण कमान के अन्तर्गत सेना सहित पुलिस हंदवाड़ा द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया। जब क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही थी तो आतंकवादियों ने एक मकान में अपनी तैनाती कर ली। घर-घर की तलाशी शुरु किए जाते ही तलाशी दल पर एक मकान से भारी गोलीबारी की गई। गोलीबारी होते देखकर तलाशी दल ने सुरक्षा लेकर आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी के दौरान यह पता चला कि कुल मिलाकर पांच आतंकवादी हैं जो एक मकान में छिप गए हैं तथा उन्होंने कुछ सिविलियनों को बंधक बना लिया है, इससे वहां अभियान चलाना कुछ कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में तत्काल किया जाने वाला कार्य था उन आतंकवादियों की पकड़ से सिविलियनों को छुड़ाना। मकानों में बंधक सिविलियनों को छुड़ाने के बचाव अभियान में दो दल बनाए गए - एक दल श्री नीतिश कुमार, आई पी एस (हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन) की कमान और नेतृत्व में तथा दूसरा बचाव दल 21 आर आर सेना के मेजर जी एस गिल के नेतृत्व में बनाया गया। दोनों बचाव दल, सुरक्षा गोलीबारी के अधीन साहसपूर्ण तरीके से उस मकान में घुसे (पीछे की ओर से) जिसमें आतंकवादियों ने सिविलियनों को बंधक बना रखा था। संपूर्ण बचाव अभियान के दौरान दुर्दांत आतंकवादी बचाव दल पर लगातार गोलीबारी करते रहे। तथापि पूरी सावधानी और समझदारी से सभी सिविलियनों को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया गया। चूंकि उस समय तक अंधेरा हो चला था और विगत के अनुभव से यह संभव मानते हुए कि छिपे हुए आतंकवादी इस अभियान में न केवल अपना रणनीतिक पलड़ा भारी कर सकते हैं बल्कि सुरक्षा बलों का ध्यान बंटाने के लिए सम्पूर्ण गांव में आग लगा सकते हैं, आतंकवादियों का समर्पण कराने अथवा उन्हें मार गिराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। इस अंतिम चुनौती को पूरा करने के लिए पुलिस और सेना के दो हमलावर दल बनाए गए। इन हमलावरों का लक्ष्य यथासंभव अल्पतम अवधि में आतंकवादियों को गिरफ्तार करना या उन्हें मार गिराना निश्चित किया गया। पुलिस हमलावर दल का नेतृत्व श्री नीतिश कुमार, आई पी एस (एस पी हंदवाड़ा), हैड कां. गुलाम खान सं. 375/एच और सार्जे. गुलाम रसूल सं. 384/एच तथा अन्य अधिकारियों के साथ कर रहे थे। सेना के हमलावर दल का नेतृत्व मेजर जी एस गिल कर रहे थे। इन दोनों हमलावर दलों के पास परस्पर संपर्क के लिए वायरलैस सैट मौजूद थे। पूरी तरह से समन्वय बनाए रखकर दोनों हमलावर दल आतंकवादियों की मौजूदगी वाले मकान के बिल्कुल निकट तक पहुँच गए। हमलावर दल गतिमान स्टील बंकर की सहायता से लक्षित मकानों के पास तक पहुँच गए।

हालांकि वे उस समय आतंकवादियों को वहीं बने रहने देने के लिए सुसंगत तरीके से गोलीबारी करते रहे और हथगोले फेंकते रहे जबकि आतंकवादी हमलावर दल पर धूंआधार गोलाबारी करते रहे। दोनों ही दल अदम्य साहस के साथ तथा विवेक खोए बिना मकानों में प्रवेश कर गए। गोलीबारी को रणनीतिक रूप से नियंत्रण में रखते और घेराबंदी को सख्त करने के लगातार प्रयासों से वे आतंकवादियों को एक कमरे में समेटने में कामयाब हो गए। कुछ समय के पश्चात् आतंकवादियों ने हिम्मत हारनी शुरु कर दी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए संयुक्त हमलावर दलों ने अंत में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, उच्च पेशेवरता का परिचय देते हुए हमला बोल दिया और आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया, बाद में जिनकी पहचान निम्न रूप में हुई :-

1. अबु दुजाना उर्फ जी-2, निवासी पाकिस्तान (लश्करे तोएबा गुट का डिविजनल कमांडर)
2. अबु हेंजुला उर्फ जी-8, निवासी पाकिस्तान (लश्करे तोएबा)
3. अबु वसीम उर्फ जी-9, निवासी पाकिस्तान (लश्करे तोएबा)
4. छोटा उमर, निवासी पाकिस्तान (लश्करे तोएबा)
5. अबु इसरार, निवासी पाकिस्तान (लश्करे तोएबा)

इस मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के पास मौजूद विस्फोटकों में आग लग गई और उनके छिपने का स्थान पूरी तरह से जल गया। इसके परिणामस्वरूप वहां से बरामद आतंकवादियों के शव बुरी तरह से विकृत हो चुके थे। मृतक आतंकवादियों के पास से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के 47	04
2.	ए के 56	01
3.	ए के मैग.	14
4.	रेडियो सैट	05
5.	ग्रेनेड के खोल	10
6.	यू बी जी एल	02

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री नीतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक, गुलाब खान, हैड कांस्टेबल और फुलाग रसूल, चयन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 103-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री जाहिद नसीम मन्हास
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.01.2006 को एक विशिष्ट सूचना के आधार पर कि लश्करे तोएबा के भारी गोलाबारूद से लैस 6-7 आतंकवादी 27/28 जनवरी 2006 की मध्यरात्रि को सालोत्तरी सीमा से हमारी सीमा में घुसपैठ करने वाले हैं, एस पी मुख्यालय पुंछ और डिप्टी एस पी (अप्रे.) पुंछ तथा कमांडो ग्रुप की नफरी एवं पी/एस. एस पी मुख्यालय, पुंछ के पर्यवेक्षण में लक्षित क्षेत्र की ओर गए और उन्होंने इस की सूचना सी ओ 10 सिख - एल आई को दी। तदनुसार एक अभियान की योजना बनाई गई और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस कर्मियों और सेना नफरी का एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया गया। नफरी को चार कालमों में विभक्त किया गया और स्थानीय निवासी होने तथा क्षेत्र के भू-भाग से परिचित होने के कारण पुलिस कर्मियों ने लक्षित क्षेत्र में टूपों का नेतृत्व किया। ए एस आई मुश्ताक हुसैन के नेतृत्व वाले तथा मंजूर हुसैन 14/एस पी ओ के नेतृत्व वाले दोनों कालमों को यह कहा गया कि वे स्वयं को झाड़ियों में छिपा लें और ए एन ई की गतिविधियों पर नजर रखें। श्री जैड एन मन्हास, एस पी मुख्यालय पुंछ के नेतृत्व वाला अन्य कालम और श्री संजय सिंह राना, उपाधीक्षक (अप्रे.) पुंछ के नेतृत्व वाला कालम भागते आतंकवादियों को मारने अथवा अवरुद्ध करने के लिए भागने के मार्गों को बंद करने के लिए आगे की ओर गया। लगभग 0200 बजे, छिपे बैठे टूपों ने बाड़ के पास 6/7 सशस्त्र आतंकवादियों की हलचल महसूस की। आत्मसमर्पण के लिए चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने घात लगाए बैठे दल पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दीं और वे वहां से भागने लगे। सतर्क टूपों ने उनकी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पहले से लिए गए निर्णय के अनुरूप बचकर भागने के मार्ग को अविलंब अवरुद्ध कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच परस्पर 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस परस्पर गोलीबारी में लश्करे तोएबा के छः आतंकवादी मारे गए। श्री जैड एन मन्हास, एस पी पुंछ एक-एक करके दो आतंकवादियों को मारने में सफल रहे। एस पी मुख्यालय ने न केवल अत्यन्त सावधानीपूर्वक अभियान चलाया अपितु भागते हुए आतंकवादियों को मार गिराने में अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। वहां से सेटेलाइट फोन, रेडियो सैट सहित भारी मात्रा में सशस्त्रास्त्र बरामद किए गए। इस मुठभेड़ के दौरान एक मेजर और एक एन सी ई हवलदार ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाद में 29.3.2006 को की गई तलाशी के दौरान सातवें आतंकवादी की लाश बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री जहीद नसीम मन्हास, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 104-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद अय्यूब
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 7.3.2006 को, शेखपुरा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पी/एम अचबाल द्वारा दी गई और स्थानीय सेना यूनिट द्वारा संपुष्ट की गई सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उक्त गांव में घेराबंदी और तलाशी का एक संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस/सेना यूनिट को गांव के बाहरी घेरे में तैनात किया गया और उप-निरीक्षक मोहम्मद अय्यूब, सं. 4503/एन जी ओ को कमान में एक तलाशी दल द्वारा घर-घर की तलाशी लेने का कार्य शुरू किया गया। तलाशी अभियान के दौरान एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी महसूस की गई। उन्हें समर्पण के लिए ललकारा गया किन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और वहीं छिपे रहे। पुलिस दल और सेना यूनिट ने घर के बाहर एक विस्फोटक लगा दिया जो बाद में फट गया जिससे बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उप-निरीक्षक मो. अय्यूब और उनके दल ने जवाबी गोलीबारी करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया जिसकी बाद में पहचान एच एम गुट के इरशाद खान उर्फ अबु खालिद उर्फ सुल्ला, पुत्र बदुल्ला, निवासी शेखपुरा, गुज्जरपाती, अनंतनाग के रूप में हुई। मृतक आतंकवादी के पास से निम्नलिखित शस्त्रास्त्रों की बरामदगी की गई:-

01	राइफल ए के 47	01 (क्षतिग्रस्त)
02	ए के मैग.	04 (01 क्षतिग्रस्त)
03	ए के एम्यु.	95 चक्र
04	रेडियो सैट	01
05	मोबाइल सैट	01 (क्षतिग्रस्त)
06	पाऊच	01

इस मुठभेड़ में, उप-निरीक्षक मोहम्मद अय्यूब ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 105-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 20.04.2005 को 2215 बजे, गुलाम अहमद शेख सुपुत्र गुलाम हसन शेख, निवासी मलशुल्ला बीरवाह बड़गाम के घर में आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना मिलने पर, हैड कांस्टेबल सुभाष चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में बीरवाह पुलिस स्टेशन के पुलिस दल और एस ओ जी, बीरवाह के साथ 34 आर आर (जाट) द्वारा एक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान तलाशी दल पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी के बीच हैड कांस्टेबल सुभाष चन्द्र शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों का सामना किया और आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अपने दल को प्रोत्साहित किया। बल ने पूरी ताकत से लड़ाई की और दो दुर्दांत आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया। उनमें से एक की पहचान अल-बदर उग्रवादी गुट (विदेशी आतंकवादी) के एस एस डिवीजनल कमांडर बम्बर खान के रूप में तथा दूसरे आतंकवादी की पहचान विदेशी आतंकवादी के रूप में हुई। गोलीबारी के दौरान 34 आर आर के पवन कुमार नामक सिपाही को गंभीर चोटें लगीं।

इस मुठभेड़ में, हैड कांस्टेबल सुभाष चन्द्र शर्मा ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 106-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी बहादुरी के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शबीर अहमद, निरीक्षक
2. बशीर अहमद, चयन ग्रेड कांस्टेबल
3. गुलाम अहमद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

लादी गांव, पहलगाम में प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के दो दुर्दांत आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 29.01.2006 को एक विशिष्ट और विश्वस्त सूचना मिलने पर निरीक्षक शबीर अहमद एस एच ओ, पुलिस स्टेशन, पहलगाम के नेतृत्व में तथा एच जी सी टी बशीर अहमद और कांस्टेबल गुलाम अहमद के सहयोग से पहलगाम पुलिस स्टेशन के एक पुलिस दल ने गांव में छिपे आतंकवादियों को तलाशने के लिए एक अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी की जद में आ गया जिसका उन्होंने माकूल जवाब दिया। इस गोलीबारी के दौरान उक्त पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षक शबीर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी चतुराई, कौशल और बहादुरी से एक आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया जबकि दूसरा आतंकवादी समीप के एक आवासीय घर में घुस गया। इसी बीच घटनास्थल पर और कुमुक पहुँच गई। चार घंटे तक चले इस अभियान के अंत में दूसरा आतंकवादी भी मारा गया। बाद में मृतक आतंकवादियों की पहचान एच एम गुट के बद्दा, कमां, जामी चौहान उर्फ जुमा सेट कोड तौसीफ, निवासी लेहन दजान और रशीद हजान उर्फ असिफ, निवासी नल्ला अबूरा के रूप में हुई। मृतक आतंकवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

1.	राईफल ए के-47	1
2.	राईफल ए के-56	1
3.	ए के मैगजीन	6
4.	ए के एम्यु.	7 चक्र
5.	ग्रेनेड	3 (घटनाक्रम में नष्ट किए गए)
6.	रेडियो सैट आईकाम	1
7.	इलैक्ट्रोनिक डिटोनेटर	1 (घटनाक्रम में नष्ट किए गए)
8.	आई ई डी के डिटोनेटिंग के लिए चार्जर	1 (घटनाक्रम में नष्ट किए गए)

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शबीर अहमद, निरीक्षक, बशीर अहमद, चयन ग्रेड कांस्टेबल और गुलाम अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 107-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री युगल मन्हास
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 3.3.2006 को तड़के एस डी पी ओ मंधार को यह सूचना मिली कि लश्करे तोएबा, राजौरी का स्वयंभू जिला कमांडर अबू उमर हजारवी उर्फ अबू कतब अपने दो साथियों सहित पुलिस स्टेशन गुरसाई, जिला पुंछ के संगियोत गांव में घूम रहा है। एस डी पी ओ मंधार ने पुलिस कमांडो ग्रुप की नफरी, 38 आर आर सेना और सी आर पी एफ की 150वीं बटालियन के साथ अविलंब अभियान चलाने की योजना बनाई और तुरंत ही शिनाख्त किए गए क्षेत्र की ओर चल पड़े। गांव संगियोत (नक्कार मोहल्ला) में तुरंत अभियान शुरू किया गया। मानवशक्ति को तीन कालमों में विभक्त किया गया और क्षेत्र की तीन ओर से घेराबंदी की गई। दो कालमों ने मोहल्ला को क्रमशः दाईं और बाईं ओर से तलाशी शुरू की और एस डी पी ओ मंधार के नेतृत्व वाले एक कालम ने मोहल्ला के प्रारंभ से शुरू करके पूरे क्षेत्र की खोजबीन करने का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 1030 बजे, जब तलाशी का कार्य जारी था, एस पी ओ सुरेश कुमार शर्मा सं. 144/एस पी ओ ने नल्लाह के निकट एक मकान के समीप एक छिपने के ठिकाने को देखा और तुरंत ही इस बारे में एस डी पी ओ मंधार को सूचित कर दिया। एस डी पी ओ मंधार ने कर्मियों को उस विशिष्ट क्षेत्र में पहुँचने और वहां की घेराबंदी करने का निदेश दिया। छिपने का ठिकाना मकान के नजदीक/सटा होने के कारण एस डी पी ओ मंधार ने तुरंत ही मकान के निवासियों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया और स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया। जब तलाशी दल छिपने के ठिकाने का आकलन कर रहा था उसी समय आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। तलाशी दल ने भी अपनी पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों के बीच चार घंटे तक गोलीबारी चलती रही किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। चूंकि छिपने के ठिकाने में केवल एक ही तरफ से घुसा जा सकता था इसलिए आपात कदम उठाने की आवश्यकता महससू की गई। एस पी ओ जगदीश चन्द्र सं. 869/एस पी ओ और सुरेश कुमार शर्मा, सं. 144/एस पी ओ छिपने के ठिकाने के नजदीक जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उस ओर रेंगना शुरू कर दिया। जब दोनों अधिकारी उस छिपने के ठिकाने के समीप पहुँच रहे थे, उसी समय आतंकवादी छिपने के ठिकाने से भाग कर बाहर आए और उन्होंने अधिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी किन्तु एस पी ओ जगदीश कुमार सं. 869/एस पी ओ और सुरेश कुमार शर्मा सं. 144/एस पी ओ की पूरे मनोयोग और बहादुरी से की गई संयुक्त गोलीबारी से दोनों आतंकवादी मारे गए। उस समय तक अंधेरा हो चला था और तीसरा आतंकवादी उस समय भी छिपने के ठिकाने से गोलीबारी कर रहा था। उस छिपने के ठिकाने पर पूरी रात सावधानी और सतर्कता के साथ नजर रखी गई और आतंकवादी को गोलीबारी में उलझाए रखा गया। दिनांक 4.3.06 को तड़के आतंकवादी छिपने के ठिकाने से बाहर निकला उसे तुरंत ही श्री युगल मन्हास, उपाधीक्षक, एस डी पी ओ मंधार द्वारा गोली चलाकर मार गिराया गया। यह समस्त अभियान पूरे दिन चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप तीनों दुर्दांत विदेशी आतंकवादियों को मार डाला गया। इन आतंकवादियों की पहचान लश्करे तोएबा, राजौरी के जिला कमांडर अबु उमर हजारवी उर्फ अबु कतब और उसके दो साथी अबु

महाजन उर्फ अब्दुल हक और अबु मुर्तजा के रूप में की गई। पूरा अभियान अति सावधानीपूर्वक और पेशेवर कौशल के साथ चलाया गया था। इसमें पुलिस/सेना को कोई जनहानि नहीं हुई और मोहल्ला के सिविलियनों के जान-माल की भी कोई हानि नहीं हुई जिससे उन्होंने तीनों दुर्दांत आतंकवादियों के मारे जाने पर चैन की सांस ली। अबू हजारवी विगत 2-3 वर्षों से राजोरी जिले के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था और क्षेत्र के दुर्गम भू-भाग और सीमा रेखा के कारण अपने आधार स्थलों को बदलता रहता था।

इस मुठभेड़ में, पुलिस उपाधीक्षक श्री युगल मन्हास ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 108-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री कुलबीर सिंह
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री कुलबीर सिंह, उपाधीक्षक (अप्रे.) किश्तवार जिले ने अपने ठोस प्रयासों और मनोवैज्ञानिक तरीके से दो दुर्दांत आतंकवादियों अर्थात् जैश-ए-मोहम्मद के तहसील कमांडर रफीक उर्फ कामरान पुत्र गुलाम नबी, निवासी पुल्लार और जैश-ए-मोहम्मद के मो.सफी उर्फ खालिद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बुधधार बोंजवाह को उत्प्रेरित किया जिससे उन्होंने राईफल ए के-2, एम्यु. ए के-41 चक्र, मैग. ए के 02, हैंड ग्रेनेड-02 (स्वत: विनष्ट) और पाऊच 02 के साथ दिनांक 5 अप्रैल, 2005 को पियास में आत्मसमर्पण कर दिया। इस अधिकारी ने असाधारण पेशेवरता, अदमनीय उत्प्रेरणा और दृढ़तापूर्वक रफीक उर्फ कामरान को उसके ग्रुप के उन अन्य आतंकवादियों के ठिकाने की सूचना देने के लिए उत्प्रेरित किया जो उसके आत्मसमर्पण के बाद उसके परिवार को क्षति पहुँचा सकते थे। मि. कुलबीर सिंह से आश्वस्त हो कर दुर्दांत आतंकवादी कामरान अपने ग्रुप के अन्य आतंकवादियों का सफाया कराने के लिए सहमत हो गया। मि. कुलबीर सिंह ने अपनी अतिसावधानी से कार्यात्मक तैयारी करके कामरान को जैश-ए-मोहम्मद के अन्य आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए तैयार कर लिया और मिलने का स्थान टेकरा (चिच्छा) निश्चित किया। मिलने के स्थान का निर्धारण हो जाने पर इस अधिकारी ने एक युक्तिपूर्ण योजना तैयार की जिसे सेना/सी आर पी एफ के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। ये पार्टियां उस आम क्षेत्र में पहुँची जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। दिनांक 6.4.05 को 930 बजे जैसे ही ये कालम चिच्छा पहुँचे, उस स्थान की घेराबंदी कर ली गई। मि. कुलबीर सिंह प्रहार दल का कमांडर बनने के लिए स्वत: तैयार हो गए। तत्पश्चात इस अधिकारी ने दो जवानों के साथ कोणदार मार्ग से समीप पहुँचना प्रारंभ किया। यह पार्टी छिपने के ठिकाने से जब 75 मीटर दूरी पर थी तभी एक आतंकवादी ने प्रहार दल पर गोली चला दी। आतंकवादी ने एक ग्रेनेड भी फेंका जो पार्टी से दूर जा गिरा और जब वह दूसरा ग्रेनेड फेंकने वाला था तभी मि. कुलबीर सिंह ने अपनी अचूक गोली से आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया। तभी अचानक छिपने के ठिकाने में छिपे अन्य आतंकवादियों ने इस पार्टी पर गोलियों की भारी बौछार कर दी। मि. कुलबीर सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अदम्य साहसपूर्ण तरीके से एक ग्रेनेड फेंका जिसने उनके जवानों को गोलीबारी करने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुँचने में उनको सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद मि.कुलबीर सिंह ने अपनी स्थिति बदली और अन्य दो जवानों की स्थिति को भी समयोजित किया। इसके पश्चात तीन लोगों की इस पार्टी ने अपने स्वचालित हथियारों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। राकेट लांचर से गोलाबारी की सहायता सहित सेना कालमों की सहायता से दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी दोपहर बाद तक जारी रही। तथापि, कठिन भू-भाग, सीधी ढलान और छिपने के ठिकाने के सामने स्थित प्रबल टीले ने किले की दीवार का कार्य किया हुआ था। मि. कुलबीर सिंह द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व की भावना और उच्च रणनीतिक कौशल, अभियान के समन्वयन से दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी सारे दिन और रात्रि के दौरान भी चलती रही। अगले दिन पौ-फटते ही मि. कुलबीर सिंह ने बंकर तोड़कर शेष बचे आतंकवादियों का सफाया करने का रणनीतिक रूप से व्यवहार्य

और साहसिक सुझाव दिया। इस सुझाव पर सेना कालम के कमांडर पूरी तरह सहमत हो गए। मि. कुलबीर सिंह ने दूसरी बार भी विजय हासिल करने की पहल की और पांच जवानों को लेकर वे छिपने के ठिकाने के समीप पहुँच गए। छिपने के ठिकाने से 25 मीटर की दूरी से इस अधिकारी ने ठिकाने के द्वार पर एक ग्रेनेड फेंका। उसके बाद पार्टी ने छिपने के ठिकाने के भीतर गोलीबारी शुरु कर दी। वहां से जवाबी गोलीबारी होती देखकर मि. कुलबीर सिंह ने अपने पांचों जवानों के साथ ठिकाने के भीतर निर्णायक हमले का नेतृत्व किया। ठिकाने के भीतर घुसने पर उन्हें वहां तीसरे पाकिस्तानी आतंकवादी का शव मिला।

इस मुठभेड़ में, पुलिस उपाधीक्षक श्री कुलबीर सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 100-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. गुलाम मोहम्मद (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
   हैड कांस्टेबल
2. सर्बजीत सिंह (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   चयन ग्रेड अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.01.2006 को दीकीकोट गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जिला पुलिस कुपवाड़ा द्वारा प्राप्त एक विशिष्ट जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद सं. 4521/एन जी ओ (एस एच ओ पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा) की कमान में जिला कुपवाड़ा की एक पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध मकान के चारों ओर घेरा डाल दिया। मकान में छिपे आतंकवादियों ने उक्त पार्टी पर गोलिया चला दी। इस पर हैड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद सं. 665/के पी, एस जी सी टी सर्वजीत सिंह सं. 1063/के पी और एस पी ओ मो. शफी सं. 107/एस पी ओ के साथ उस मकान के द्वार की ओर बढ़े। जब पुलिस पार्टी आतंकवादियों की ओर बढ़ रही थी उस समय वे आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की जद में आ गई। हैड कांस्टेबल सं. 1063/के पी और एस पी ओ मो. शफी सं. 107/एस पी ओ ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। वे घायल होने और अंत में दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया करने तक आतंकवादियों के साथ लड़ते रहे। हैड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और एस पी ओ मो. शफी ने एस डी एच कुपवाड़ा में अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। एस जी सी टी सर्वजीत सिंह को उपचार के लिए सेना अस्पताल, दुग्गुल्ला भेज दिया गया। मृतक आतंकवादियों के कब्जे से निम्नलिखित शस्त्रास्त्र बरामद हुए :-

1.	ए के 47 राइफल	02
2.	मैग. ए के.	04 (एक क्षतिग्रस्त)
3.	ए के चक्र	30

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (स्व.) गुलाम मोहम्मद, हैड कांस्टेबल और सर्बजीत सिंह, चयन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

करूण मित्रा
संयुक्त सचिव

5—141 GI/07

सं) : 10-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को बीरता के लिए पुलिस पदक की प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	जे एल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	पवन कुमार परिहार, पुलिस उपाधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	दलजीत सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	विनोद कुमार, परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	विजय कुमार, परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

निकुट पर्वतों के नजदीक रियासी पुलिस स्टेशन से 10 कि.मी. दूर अजनी नल्लाह में दो दुर्दांत आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विश्वस्त जानकारी मिलने पर उसकी सूचना तुरंत श्री जे एल शर्मा, आई पी एस, एस एस पी रियासी के साथ-साथ श्री पवन परिहार, पुलिस उपाधीक्षक - एस डी पी ओ रियासी को भी दी गई। स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से मानचित्र पर उस विशिष्ट स्थान की पहचान की गई जहां आतंकवादी छिपे हुए थे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक योजना/रणनीति तैयार की गई। चूंकि पुलिस वाहनों का इस्तेमल करना संभव नहीं था इसलिए चार टाटा सूमों का प्रबंध किया गया और एक योजनाबद्ध तथा संगठित अभियान शुरु किया गया। एस एस पी रियासी, एस डी पी ओ रियासी को साथ लेकर तथा अभियान दल के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करके, मौके की ओर गए। आतंकवादियों को ऐसे भ्रम में रखा गया जिससे वे यह समझें कि वाहन में कुछ रेलवे कर्मचारी/कामगार यात्रा कर रहे होंगे क्योंकि आमतौर पर ऐसे वाहनों का इस्तेमाल वे ही लोग करते हैं। मौके से चार कि.मी. पहले ही वाहनों से उतर कर अभियान दल को चार ग्रुपों में विभक्त कर दिया गया। ये ग्रुप थे - मुख्य प्रहार दल, सुरक्षा प्रदायी दल सं. 1, सुरक्षा प्रदायी दल सं. 2 और बचाव दल। मुख्य बचाव दल का नेतृत्व श्री पवन परिहार, पुलिस उपाधीक्षक,एस डी पी ओ रियासी कर रहे थे। अभियान दलों ने एस एस पी रियासी की कमान में सम्पूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और छिपने के ठिकाने की पहचान की जो महान गुज्जर सुपुत्र सुलेमान के रिहाइशी मकान से सटा एक पशु बाड़ा था। चूंकि रिहाइशी मकान/पशु बाड़े में कुछ पशुओं सहित महान गुज्जर के परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे इसलिए किसी भी मानव क्षति को टालने के लिए सर्वप्रथम कार्य उस स्थान से परिवार के सदस्यों को अन्यत्र ले जाना था। एस एस पी रियासी, श्री दलजीत सिंह, निरीक्षक 1531/एन जी ओ, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन रियासी के साथ रेंगते हुए रिहाइशी मकान की ओर बढ़े और चुपचाप तथा युक्तिपूर्वक महिलाओं तथा बच्चों सहित परिवार के सभी 15 सदस्यों को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उनके पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया। ये कार्य करने के तुरंत पश्चात् आतंकवादियों को ललकारा गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया गया। किन्तु कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय आतंकवादियों ने मुख्य प्रहार दल पर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरु कर दीं। मुख्य प्रहार दल का नेतृत्व कर रहे श्री पवन परिहार, एस डी पी ओ रियासी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने अपनी पोजीशन ली और बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादी अभियान दल को उलझाए रखने के लिए छिपने के ठिकाने से चारों दिशाओं में गोलीबारी कर रहे थे। इस ओर से जवाबी

गोलीबारी किए जाने के बावजूद आतंकवादी अपने ठिकाने से गोलीबारी करते रहे। इसी बीच, श्री पवन परिहार, पुलिस उपाधीक्षक, एस डी पी ओ रियासी ने ग्रेनेड लिए हुए एक अधिकारी को छिपने के ठिकाने के भीतर ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। वह अधिकारी पूरी बहादुरी के साथ पशुबाड़े के मुख्य प्रवेश द्वार तक रेंगते हुए गया और एक ग्रेनेड ठिकाने के भीतर फेंक दिया जिसके परिणामस्वरुप एक आतंकवादी ठिकाने से बाहर आ गया और गोली चलाते हुए भागने लगा। इस पर प्रहार दल के एक सदस्य ने प्रतिक्रिया करते हुए आतंकवादी पर गोलियां चलाई। आतंकवादी एक नाले में कूद गया और उसने एक ग्रेनेड प्रहार दल की ओर फेंका किन्तु प्रहार दल और एस एस पी रियासी बाल-बाल बच गए। इसके पश्चात एस डी पी ओ रियासी और एस एच ओ रियासी पुलिस स्टेशन अपनी जान की परवाह न करते हुए, रेंगते हुए नाले में उतरे और नजदीकी लड़ाई में आतंकवादी को मार गिराया। प्रहार दल की जवाबी गोलीबारी में उलझा दूसरा आतंकवादी अचानक ठिकाने से बाहर निकल आया और एक बड़ी सी चट्टान का लाभ उठा कर प्रहार दल पर गोली चलाते हुए नाले की ओर भागा। पी एस आई विनोद कुमार और पी एस आई विजय कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादी का पीछा किया और नजदीकी लड़ाई में उसे मार गिराया। यह मुठभेड़ 35-40 मिनट तक चली। एस एस पी रियासी की कमान के अन्तर्गत अभियान दलों ने लश्करे तोएबा के दोनों दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता पाई। मृतक आतंकवादी की पहचान मो. फरीद उर्फ अबु जफर (फील्ड कमांडर) पुत्र गु. मो. निवासी अंगराला, तहसील माहोर, जिला ऊधमपुर के रूप में की गई जो माहोर क्षेत्र के लश्करे तोएबा गुट के डिविजनल कमांडर अबु साद का निकट सहयोगी था। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगी की गई :-

राईफल ए के श्रृंखला	02
ए के श्रृंखला की मैग	08
ए के श्रृंखला का एम्यु.	189
ग्रेनेड	02 (मौके पर क्षतिग्रस्त)
वायरलैस सैट	01
पाऊच	02
भारतीय मुद्रा	2077/-
पाक मुद्रा	15/-
सऊदी अरब की मुद्रा	01रियाल
पहचान पत्र	1
टार्च	02

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों आतंकवादियों को 13.01.2006 को त्रिकुट पर्वतों के समीप कुछ सिविलियनों द्वारा देखा गया था। जिनके बारे में यह सूचना थी कि वे कोई सनसनीखेज अपराध करने के लिए कटरा वैष्णो देवी की ओर जा रहे थे। इस सूचना के मिलते ही आई जी पी जम्मू जोन द्वारा एक अभियान चलाया गया किन्तु तीन दिन तक अभियान चलाते रहने के पश्चात् भी आतंकवादियों को कहीं नहीं देखा जा सका और अंत में उक्त अभियान में उनको मार गिराया गया। अति सावधानीपूर्वक और सुसंगठित तरीके से चलाए गए अभियान के परिणामस्वरुप ही उन दोनों आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता मिली जिनके बारे में यह सूचना थी कि वे वैष्णो देवी मंदिर में फिदायीन हमला करने की योजना बना रहे थे। इससे एक बड़ी त्रासदी को टाला जा सका।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जे एल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पवन कुमार परिहार, पुलिस

उपाधीक्षक, दलजीत सिंह, निरीक्षक, विनोद कुमार परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक और विजय कुमार, परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 111-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. चिंगथम सुरजीत कुमार, हवलदार
2. के. सचिकुमार शर्मा, राईफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 17.5.2006 को मणिपुर के मुख्य मंत्री थाउबल जिला पुलिस मुख्यालय से 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्राम सुगनु का दौरा कर रहे थे। उग्रवाद बहुल क्षेत्र होने के कारण, प्रातः 10 बजे टौर के मार्ग पर कमांडो की तैनाती के साथ-साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। प्रातः लगभग 11 बजे जब लेंगमियाडोंग क्षेत्र में हवलदार चि. सुरजीत कुमार के नेतृत्व में एक कमांडो दल गश्त लगा रहा था और मुख्य मंत्री के काफिले के उस क्षेत्र से गुजरने के लगभग आधे घंटे पहले एक कार (मारुति सेंट्रो) को बहुत तेज गति से वाबगई लम्बई की ओर से उस क्षेत्र की ओर जाते हुए देखा गया जहां कमांडो पोजीशन लिए हुए थे। तत्काल 100 मीटर की दूरी से कमांडो को देखते ही मारुति कार पश्चिम की ओर लौट गई और ग्रामीण पगडंडी के मार्ग से हियांगलम गांव की ओर जाने लगी। पूरा संदेह होने पर कमांडो अपने वाहन में उसके पीछे दौड़े और हियांगलम गांव की ओर पगडंडी से होते हुए उन्होंने कार का पीछा किया। पूरी तरह से पीछा करते हुए हियांगलम मारवा लिकाई पहुँचने पर ही कमांडो मारुति कारे को लांघने के लिए उसके नजदीक तक पहुंच सके। कमांडो ने उसे रुकने के लिए जोर से आवाज लगाई और कार में सवार लोगों की पहचान की जांच कराने के लिए हाथ ऊपर करके कार से बाहर आने के लिए कहा। कार में सवार लोगों ने इस चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया अपितु उन्होंने कार के भीतर से ही कमांडो पर गोली चलानी शुरु कर दी। कमांडो ने जवाबी कार्रवाई की और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान ड्राईवर सहित चार उग्रवादी कार से बाहर निकलने में सफल हो गए और उन्होंने कमांडो पर भारी गोलीबारी की। दूसरी ओर, दल के नेता हवलदार चि. सुरजीत कुमार ने अपने कर्मियों को एक नाले के पास (जो लगभग 5/6 फीट चौड़ा था) मैदान में ऊंचे स्थान पर पोजीशन लेने और साहसपूर्वक उग्रवादियों से लोहा लेने का इशारा किया। राइफलमैन चि. सरत जैसे अन्य कार्मिकों द्वारा आच्छादन किए जा रहे राईफलमैन के सचिकुमार शर्मा नामक एक कमांडो निरंतर हो रही गोलीबारी के दौरान आगे बढ़ते समय घायल हो गए। उनकी टांग में चोट लग गयी। अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न

करते हुए और अपनी टांग में गोली लगी होने के बावजूद राईफलमैन के. सचिकुमार शर्मा ने साहस और वीरता के साथ यू.जी. के साथ लड़ाई की। राईफलमैन सचिकुमार शर्मा जब तक उस सख्त लड़ाई से फारिक्त नहीं हुए तब तक वे हवलदार चि. सुरजीत कुमार के नजदीक तक पहुँचते हुए गोलीबारी करते रहे। तत्काल, हवलदार सुरजीत कुमार ने अपने कार्मिकों को जमीन पर लेट जाने का इशारा किया और वे स्वयं 10/15 फुट की दूरी पर बांस की झाड़ियों के पीछे दलदली क्षेत्र के उथले भाग की ओर दौड़े। हवलदार सुरजीत कुमार ने लगतार गोलियां चलाते हुए उग्रवादी पर हमला किया। इस हमले में स्वयं को असमर्थ और असहाय जान कर तथा हवलदार सुरजीत कुमार की बहादुरी को देखते हुए, अत्याधुनिक हथियारों के पास में होने के बावजूद उग्रवादियों ने कमांडो के कमर कस कर किए गए हमलों के आगे हथियार डाल दिए और वे वहां से वापस भागने लगे तथा विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए। हवलदार सुरजीत कुमार ने उनका पीछा किया और लौटकर गोली मारने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को गोली मार दी।उसके शरीर के विभिन्न अंगों में हवलदार की गोलियां लगने से वह मारा गया। जब विपरीत दिशा से गोलीबारी बंद हो गई तब कमांडो ने तलाशी अभियान चलाया। जिसमें एक शव मिला। बाद में उसकी पहचान प्रतिबंधित संगठन पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के स्वयंभू सारजेंट 25 वर्षीय मोरंगथम जीवन सिंह उर्फ बोम्बी उर्फ रोमियो, पुत्र लामलाई तलाऊ निवासी एम. जीत सिंह के रूप में हुई। ए.के. एम्यु. के छः सजीव चक्रों से युक्त 56-1-12070793 संख्या वाली एक ए के-56 राईफल, एक डब्ल्यू टी केनवुड सैट, दो चीन निर्मित हथगोले मौके से बरामद हुए। बाद में यह संपुष्टि हो गई कि मारुति कार में सवार उग्रवादी दल में शामिल भूमिगत नेता घात लगाने की तलाश में मुख्य मंत्री के दौर पर नजर रखे हुए थे। तथापि, कमांडो द्वारा सही समय पर उपयुक्त कार्रवाई किए जाने से उनकी योजना साकार नहीं हो सकी।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री चिंगथम सुरजीत कुमार, हवलदार और के. सचिकुमार शर्मा, राईफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 मई, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 112-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के.के. चिशी

अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29 मई, 2004 को दीमापुर शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सा अधिकारी डॉ. माओंगवती उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब सिविल अस्पताल दीमापुर के निकट कुछ बंदूकधारियों ने उन पर गोली चला दी। स्थिति तत्काल अस्थिर हो गई क्योंकि डॉ. माओंगवती नागालैण्ड में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित डाक्टर हैं। मामला काफी संवेदनशील था इसीलिए एक विशेष जांच दल (एस आई टी) का गठन किया गया। प्रारंभिक आसूचना एकत्रित करने के पश्चात एस आई टी ने श्री के.के. चिशी की सहायता लेने का निर्णय लिया, जो जुनेहबोटो जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे, क्योंकि इस मामले में संदिग्ध व्यक्ति एन एस सी एन (आई एम) का खूंखार सदस्य था और इसी जिले से संबंधित था। श्री के.के. चिशी को 22 जून, 2004 को सहायता के लिए संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने तत्काल जांच शुरु कर दी और अपने कुछ विश्वासपात्र कार्मिकों को लेकर कार्रवाई शुरु कर दी। एन एस सी एन (आई एम) संगठन भी इस संदिग्ध को खोज रहा था। यह जानकारी मिलने के पश्चात कि संदिग्ध व्यक्ति जुनेहबोटो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर घने जंगल के अंदर गुफा में छुपा हुआ है, अधिकारी ने चार कार्मिकों के साथ रात में जंगल की तरफ प्रस्थान किया। गर्मी, वर्षा और मच्छरों की तपिश के बीच वह पार्टी घने जंगल में 10 किलोमीटर तक पैदल चली। अधिकारी ने अपने कार्मिकों को गोलीबारी न करने, अपितु जांच को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति को जिन्दा पकड़ने का आदेश दिया। तदनुसार पार्टी ने गुफा को घेर लिया और आगे बढ़ना शुरु कर दिया। अचानक संदिग्ध ने अधिकारी पर लम्बी कटार से आक्रमण कर दिया परन्तु भीषण लड़ाई के पश्चात संदिग्ध पर काबू पा लिया गया और अन्ततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी पहचान किवीयी के रूप में की गई को जुनेहबोटो ले जाया गया परन्तु रास्ते में सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बीच रास्ते में एन एस सी एन (आई एम) कैडट प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री के.के. चिशी ने तत्काल चक्करदार मार्ग के जरिए कोहिमा की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया और भारी जोखिम उठाते हुए अकेले वाहन में सुबह तड़के वे कोहिमा पहुँचे। संदिग्ध किवीयी को तब एस आई टी को सौंप दिया गया जिसने स्वीकार किया कि यह वही व्यक्ति है जिसने डॉ. माओंगवती पर गोली चलाई थी।

इस मुठभेड़ में, श्री के.के. चिशी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जून, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 113-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सुरेन्द्र कुमार,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.04.2005 को एक सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा पुलिस के हैड कांस्टेबलों की दोहरी हत्या के मामले में वांछित संदीप उर्फ नरसिंहा, किशनगढ़ गांव, नई दिल्ली स्थित अपने एक मिलने वाले के पास पुलिस से हथियाई स्टेनगन को देने के लिए एच आर-12-3843 वाले पंजीकरण संख्या की मारुति जेन में आयेगा। यह सूचना प्राप्त होने पर छः पुलिस टीमों को तैनात किया गया और वाहन को शहीद जीत सिंह मार्ग, जे एन यू के निकट देखा गया। वाहन का पीछा किया गया और पुलिस टीमों द्वारा उसे अरुणा आसफ अली रोड पर रोका गया। रोकने पर संदीप वाहन से बाहर निकला और उसने पुलिस टीमों पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जवाब में गोली चलाई और उस मुठभेड़ में संदीप उर्फ नरसिंहा घायल हो गया। उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्टेनगन, एक मैगजीन और 10 राउन्ड जोकि संदीप ने हरियाणा पुलिस के हैड कांस्टेबलों को मारने के पश्चात उनसे छीने थे सहित पुलिस टीमों पर गोलीबारी करने हेतु अभियुक्त संदीप द्वारा इस्तेमाल की गई 0.38 बोर की वैबले स्कोट रिवालवर बरामद कर ली गई है। आई पी सी की धारा 186/353/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन वसन्त कुंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/05 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। पुलिस स्टेशन सिकन्दराबाद, उत्तर प्रदेश में आई पी सी की धारा 379 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 17/05 के अनुसार मृतक गैंगस्टर द्वारा इस्तेमाल की जा रही मारुति जेन पुलिस स्टेशन सिकन्दराबाद, उत्तर प्रदेश से चुराई गई थी। यह गुप्त सूचनाप्राप्त होने के पश्चात कि खूंखार, नृशंस और दुर्दांत अन्तर्राज्यकीय गैंगस्टर संदीप देसवाल उर्फ नरसिंहा जोकि दो हरियाणा पुलिस के हैड कांस्टेबलों की हत्या में वांछित है, किसी व्यक्ति को लूटी गई कारबाइन देने के लिए किशनगढ़, वसन्त विहार, दिल्ली के क्षेत्र में आएगा। विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों की विभिन्न टीमों का गठन किया गया। अन्य स्टाफ के साथ हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र को सरकारी वाहन में जे एन यू - शहीद जीत सिंह मार्ग, टी पाइन्ट पर तैनात किया गया। संदिग्ध जेन कार जिसमें वांछित अपराधी बेर सराय की तरफ से आ रहे थे, का पता लगने के पश्चात उनकी टीम ने बिना कोई क्षण गंवाए तुरन्त जेन कार का पीछा किया। सहारा रेस्टोरेन्ट, किशनगढ़ के निकट पहले से तैनात दूसरी टीम ने भी पहली टीम की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ समन्वय रखते हुए आसफ अली रोड स्थित चौराहे पर संदिग्ध जेन कार को रोका। संदीप को संदेह हुआ और वह कार से नीचे उतर आया। पुलिस पार्टी द्वारा अपनी पहचान बताए जाने और आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद संदीप ने पुलिस टीमों पर गोली चलाई और निकटवर्ती रिज क्षेत्र में भागने की कोशिश की। हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र संख्या 299/एस बी, सहज कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ने के लिए सरकारी वाहन से कूद पड़े। हाल ही में दो पुलिस अधिकारियों को मार कर हिम्मतवर बन चुके अपराधी ने उनका पीछा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई। हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र ने अत्यन्त बहादुरी का परिचय दिया और वीरता से अपराधी का सामना किया। पराक्रमी अधिकारी ने घिरे हुए गैंगस्टर का निर्भीकता से पीछा करना जारी रखा और जवाबी गोलीबारी भी की। दुर्दांत गैंगस्टर ने निकटवर्ती जंगल में झाड़ियों और पेड़ों में छुपने की कोशिश की परन्तु बेतरतीब पहाड़ी रास्ते के बावजूद अधिकारी ने सांस

रोक कर उसका पीछा किया। अपनी सुरक्षा हेतु कोई कवर न होने के बावजूद सिंडर अधिकारी ने बहादुरी से दुर्दांत गैंगस्टर का आमना-सामना किया। चालू मुठभेड़ में जोकि लगभग 15 मिनटों तक चली, अंतिवांछित दुर्दांत गैंगस्टर घायल हो गया। हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र ने अपनी पिस्तौल से चार राउन्ड गोली चलाई, इस तरह उन्होंने अपनी टीम के साथी सदस्यों और आम व्यक्तियों की जान बचाई और दुर्दांत तथा अंतिवांछित गैंगस्टर को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, श्री सुरेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

अरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 114-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक हर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त,
2. बदरीश दत्त, निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे पर आतंकवादी आक्रमण के मामले में कार्य करते समय दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को एयरटेल जम्मू और कश्मीर के कई मोबाइल नम्बरों का पता लगा। इन मोबाइल नम्बरों का इस्तेमाल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े उन आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने उक्त ढांचे पर फिदायीन हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इन आतंकवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से विशेष प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस की टीम को जुलाई 2005 के अन्तिम सप्ताह में श्रीनगर जम्मू और कश्मीर भेजा गया था। टीम ने कई नम्बरों पर निरन्तर कार्य किया और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लगभग सभी मोबाइल नम्बरों को धीरे-धीरे और निरन्तर अवरुद्ध कर दिया। इसमें भारत में जे ई एम चीफ बदर उर्फ अदनान के मोबाइल नम्बर भी शामिल थे। इस आतंकवादी संगठन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसे समझा जाता है। जम्मू और कश्मीर में दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस सेट अप से अन्य एजेंसियों को उपयोगी और गुप्त सूचना समय से भेजने में मदद मिली। तकनीकी निगरानी की मदद के फलस्वरुप जम्मू और कश्मीर स्थित मुखबिरों और सम्पर्क सूत्रों के नेटवर्क ने परिणाम देना शुरु कर दिया। 26.08.2005 को इस नेटवर्क के आधार पर मोहम्मद असलम वानी उर्फ अमित कुमार निवासी मोहल्ला जाहिद पुरा हवाल, लाल बाजार, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को दिल्ली में पकड़ा गया तथा उसके कब्जे से 5 किलोग्राम आर डी एक्स, 10 इलैक्ट्रोनिक डेटोनेटर, एक पिस्तौल, 15 जिन्दा कारतूस और 62.96 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। मोहम्मद असलम वानी ने रहस्योदघाटन किया कि वह आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद के लिए वाहक के रूप में कार्य करता है तथा जे ई एम कमान्डरों के निर्देश पर हथियार और गोलाबारुद, धन, उग्रवादियों आदि को इधर से उधर लाता ले जाता है। श्रीनगर में तैनात टीम ने उल्लिखित मामले में वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। टीम खतरनाक स्थिति और परिस्थितियों में कार्य कर रही थी और इसने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी। तदनन्तर, 21.09.2005 को जैश-ए-मोहम्मद के अन्य आतंकवादी तहसील कमान्डर खुर्शीद अहमद बट्ट उर्फ कामरान-उल-इस्लाम उर्फ कैरटन उर्फ फय्याज उर्फ राणा सोहेल पुत्र अब्दुल गनी बट्ट निवासी मोहल्ला गोना पोचा, त्राल, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर को पुलवामा से बड़ी कठिनाई से उस समय पकड़ा गया जब वह अपने साथ ले जा रहे एक हथगोले में विस्फोट करने की कोशिश कर रहा था। यह टीम के उन सदस्यों के लिए मृत्यु से जूझने के समान था जिन्होंने खुर्शीद अहमद बट्ट को पकड़ा था। खुर्शीद अहमद बट्ट के कब्जे से 6 सजीव हथगोले, एक .38 कैलिबर की पिस्तौल, 72

सजीव कारतूस, पिस्तौल की एक अतिरिक्त मेगजीन, जे ई एम के तहसील कमान्डर की मोहर के साथ अन्य अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। दिल्ली में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि पाकिस्तान से संबंधित एक उग्रवादी जैश-ए-मोहम्मद श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के जवाहर नगर क्षेत्र में छुपा हुआ है। इस सूचना को वरिष्ठ अधिकारी के नोटिस में लाया गया तथा श्री संजीव यादव, ए सी पी, निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा, निरीक्षक बदरीश दत्त, उप निरीक्षक संजय दत्त, उप निरीक्षक कैलाश बिष्ट, उप निरीक्षक राहुल, हैड कांस्टेबल अजीत संख्या 411/एस बी, हैड कांस्टेबल उदयवीर संख्या 2140/डी ए पी और कांस्टेबल गुलबीर सं. 4437 डी ए पी को शामिल करके एक टीम ने इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। इस उद्देश्य के लिए प्रबंध किए गए एक विशेष विमान में इस टीम ने दिल्ली से प्रस्थान किया। इस सूचना पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, सुरक्षाबलों को तैनात किया गया और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई। उक्त सूचना के तार जोड़ने के दौरान यह पता चला कि जे ई एम का भारी भरकम हथियारों से लैस एक उग्रवादी श्रीनगर में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहा है तथा वर्तमान में उसने घर संख्या 198, जवाहर नगर, श्रीनगर में शरण ले रखी है। घर पर निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा और निरीक्षक बदरीश दत्त द्वारा छापा मारा गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के विशेष आपरेशन ग्रुप (एसओ जी) से सम्पर्क किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के इन लघु परन्तु समर्पित अधिकारियों के ग्रुप को विपरीत परिस्थितियों के अन्तर्गत उग्रवादियों के विरुद्ध श्रेष्ठतम अभियान को अंजाम देना था। 20.11.2005 को अपराह्न लगभग 9 बजे विशेष प्रकोष्ठ और एस ओ जी की टीम ने घर संख्या 198, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया और घर को घेर लिया। सर्वप्रथम उस घर में रह रहे सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया जबकि पाकिस्तानी आतंकवादी जिसकी बाद में पहचान सैफुल्ला उर्फ काना निवासी बालाकोट, पाकिस्तान के रूप में की गई, ने ए के 47 और हथगोलों से लैस होकर मुख्य द्वार के सामने बाथरूम में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादी के लिए बाथरूम छुपने का श्रेष्ठ स्थान था। घर के दो प्रवेश द्वार थे, एक सामने और दूसरा घर के पीछे। बाथरूम से कोई भी व्यक्ति सामने वाले और पीछे वाले दरवाजे पर होने वाली हरकत पर नजर रख सकता था। एसाल्ट राइफल और हथगोले से लैस किसी व्यक्ति के लिए यह और भी आसान था। जब पुलिस पार्टी ने घर के निवासियों को बचाने और आतंकवादी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पर हथगोले फेंके। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोली चलानी शुरु कर दी। घर में छुपे खुखार आतंकवादी ने भीषण लडाई लडी। उसने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोली चलाई जिससे जम्मू और कश्मीर पुलिस के तीन कार्मिक घायल हो गए। यह लडाई लगभग एक घंटे तक चली। जब आतंकवादी की तरफ से गोली चलना बंद हो गई तो पुलिस पार्टी ने भी गोलीबारी बंद कर दी। सावधानीपूर्वक उसके पास जा कर उसे अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन राजबाग, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आई पी सी की धारा 307/121/122/120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत दिनांक 20.11.2005 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105/2005 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त संजीव यादव

ए सी पी संजीव यादव ने इस संपूर्ण अभियान में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, बेशक वह मामले को हल करना हो अथवा भारी शस्त्रों से लैस आतंकवादी का सामना करना हो। उन्होंने सम्पूर्ण अभियान का शुरुआत से पर्यवेक्षण किया। यह अभियान उनके द्वारा किया गया सबसे खतरनाक कार्य

था। वे इस अभियान के प्रभारी थे और उन्होंने अपने सभी कार्मिकों का ध्यान रखा और उनका लक्ष्य भारी शस्त्रों और गोलाबारूद के साथ घर में छुपे आतंकवादी को पकड़ना था। ए सी पी संजीव यादव ने नेतृत्व की सही भावना का परिचय देते हुए घर संख्या 198, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर को चारों ओर से घेर लिया। आतंकवादी को दिखाई देने वाले दो गेट थे, जिसने घर के बाथरूम में अपने आपको किलेबंदी कर रखी थी। एक गेट घर के सामने था जबकि दूसरा पीछे की ओर था पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं जोकि बाथरूम के बिल्कुल समीप थीं। आतंकवादियों के भागने के लिए ये सम्भावित रास्ते थे। ए सी पी संजीव यादव ने आतंकवादी को भागने न देने के स्पष्ट निर्देशों के साथ निरीक्षक मोहन चन्द शर्मा और निरीक्षक बदरीश दत्त को घर के सामने के और पिछले दरवाजे पर तैनात किया। उनका प्रमुख लक्ष्य घर के निवासियों को बाहर निकालना था, जोकि घर के विभिन्न कमरों में फंसे हुए थे और निरीह थे। ऐसी गंभीर स्थिति में घर के अन्दर के लोग अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे शस्त्रविहिन थे और वे पुलिस और आतंकवादी के बीच की गोलीबारी में फंस सकते थे। उन्होंने आतंकवादी से बातचीत करने की नवीन युक्ति, अपनाई, जोकि लगभग इतनी दूरी पर था कि वह उनकी बात सुन सके। उन्होंने सभी हथियारों और गोलाबारूद की परिधि में आतंकवादी के सम्मुख खड़े होकर आतंकवादी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने आतंकवादी को यह विश्वास दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी कि यदि वह गोली नहीं चलाता है तो वह सुरक्षित रहेगा। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए आतंकवादी को मनाने का प्रयास किया। आखिर में घर के अन्दर सिर्फ एक व्यक्ति बच गया, खतरे को भांपते हुए कि एक व्यक्ति अन्दर है, ए सी पी संजीव यादव ने आतंकवादी के लिए सिगरेट लाने के बहाने से घर के अन्दर से व्यक्ति को बाहर बुलाया। जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आया, आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया, जिसकी बाद में पहचान सैफुल्ला, जैश-ए-मोहम्मद के डिवीजनल कमान्डर के रूप में की गई। ए सीपी संजीव यादव बाल-बाल बचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लेते हुए स्टाफ को निर्देश देना जारी रखा और आतंकवादी को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से अपनी 9 एम एम से 3 राऊन्ड गोलीबारी की।

ए सी पी संजीव यादव ने तात्कालिक खतरे की परवाह किए बिना न केवल आतंकवादी को निष्क्रिय किया परन्तु आतंकवादी के साथ घर में फंसे अन्य पांच लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

निरीक्षक बदरीश दत्त

निरीक्षक बदरीश दत्त भी इस मामले में जुड़े थे, वे आतंकवादी के भागने के रास्ते को रोकने के उद्देश्य से घर संख्या 198, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के पिछले दरवाजे पर ए के 47 से सुसज्जित होकर तैनात थे। उन्होंने आतंकवादी के ठिकाने से कुछ ही गज की दूरी पर मोर्चा संभाल रखा था, दरवाजे को रोक रखा था और घर की प्रथम मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही घर के आखरी सदस्य को बाहर निकाला गया, क्रोधित आंतकवादी ने निरीक्षक बदरीश दत्त द्वारा संभाले गए मोर्चे सहित दोनों दिशाओं में गोली चलाना शुरु कर दिया। पूरी तरह यह जानते हुए कि उसे घेर लिया गया है, पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्ला ने भागने के उद्देश्य से ए के 47 द्वारा आक्रमण शुरु कर दिया। चूंकि पिछला दरवाजा उस स्थान से नजदीक था जहां आतंकवादी ने काफी शस्त्रों और गोला बारूद के साथ मोर्चा संभाल रखा था, इसलिए निरीक्षक बदरीश दत्त ने पिछले दरवाजे की रक्षा की जिम्मेदारी वहन की। आतंकवादी की गोलियों से घिरे हुए, आतंकवादी तक पहुंचना असम्भव था और घर में प्रवेश करना भी खतरनाक था। परन्तु जिस तरीके से आतंकवादी

कार्रवाई कर रहा था, उससे न केवल पुलिस पार्टी बल्कि आस-पास पड़ौस के लिए भी सम्भावित खतरा था। निरीक्षक बदरीश दत्त ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में रेंगते हुए घर में लड़ाई जारी रखी और आतंकवादी के नजदीक पहुंचना जारी रखा। निरीक्षक बदरीश दत्त ने जोखिम में संदेह से परे आतंकवादी के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखा और दूसरा कोई उनका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता था तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई उनको डिगा नहीं सकती थी। निरीक्षक बदरीश दत्त, आतंकवादी द्वारा की गई भारी गोलीबारी में फंस गए जोकि किसी भी कीमत पर पिछले दरवाजे से निकलने के लिए बेताब था, परन्तु निर्भीक निरीक्षक बदरीश दत्त ने गोलीबारी चालू रखी। युद्ध जैसी स्थिति में उन्होंने आतंकवादी की गोलियों का बहादुरी से सामना किया जोकि पूरी तरह किलेबंद था और जोकि अपनी एसाल्ट राइफल से गोलीबारी कर रहा था और साथ ही हथगोले भी फैंक रहा था। निरीक्षक बदरीश दत्त ने आतंकवादी पर गोलीबारी चालू रखी, आतंकवादी को झुकने और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

निरीक्षक बदरीश दत्त ने पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्ला को निष्क्रिय करने में सहज साहस, पराक्रमी राजनीतिक गुण और पुलिस की उच्चतम परम्परा की नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। निरीक्षक बदरीश दत्त ने आतंकवादी को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से अपनी ए के 47 से 5 राउन्ड गोलीबारी की।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त और बदरीश दत्त, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 115-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	पृथ्वी सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	सुखबीर सिंह मलिक, उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	राजबीर, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	ऋषि राज, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

निरीक्षक पृथ्वी सिंह को 01.09.2005 को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार और भगोड़ा अपराधी अमन कुमार भारी हथियारों से लैस होकर कोई अपराध करने की इच्छा से दुपहिया स्कूटर सं. डी. एल 7 एस-पी 4739 पर प्रातः 5 से 6 बजे के बीच गंदे नाले से होकर विजय विहार आयेगा। तत्काल निरीक्षक पृथ्वी सिंह स्टाफ के साथ घटनास्थल की तरफ दौड़े और क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर घेराबंदी की। निरीक्षक पृथ्वी सिंह और उप निरीक्षक सुखबीर सिंह ने स्वयं सबसे आगे मोर्चाबंदी की। प्रातः लगभग 5.22 बजे अमन कुमार को रिठाला रोड, मेट्रो स्टेशन की तरफ से दुपहिया स्कूटर पर आते हुए और विजय विहार की तरफ जाते हुए देखा गया। उप निरीक्षक सुखबीर सिंह और कांस्टेबल ऋषि राज (दोनों ने पुलिस वर्दी पहन रखी थी) ने स्कूटर चालक को रुकने का संकेत दिया, जिसने चालाक अपराधी होने के कारण पुलिस की उपस्थिति को भांप लिया और वो दुपहिया के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच, उसने अपनी रिवाल्वर निकाल ली और निरीक्षक पृथ्वी सिंह पर गोली चला दी, अपने सीने पर गोली लगने के बावजूद, अपने टीम के सदस्यों के जीवन को खतरे में भांपते हुए, अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए उन्होंने तुरन्त जवाब में गोली चला दी। उप निरीक्षक सुखबीर सिंह ने स्थिति का आकलन किया और अभियुक्तों को चुनौती दी, जिन्होंने जवाब में उप निरीक्षक सुखबीर सिंह पर गोली चला दी, उन्हें भी सीने पर गोली लगी। उप निरीक्षक सुखबीर सिंह ने भी जवाब में फुर्ती से गोली चलाई। निरीक्षक पृथ्वी सिंह और उप निरीक्षक सुखबीर सिंह बुलेट प्रुफ जैकेट पहने होने के कारण गोली लगने से बच गए। इसी बीच, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खतरे में देखते हुए कांस्टेबल राजबीर और कांस्टेबल ऋषि राज अपने जीवन की परवाह किए बिना अभियुक्तों की तरफ दौड़े और अभियुक्तों पर गोली चलाई। अमन कुमार ने निरीक्षक पृथ्वी सिंह और उप निरीक्षक सुखबीर सिंह पर भारी गोलीबारी की। दोनों अपने जीवन की परवाह किए बिना, अनूठी वीरता का परिचय देते हुए आगे आए और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए सीधे अमन कुमार की तरफ बढ़ना शुरु कर दिया। जब अभियुक्त की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई, वह गंभीर रूप से घायल पाया गया तथा उसे पुलिसपार्टी द्वारा तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कांस्टेबल राजबीर भी घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए उसी अस्पताल भेजा गया। आई पी सी की धारा 186/353/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 878/05 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन रोहिणी, दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया। निरीक्षक पृथ्वी सिंह और उप निरीक्षक सुखबीर मलिक और उनके साथी पुलिस कार्मिकों का यह असाधारण प्रयास था,जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना असाधारण साहस, कर्त्तव्यनिष्ठा और पराक्रमी कृत्य का परिचय दिया। संस्तुत टीम सदस्यों द्वारा कर्त्तव्य के प्रति प्रदर्शित

प्रतिबद्धता उच्चकोटि की थी।ऐसी विपरीत स्थिति में जब हताश अपराधी अंधाधुंध गोली चला रहा था, पुलिस पार्टी को गंभीर चोटें पहुंच सकती थीं।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पृथ्वी सिंह, निरीक्षक, सुखबीर सिंह मलिक, उप-निरीक्षक, राजबीर, कांस्टेबल और ऋषि राज, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक पुरस्कार के सम्बंध में लागू पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 सितम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 116-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. एस. प्रवीण कुमार, प्रभारी, पुलिस अधीक्षक
2. बिभूति भूषण परिदा, पुलिस सार्जेंट
3. राजेन्द्र कुमार बारिक, पुलिस उप सूबेदार
4. बिष्णु प्रसाद धाकल, हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.04.2006 को प्रातः नामांकित-1 एस. प्रवीण कुमार, आई पी एस पुलिस अधीक्षक (आई/सी), देवगढ को विगत रात्रि में रीमल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत अदाश गांव में 20 माओवादियों की हिंसात्मक गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त हुई। नामांकित-1 ने अपने सूत्र से सम्पर्क किया और माओवादियों की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित की, उनको निष्क्रिय करने के लिए व्यापक युक्तिपूर्ण योजना तैयार की, अधिकारियों और उपलब्ध बल को तीन आक्रमण दलों में विभाजित किया, उनको विस्तार से ब्रीफ किया और आगे बढकर स्वयं समग्र अभियान का नेतृत्व किया। नामांकित-2 श्री बिभूति भूषण परिदा, नामांकित-3 श्री राजेन्द्र कुमार बारिक और नामांकित-4 श्री बिष्णु प्रसाद धाकल ने तीन आक्रमण दलों का नेतृत्व किया। नामांकित-1 के नेतृत्व के अन्तर्गत पुलिस टीम ने घने कनसर रिजर्व जंगल और पहाड़ से तपते सूर्य की गर्मी में पैदल यात्रा की और गांव बाराखोल के निकट पहुंचने के पश्चात उन्होंने उस प्रतिकूल भूभाग में सभी दिशाओं से क्षेत्र की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जंगल में आगे बढ़ते हुए और सभी सावधानियां बरतते हुए, नामांकित-1 और नामांकित-2 ने, जोकि आक्रमण टीमों के आगे चल रहे थे, जैतूनी हरी वर्दी में और राइफल ले

जाते हुए माओवादियों के ग्रुप को देखा। नामांकित-1 ने भागने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए बाएं और दाएं पार्श्वभाग से आगे बढ़ने के लिए नामांकित-3 और नामांकित-4 को निर्देश दिया। उसके निर्देश पर नामांकित-2 ने स्पष्ट और तेज आवाज में माओवादी ग्रुप को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन माओवादी ग्रुप ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। तीन आक्रमण टीमों ने माओवादी द्वारा उन पर बरसाई जा रही गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना साहस के साथ उपलब्ध कवर में आगे बढ़ना शुरु किया और आत्मरक्षा में गोलीबारी का जवाब दिया। नामांकित-1 और नामांकित-2 मुख्य आक्रमण टीम के आगे थे और सबसे पहले माओवादियों की गोलीबारी में फंसे. नामांकित-3 और नामांकित-4 क्रमशः बाएं और दाएं पार्श्वभाग पर आगे से आक्रमण टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। वे युक्तिपूर्वक आगे बढ़े और अपने जीवन को उत्पन्न आसन्न खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने बाएं और दाएं से माओवादी ग्रुप को भागने से रोका। यह भीषण गोलीबारी की मुठभेड़ 30 मिनटों तक चली और इसके परिणामस्वरुप तीन खूंखार माओवादी कैडर मारे गए जिनमें से एक क्षेत्रीय कमान्डर था। नामांकित-4 सहित चार पुलिस कार्मिकों को इस अभियान में मामूली चोटें पहुंची। गोलीबारी बंद होने के पश्चात पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की तलाशी ली और उन्हें तीन शव बरामद हुए जिनकी पहचान माओवादी राजू उर्फ संजीव बिस्वाल, टूना उर्फ टूना बलुआ और जयन्त के रूप में की गई। वे माओवादी हिंसा के कई मामलों में शामिल थे और भगोड़े थे। अभियुक्त टूना बलुआ के विरुद्ध सामूहिक हत्या सहित माओवादी हिंसा के मामलों से संबंधित छः एन बी डब्ल्यू लम्बित थे। मुठभेड़ स्थल से एक एस एल आर, भारी मात्रा में गोली बारुद, डेटोनेटर, व्यक्तिगत सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज/माओवादी साहित्य/उनके संगठन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकें, कैडर और भविष्य की योजनायें आदि बरामद की गई। यह आई पी सी की धारा 147/148/307/121/121-/ए/122/121-ए/149, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत दिनांक 18.04.2006 रीमल पुलिस स्टेशन के मामला सं. 53 से संबंधित मामला है। गोलीबारी की यह उत्कृष्ट मुठभेड, सी पी आई (माओवादी) के एस.डी.एस. जोनल समिति के सशस्त्र केडरों के साथ प्रथम सफल मुठभेड थी जिसमें उनके काफी केडर हताहत हुए थे। केन्द्रीय उड़ीसा में 2003 के शुरू में उनके अभियान की शुरुआत से उनके द्वारा की गई अनियंत्रित हिंसा के बावजूद, पुलिस कार्रवाई में उनका कोई केडर हताहत नहीं हुआ था, वे लगभग अपराजेय थे। इस अकेले सफल अभियान ने उड़ीसा में सी पी आई (माओवादी) आन्दोलन को गहरा आघात पहुंचाया था और लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया था। अपने जीवन को उत्पन्न भारी जोखिम की परवाह किए बिना इस अत्यधिक सफल नक्सलवादी विरोधी अभियान को आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान करने में नामांकित 1, 2, 3 और 4 द्वारा दिखाई गई दृढ़ता, बहादुरी, साहस, उद्देश्य और कर्त्तव्यनिष्ठा ने बल के मनोबल को काफी ऊंचा बढ़ाया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एस. प्रवीण कुमार, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, बिभूति भूषण परिदा, पुलिस सार्जेंट, राजेन्द्र कुमार बारिक, पुलिस उप सुबेदार और बिष्णु प्रसाद धाकल, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.4.2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 117-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कौशिक सरकार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

आई पी सी की धारा 364 के तहत लोंगथोरई वैली पुलिस स्टेशन मामला सं. 8/2006 के संबंध में अपहृत लडकी की बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए वे 5.8.2006 को उप निरीक्षक अपन बरमन, कांस्टेबल सी/6857 विश्व कुमार देबबर्मा और महिला कांस्टेबल लक्ष्मी दास, लोंगथोरई वैली पुलिस स्टेशन से नयनिया मुरा, बामुतिया, पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट, पश्चिम त्रिपुरा जिले के लिए निकले। हालांकि लड़की को बरामद करने के अपने प्रयास में वे सफल नहीं हो सके। 7.8.2006 को अपराह्न में वे पुलिस स्टेशन की जीप में नयनिया मुरा से लोंगथोरई वैली पुलिस स्टेशन लौट रहे थे। जब वे अम्बासा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित हादुकलाक पारा पहुंचे तो 7.8.2006 को लगभग 1835 बजे सडक के किनारे छुपे हुए स्थान से अत्याधुनिक हथियारों से एन एल एफ टी (बी एम) के संदिग्ध उग्रवादियों के ग्रुप द्वारा उन पर हमला किया गया। ए के सीरीज और एस एल आर जैसे अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी के अलावा उग्रवादियों ने हथगोले भी फैंके और 41 एम एम मोर्टर शैल का भी प्रयोग किया। वाहन के सभी यात्री, उग्रवादियों की गोली का निशाना बने। उप निरीक्षक अपन बरमन, कांस्टेबल विश्व कुमार देबबर्मा और वाहन के चालक नामत: रुपम देबबर्मा घटनास्थल पर ही मारे गए। वाहन सड़क किनारे 50 फीट गहरे लुँगे में गिर गया। हथियारों की लूट सुनिश्चित करने के लिए उग्रवादी गोलीबारी करते रहे। गोलियों की बौछार के बीच कांस्टेबल कौशिक सरकार अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन की बिल्कुल परवाह किए बिना गोलीबारी का जवाब देने के लिए घायल अवस्था में ही वाहन से बाहर निकल आए। कांस्टेबल कौशिक सरकार की बहादुरी और साहसपूर्ण कृत्य के कारण उग्रवादी जिनकी संख्या अधिक थी और जो लाभप्रद स्थिति में थे, हथियारों को लूटने में और अधिक नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। वे अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस स्थान से भाग गए। कौशिक ने अपनी ए के 47 राइफल से कुल 29 राउन्ड गोली चलाई। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात, उन्होंने घटना के बारे में अपने मोबाइल टेलीफोन से ओ सी, लोंगथोरई वैली पुलिस स्टेशन और अन्यों को सूचित किया। जब ओ सी अम्बासा पुलिस स्टेशन अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुँचे, बचाव अभियान के लिए कौशिक ने सबसे पहले उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने तत्काल घायल महिला कांस्टेबल लक्ष्मी दास और कौशिक सरकार को अस्पताल पहुंचाया। लक्ष्मी दास (बर्मन) गर्भावस्था की अपनी चरम अवस्था में थी। आई पी सी की धारा 148/149/302/326/307/353 और ई एस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज अम्बासा पुलिस स्टेशन मामला सं. 41/2006 में इसका उल्लेख है। उक्त कार्रवाई में धलाई जिला पुलिस के कांस्टेबल श्री कौशिक सरकार ने अत्यधिक साहस, बहादुरी, युद्ध कौशल, रणभूमि क्रेप, युक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदर्शित किया।

इस मुठभेड़ में, श्री कौशिक सरकार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 अगस्त, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 118-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कृष्णा चन्द्र सिंह, कम्पनी कमान्डर
2. नरेश सिंह यादव, प्लाटून कमान्डर
3. मुशर्रफ अली, हैड कांस्टेबल
4. शत्रुघन दुबे, हैड कांस्टेबल
5. हिमांशु यादव, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.7.05 को लगभग 0915 बजे पांच आतंकवादियों ने प्राइवेट जीप किराए पर ली और 05.07.2005 को जैन मंदिर के निकट इसमें विस्फोट कर दिया। विस्फोट के परिणामस्वरूप 8 से 10 मीटर तक के अवरोधक बाड़ नष्ट हो गए। आतंकवादियों ने धुंए और शोरगुल का लाभ उठाते हुए अपनी पीठ पर बैग लादे हुए और अपने हाथों में स्वचालित हथियार लिए हुए परिसर में प्रवेश किया तथा के आर जे बी/बी एम मुख्य संरचना के आंतरिक घेरे की तरफ तत्काल दौड़े। कम्पनी कमान्डर कृष्णा चन्द्र सिंह और प्लाटून कमान्डर नरेश सिंह यादव के नेतृत्व के अन्तर्गत गश्त ड्यूटी पर तैनात पी ए सी कार्मिकों ने तत्काल मोर्चा संभाला और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को गोली का जवाब देकर व्यस्त करना शुरु कर दिया जोकि पुलिस बल की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। हैड कांस्टेबल 11वीं बटालियन पी ए सी श्री मुशर्रफ अली, हैड कांस्टेबल 42वीं बटालियन पी ए सी शत्रुघन दुबे और कांस्टेबल 11वीं बटालियन पी ए सी हिमांशु यादव द्वारा अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया गया। कम्पनी कमान्डर विजाती टीनो और महिला कम्पनी कमान्डर संतो देवी के नेतृत्व के अन्तर्गत आंतरिक घेराबंदी ड्यूटी पर तैनात सी आर पी एफ कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मोर्चों से आतंकवादियों के आक्रमण के विरुद्ध तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। उप-निरीक्षक सी आर पी एफ नन्द किशोर सिंह, हैड कांस्टेबल सी आर पी एफ सुल्तान सिंह और हैड कांस्टेबल सी आर पी एफ धर्मवीर सिंह ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। ये सभी तीनों सी आर पी एफ कार्मिक गोली से घायल हो गए। आर जे बी/बी एम परिसर पर आतंकवादियों के हमले का संदेश वायरलैस के जरिए तत्काल पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया। एस एस पी फैजाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक शहर और अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा, भी अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ आर जे बी/बी एम परिसर पहुंच गए। सी आर पी एफ, पी ए सी और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त पुलिस बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगभग डेढ घंटे तक चली। इसके फलस्वरूप सभी पांचों आतंकवादी

धराशायी हो गए जिन्होंने समग्र देश में साम्प्रदायिक दुर्भावना पैदा करने और दंगे करवाने के नापाक इरादे से उस संरचना पर हमला किया था। पुलिस बलों के इस प्रयास की समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा और सराहना की गई। श्री कृष्णा चन्द्र सिंह, कम्पनी कमान्डर, 11वीं बटालियन पी ए सी, श्री नरेश सिंह यादव, पी. कमान्डर, 11वीं बटालियन पी ए सी, श्री मुशर्रफ अली, हैड कांस्टेबल, 11वीं बटालियन, पी ए सी, श्री शत्रुघन दुबे, हैड कांस्टेबल, 42वीं बटालियन, पी ए सी तथा श्री हिमांशु यादव, कांस्टेबल, 11वीं बटालियन, पी ए सी ने आतंकवादियों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना किया और अदम्य वीरता का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कृष्णा चन्द्र सिंह, कम्पनी कमान्डर, नरेश सिंह यादव, प्लाटून कमान्डर, मुशर्रफ अली, हैड कांस्टेबल, शत्रुघन दुबे, हैड कांस्टेबल और हिमांशु यादव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 119-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तरांचल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आलोक शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक
3. राजेन्द्र सिंह ह्यांकी, निरीक्षक
4. रमेश चन्द्र लोहानी, उप-निरीक्षक
5. प्रकाश चन्द्र मथपाल, उप-निरीक्षक
6. रवि त्यागी, उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.6.2006 को दाऊद के सहयोगी प्रकाश पांडेय गैंग से जुड़े तीन अपराधियों ने अपने सहयोगियों की सहायता से एक खतरनाक हमले की योजना बनाई और नैनीताल जेल से भाग गए। श्री आलोक शर्मा, एस एस पी नैनीताल, के योग्य नेतृत्व के अन्तर्गत जिला पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल अभियान शुरु किया। पुलिस धनचुली के निकट एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रही जिसने अन्य अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए निकटवर्ती जंगल मार्ग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। एस एस पी ने अपराधियों का पीछा करने के लिए तीन पुलिस पार्टियों का गठन किया। कठिन पहाड़ी और जंगली भूभाग में लगभग पांच घंटे तक पीछा करने के पश्चात पुलिस

पार्टियाँ, अपराधियों पर अपना शिकंजा कसने में कामयाब रही जोकि प्राकृतिक रूप से किलेबंद और ऊंचे स्थान पर चढ़े हुए थे। सतत् अंतराल पर अपराधियों से सम्पर्क स्थापित करने पर एस एस पी ने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तथापि, अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी और बम फेंकना शुरु कर दिया। एस एस पी ने पुलिस पार्टियों को आत्मरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया और अपराधियों द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी के कारण अपने जीवन पर उत्पन्न गहरे खतरे के बावजूद, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए अपराधियों की तरफ रेंगते हुए आगे बढना शुरु किया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से अपराधियों पर गोली चलाना शुरु कर दिया तथा इसके साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पार्टियों की हलचल का समन्वय किया। उनके अनुकरणीय साहस और नेतृत्व ने उनकी टीम का उत्साह बढाया और उर्जा प्रदान की। उनकी योग्य कमान्ड के अन्तर्गत उप निरीक्षक आर सी लोहानी ने भी अपराधियों पर गोलीबारी करते हुए आगे बढना शुरु किया और अपराधियों द्वारा की जा रही गोलीबारी में निर्भीक साहस का परिचय दिया। पुलिस उपाधीक्षक वाई एस रावत ने निरीक्षक आर एस हयांकी के साथ दूसरी पुलिस पार्टी का नेतृत्व करते हुए, बिना थके अपराधियों का पीछा किया और उत्तरी दिशा से उनको उलझाए रखा। एस एस पी के निर्देशों के अन्तर्गत ये दोनों अधिकारी अपराधियों पर टूट पड़े जोकि पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे और बम फैंक रहे थे। इन दोनों अधिकारियों ने अपने हथियारों से गोलीबारी शुरु की और ये अपने जीवन को उत्पन्न अत्यधिक खतरे के बावजूद अपराधियों पर टूट पड़े जिससे पुलिस टीम के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिली। इस परस्पर गोलीबारी के दौरान दो अपराधी मारे गए जबकि तीसरा भाग गया। एस एस पी ने तीसरी पुलिस पार्टी के लीडर उप निरीक्षक पी सी मथपाल के साथ उप निरीक्षक रवि त्यागी को भागे हुए अपराधी का पीछा करने का निर्देश दिया। सुबह तडके तक सात घंटों तक पीछा करने के पश्चात यह पार्टी तीसरे अपराधी को ढूंढने में भी सफल रही। ड्रैगन लाइटों का इस्तेमाल करके इस पार्टी द्वारा अपराधी को देखा गया। तथापि अपराधी ने पुलिस पर गोलीबारी करना और बम फैंकना शुरु कर दिया। अंधेरे और अपने जीवन को उत्पन्न अत्यधिक खतरे के बावजूद, इन दोनों अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए अपराधी पर शिकंजा कसने में प्रेरणाप्रद साहस और बहादुरी का परिचय दिया। परस्पर गोलीबारी में तीसरा अपराधी भी मारा गया। पुलिस पार्टी लखनऊ से उन चार अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही जिन्होंने भागने की योजना बनाई थी। तीन देशी पिस्तौल, कारतूस, हथगोले, दो टोएटा क्वालिस बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आलोक शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक, राजेन्द्र सिंह हयांकी, निरीक्षक, रमेश चन्द्र लोहानी, उप-निरीक्षक, प्रकाश चन्द्र मथपाल, उप-निरीक्षक तथा रवि त्यागी, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 जून, 2006 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 120-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रामेन्द्र खाडका, राइफल मैन
2. जगदेव सिंह, राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सामान्य क्षेत्र कामरंगा में यू एन एल एफ केडरों की उपस्थिति के बारे में कुछ विशिष्ट आसूचना रिपोर्टें थीं। 8 जून, 2006 को सामान्य क्षेत्र सरक अटंनबी, जिरीबाम में एक घर में यू एन एल एफ केडरों की बैठक के बारे में सूचना प्राप्त हुई। एक अधिकारी, एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 20 अन्य रैंकों को एक सन्तुलित और सख्त टीम को तत्काल 1900 बजे रवाना किया गया। सं. 574281, राइफलमैन/जनरल ड्यूटी (लांस हवलदार) रामेन्द्र खाडका टीम के गैर कमीशंड प्रभारी अधिकारी तथा सं. 57698, एक्स राइफल मैन/जनरल ड्यूटी जगदेव सिंह, टीम के स्काउट ने पहचान से बचने के लिए अत्यधिक जटिल और अननुमेय मार्ग से पार्टी का मार्गदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचने पर घर के आसपास घेरा डाला गया। मेजर अभिषेक सिंह, आई सी-64971एम के साथ श्री रामेन्द्र खाडका ने घर पर धावा बोल दिया। दो यू एन एल एफ केडर घर के अन्दर मौजूद थे। उन्होंने खिडकी से कूदकर भागने का प्रयास किया। राइफलमैन/जी डी रामेन्द्र खाडका अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जोखिम की परवाह किए बिना, तात्कालिक खतरे की स्थिति में उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए, एक उग्रवादी पर टूट पड़े और उसको समर्पण के लिए मजबूर कर दिया। श्री जगदेव सिंह, राइफल मैन/जी डी जिसने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जोखिम की परवाह किए बिना भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, कर्त्तव्य पालन से ओतप्रोत अनुकरणीय व्यक्तिगत साहस और आत्मबलिदान की भावना का परिचय देते हुए वह दूसरे उग्रवादी पर टूट पड़े जो खिडकी से बाहर कूदा था और भागने का प्रयास कर रहा था। इस अभियान में दो उग्रवादी एस एस सी पी एल संजीत वांगलेन सेना उर्फ लम्बू और एस एस एल/सी पी एल युंगनम प्रेम उर्फ अहीम को पकडा गया और उनके पास से निम्नलिखित शस्त्र/गोला बारुद बरामद किए गए:-

1.	चीनी ग्रेन	-	02 संख्या
2.	आई सी ओ एम सेट	-	01 संख्या
3.	7.62 एम एम ए के गोली	-	24 राउन्ड

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री रामेन्द्र खाडका, राइफलमैन और जगदेव सिंह, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जून, 2006 से दिया जाएगा।

अरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 121-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री गणेश कुमार दमई
राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

12 जुलाई, 2006 को सामान्य क्षेत्र मंत्री पुखरी में कम्पनी कमान्डर के नेतृत्व में किए गए तलाशी अभियान का संख्या जी/411949 एन राइफल मैन जनरल ड्यूटी गणेश कुमार दमई हिस्सा थे। 1650 बजे तलाशी अभियान के दौरान संदिग्धों ने टुकडियों को देखा और भागने का प्रयास किया। राइफल मैन जनरल ड्यूटी गणेश कुमार ने दो अधिकारियों के साथ तत्काल संदिग्धों का पीछा किया और उनको घेर लिया। भूमिगतों ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरु कर दी और भागने का प्रयास किया। कर्तव्य पालन से ओतप्रोत, अत्यन्त जोखिम में, अत्यधिक उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढे। आमना-सामना हुए भूमिगत द्वारा चलाई जा रही गोली की भी उन्होंने परवाह नहीं की। इस निडरतापूर्ण अभियान में दो आतंकवादी गोलीबारी में मारे गए और एक 9 एम एम चीनी पिस्तौल, एक मेगजीन और कुछ गोला बारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री गणेश कुमार दमई, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

10—141 GI/07

सं0 I.22-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजेन्द्र कुमार, राइफल मैन
2. राघो राम चन्द्रवंशी, राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15 अगस्त 2006 अर्थात् स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अधिकारी सहित चार यू एन एल एफ कैडरों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर विध्वंसकारी गतिविधियां किए जाने की संभावना के बारे में यूनिट को लगातार आसूचना रिपोर्टें प्राप्त हो रही थीं। मेजर अभिषेक सिंह आई सी-64971 एम के नेतृत्व में एक अधिकारी, एक जूनियर कमीशंड अधिकारी और 20 अन्य रैंकों को आक्रमाक टीम को 13 अगस्त, 2006 को असम में लाखीनगर क्षेत्र में भेजा गया। राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राजेन्द्र कुमार और राइफलमैन/जनरल ड्यूटी राघो राम चन्द्रवंशी टीम में क्रमश: स्काउट नम्बर 1 और स्काउट नम्बर 2 की ड्यूटी निष्पादित कर रहे थे। इस सूचना के साथ कि उग्रवादी जीरी नदी के पार लाखी नगर गांव में छुपे हुए हैं, टीम ने गुप्त रूप से 2230 बजे मणिपुर से असम में प्रवेश किया। टीम ने छोटी नावों में अंधेरे का फायदा उठाते हुए नदी पार की और गांव पहुँचे। लाखीनगर गांव पहुंचने पर, एक महिला मुखबिर ने मणिपुर समुदाय के एक घर में यू एन एल एफ (एस एस एल टी खाबा) के स्वयंभू अधिकारी की मौजूदगी के बारे में सूचित किया। घर को तत्काल घेर लिया गया तथा तलाशी शुरु की गई। राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राजेन्द्र कुमार और राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राघो राम चन्द्रवंशी ने अपनी सारी युक्ति और देशी फील्ड क्राफ्ट का प्रयोग करते हुए, पूर्णरूप से आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़कर घर में प्रवेश किया। उग्रवादियों के भागने को सुविधाजनक बनाने के लिए मणिपुर महिलाओं द्वारा मानव सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किए जाने के बावजूद राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राजेन्द्र कुमार और राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राघो राम चन्द्रवंशी ने व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उत्कृष्ट कर्मठता और सहज प्रतिक्रिया का परिचय देते हुए, भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करना शुरु किया। उग्रवादियों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए उन्होंने एक-एक उग्रवादी को शारीरिक रूप से काबू में कर लिया, कोई सिविलियन हताहत न होने अथवा समर्पापूर्वक क्षति न होना सुनिश्चित करते हुए उनको पूरी तरफ समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। घटनास्थल पर पूछताछ और घर की तलाशी के पश्चात हथियारों की बड़ी तादाद और युद्ध सामग्री जैसे भंडार बरामद किए गए। 'आपरेशन लाइटनिंग' की सफलता का श्रेय राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राजेन्द्र कुमार और राइफल मैन/जनरल ड्यूटी राघो राम चन्द्रवंशी की त्वरित प्रतिक्रिया और बुद्धिमता को जाता है। निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

(क)	.38 रिवाल्वर	01 संख्या
(ख)	शैफील्ड 12 बोर डी बी बी एल बंदूक	12 संख्या
(ग)	कारतूस पिस्तौल 38	12 संख्या
(घ)	कारतूस 12 x बोर	04 राउन्ड

(ङ)	ग्रेनेड	02 संख्या
(च)	कारतूस 8 एम एम	56 राउन्ड
(छ)	लाथोद फायरड केस	02 संख्या
(ज)	आर एस मोटोरोला	01 संख्या
(झ)	टेलीस्कोप साइट मशीन गन	01 संख्या

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजेन्द्र कुमार, राइफल मैन और राघो राम चन्द्रवंशी, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 अगस्त, 2006 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 123-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संतोष कुमार, उप-निरीक्षक
2. अल्ताफ हुसैन, कांस्टेबल
3. बलजिन्द्र सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलवामा जिले (जम्मू और कश्मीर) के त्राल शहर के गनई-मोहल्ला क्षेत्र में जे ई एम गुट की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट 5जीएच सूचना के आधार पर 19 फरवरी, 2006 को 173वीं बटालियन बी एस एफ और एस ओ जी त्राल की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर पार्टी ने उपयुक्त घेराबंदी की और भागने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। अब्दुल अहद गनई पुत्र अब्दुल अजीज गनई के घर पर धावा बोलने के लिए एक तलाशी पार्टी को तैनात किया गया। पार्टी ने घर में पहुंचने के बाद तलाशी लेनी शुरु कर दी। घर के अन्दर बी एस एफ टुकड़ियों की हरकत को देखने पर, घर के एक कमरे में पहले से मौजूद उग्रवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया जिसका घेराबंदी पार्टी द्वारा तत्काल जवाब दिया गया। उग्रवादी और घेराबंदी पार्टी के बीच लगातार हो रही परस्पर गोलीबारी के कारण तलाशी पार्टी घर में ही फंस गई और उनका घर से सुरक्षित बाहर निकलना असम्भव हो गया। उग्रवादियों ने घेराबंदी में फंसे होने के कारण घेरा तोड़ने और भागने का प्रयास किया। इस पर कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह ने, जोकि आंतरिक घेरे में थे, तत्काल कार्रवाई की और प्रभावपूर्ण गोलीबारी द्वारा उग्रवादियों द्वारा किए गए भागने के प्रयास को

असफल कर दिया और घर में ही फंसे रहने पर मजबूर कर दिया। उप निरीक्षक संतोष कुमार ने, जिन्होंने लक्षित घर के आगे प्रत्यक्ष रूप से मोर्चा संभाल रखा था, घर के प्रवेश द्वार के जरिए उग्रवादियों द्वारा किए गए भागने के अन्य प्रयास को असफल कर दिया। हताश उग्रवादियों ने अपने भागने के लिए रास्ता खोलने हेतु तलाशी पार्टी की तरफ दो हथगोले फैंके। उप निरीक्षक संतोष कुमार और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन की परवाह किए बिना, रेंगते हुए लक्षित घर की तरफ बढ़े और प्रथम मंजिल की खुली खिड़की के जरिए प्रत्येक ने हथगोले फैंके। हथगोले के विस्फोट के कारण भवन की ऊपरी मंजिल ढह गई। एक उग्रवादी ने विस्फोट और धूल का लाभ उठाते हुए, गोलीबारी करते हुए घर की टूटी हुई दिवार के जरिए भागने का प्रयास किया। घेराबंदी पार्टी के कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह ने तत्काल उग्रवादी की हरकत को देख लिया तथा तुरन्त कार्रवाई में उग्रवादी से उनका लगभग आमना सामना हो गया। कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह ने अपना धैर्य बनाए रखा और पेशेवर तरीके के दुर्लभ गुणों का प्रदर्शन करते हुए ऐसी विकट स्थिति में असाधारण साहस दिखाते हुए उग्रवादी पर गोली चलाई। तथापि घायल उग्रवादी, घर में वापस घुसने में सफल रहा। उप निरीक्षक संतोष कुमार और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन ने दुबारा घर के अंदर दो और हथगोले फैंके। जब पार्टी घर के अन्दर प्रवेश हेतु रास्ता बनाने के लिए मलबे को हटा रही थी, एक उग्रवादी गोलीबारी करते हुए अचानक बाहर आ गया। इस पर उप निरीक्षक संतोष कुमार ने तुरन्त प्रतिक्रिया की और सटीक गोलीबारी में उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। घर के मलबे को हटाते हुए दूसरे अन्य उग्रवादी का शव भी बरामद हुआ। मारे गए दोनों उग्रवादियों की बाद में पहचान अली मोविया निवासी पाकिस्तान त्राल शहर में जे ई एम का मुखिया (वर्ग ए एक का उग्रवादी) तथा मोहम्मद खालिद, निवासी पाकिस्तान जे ई एम से सम्बद्ध के रूप में की गई। .01 ए के 47 राइफल, 01 ए के 47 राइफल, 01 ए के 56 राइफल, 06 ए के मेगजीन के साथ ए के सीरीज गोला बारूद के 22 राउन्ड भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री संतोष कुमार, उप-निरीक्षक, अल्ताफ हुसैन, कांस्टेबल और बलजिन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 124-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रोहताश, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बांदीपुर-श्रीनगर रोड पर, बांदीपुर से लगभग 8 किमी दूरी पर बांदीपुर, जिला -बारामुल्ला (जम्मू और कश्मीर) के गांव गुंड्डासन-मलिकपुरा-बरार के सामान्य क्षेत्र में स्थित सेब के एक बाग में 2 से 3 उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में 31 अगस्त, 2005 को लगभग 1130 बजे सेक्टर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) बांदीपुर की फील्ड "जी" टीम द्वारा दी गई विशिष्ट सूचना के आधार पर तत्काल स्थिति का जायजा लिया गया और कमांडेट 116 बटालियन बी एस एफ ने अपनी टुकड़ियां और जी टीम और 14 आर आर (स्थानीय आर आर यूनिट) के साथ मिलकर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना तैयार की। संयुक्त पार्टी उस क्षेत्र में पहुंची और उन्होंने 1250 बजे लक्षित सेब के बाग की घेराबंदी करनी शुरु कर दी। जब घेराबंदी की जा रही थी तभी उस सेब के बाग में पहले से ही रक्षात्मक स्थिति में मौजूद उग्रवादियों ने ए के श्रेणी के हथियारों, यू बी जी एल से पार्टी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी और हैंड ग्रेनेड फेंके जिसकी उक्त टुकड़ियों द्वारा तत्काल कारगर रुप से जवाबी कार्रवाई की गई। आपसी गोलीबारी के दौरान, 90 बटालियन बी एस एफ के संख्या 88123872 कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह और 116 बटालियन बी एस एफ के संख्या 99000601 7 कांस्टेबल राशी अहमद गोलियाँ लगने से जख्मी हो गए। उन्हें तत्काल बी एस एफ अस्पताल, बांदीपुर ले जाया गया जहां संख्या 88123872 कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह ने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। उग्रवादियों ने घेराबंदी करने वाली पार्टी पर भारी गोलीबारी जारी रखी और वे आंतरिक घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब हो गए। आंतरिक घेराबंदी को तोड़ने के पश्चात, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बच कर भागने का हताशा भरा प्रयास किया। जिसके परिणामस्वरुप, 14 आर आर के नायब सूबेदार बीर सिंह, लांसनायक यशपाल और राइफलमैन महाबीर सिंह गोलियां लगने से जख्मी हो गए। उन्हें तत्काल हवाई जहाज से 92 बी एच श्रीनगर ले जाया गया। इसी बीच, घनी वनस्पति, झाड़-झंखाड़ और टेढ़े-मेढ़े भूभाग का लाभ उठाते हुए, एक उग्रवादी एक गहरे नाले में कूद गया। नाले के किनारे पहले से ही पोजीशन लिए हुए 116 बटालियन बी एस एफ के संख्या 92644304 कांस्टेबल रोहताश ने उग्रवादी को बीच में रोक लिया और उसके बच कर भाग निकलने के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए उसे ललकारा। ललकारे जाने पर, उस उग्रवादी ने अपनी बंदूक की नाल कांस्टेबल रोहताश की ओर कर दी और गोलीबारी शुरु कर दी लेकिन कांस्टेबल रोहताश ने धैर्य बनाए रखा और ऐसी गंभीर स्थिति में उच्च स्तरीय पेशेवरी प्रदर्शन किया और फील्ड क्राफ्ट का उपयोग किया तथा रणनीतिक पोजीशन ले ली और कारगर गोलीबारी करके उग्रवादी को उलझा लिया और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी उग्रवादी ने नाले में एक सुराख के अंदर मोर्चा ले लिया और कांस्टेबल रोहताश पर गोलीबारी जारी रखी। उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी उस बहादुर कांस्टेबल को डरा नहीं सकी और वे लोहे की दीवार के रुप में बच कर भाग निकलने वाले मार्ग को अवरुद्ध करके जान की परवाह किए बिना वे वीरतापूर्वक अपने मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने निरंतर गोलीबारी करके उग्रवादी को उलझा लिया और अंत में नजदीकी लड़ाई में उसे घटनास्थल पर मारने में सफल हो गए। मारे गए उग्रवादी की बाद में

सैयद हसीर हुसैन साहा पुत्र सैयद युसुफ हुसैन शाह, निवासी बंदसामा, जिला-मुजफ्फराबाद (पाक अधिकृत कश्मीर) के रूप में पहचान की गई। मारे गए उग्रवादी से 01 ए के 47 राइफल, ए के श्रेणी गोलाबारूद के 70 नग, ए के मैगजीन के 03 नग, 01 प्लास्टिक ग्रेनेड, 01 रेडियो सेट और 01 यू बी जी एल बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री रोहताश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31अगस्त, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 125-प्रेजे/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री डी. परेश राभा (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22 दिसंबर, 2005 को लगभग 1515 बजे, दो उग्रवादी सोपोर, जिला-बारामुल्ला (जम्मू और कश्मीर) के टाऊन हाल में स्थित टैक मुख्यालय के प्रमुख गेट के निकट 112 बटालियन बी एस एफ की सचल जांच चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने के पश्चात सड़क की भीड़ का लाभ उठाते हुए बच कर भागने में सफल हो गए। 112 बटालियन बी एस एफ की टुकड़ियां तत्काल हरकत में आई और उन्होंने नजदीक की इमारतों की घेराबंदी कर दी और बच कर निकल सकने वाले सभी संभावित मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। यह देखा गया कि समीप की जम्मू और कश्मीर बैंक की इमारत के सिविलियनों /फेरीवालों ने अपने सामान और वाहन इत्यादि को छोड़कर तेजी से इधर-उधर भागना शुरु कर दिया। लोगों के इस तरह के अजीबो-गरीब व्यवहार और भय से उस क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। तदनुसार, क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया और बाहरी घेराबंदी को और ज्यादा व्यापक किया गया। निर्मित और काफी जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के कारण, यूनिट ने बगैर कोई समय गंवाए उग्रवादी की मौजूदगी की स्थिति जानने के लिए अपने स्त्रोतों को संगठित किया। इससे टैक, मुख्यालय, टाउन हाल, सोपोर के सामने जम्मू और कश्मीर बैंक के थोड़ी पीछे स्थित कृषि /बागवानी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में दो सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। श्री एच एस धालीवाल, सहायक कमांडेंट और श्री ए एस रावत, सहायक कमांडेंट की कमान में चार कार्मिकों वाली दो तलाशी पार्टियां तत्काल भेजी गई। श्री एच एस धालीवाल, सहायक कमांडेंट प्रथम तलाशी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने संख्या 03555086 कांस्टेबल डी परेश राभा और संख्या

007558897 कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह को लोहे के प्रमुख द्वार को खोलकर बिल्डिंग के अंदर जाने तथा शेष कार्मिकों को उन्हें कवर देने का आदेश दिया। बी एस एफ कार्मिकों को देखकर, उग्रवादी ने बिल्डिंग के अंदर से गोलियां चलानी शुरु कर दी जिसका उनकी टुकड़ियों द्वारा तुरंत जवाब दिया गया। इसी बीच, सिविलियन कृषि /बागवानी बिल्डिंग में फंस गए और बी एस एफ द्वारा उन्हें सुरक्षित रुप से डी पी. धर अस्पताल ले जाया गया। सिविलियनों को सुरक्षित रुप से निकाले जाने के पश्चात , कांस्टेबल डी परेश राभा और उसका साथी बिल्डिंग की ओर बढ़े। उसी समय कृषि और बागवानी परिसर की विभाजक दीवार के पीछे वाले हिस्से से ए के -47 राइफल से भारी गोलीबारी की गई। कांस्टेबल डी परेश राभा ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह किए दे उस स्थल की ओर रेंगकर बढ़े जहां उग्रवादी छिपे हुए थे और उन्होंने उग्रवादियों पर गोलीबारी की। आपसी गोलीबारी में, कांस्टेबल डी परेश राभा गोलियां लगने से जख्मी हो गए। कांस्टेबल डी परेश राभा जख्मी होने के बावजूद अपनी पोजीशन पर डटे रहे और कारगर गोलीबारी की तथा उग्रवादियों को गंभीर रुप से जख्मी कर दिया। इस पर उग्रवादी ने दो ग्रेनेड फेंके जिसमें से एक कांस्टेबल डी परेश राभा के समीप फट गया और वे किरचें लगने से गंभीर रुप से जख्मी हो गए। कांस्टेबल डी परेश राभा ने असाधारण साहस और पेशेवरी का प्रदर्शन करके सर्वोच्च बलिदान देने से पहले दो उग्रवादियों को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में, (स्व.) श्री डी. परेश राभा ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 दिसंबर, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 126-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. देब दुलाल पाल, कांस्टेबल
2. देबजीत बोराह, कांस्टेबल
3. ई. टिग्गा, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20 अक्तूबर, 2005 को जिला पुलवामा में (जम्मू और कश्मीर) तराल के गांव टी-सुरबुध में जे ई एम गुट के उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में डी सी (जी) सी आई ऑप्स-I, रावलपुरा की विशिष्ट सूचना के आधार पर, उपर्युक्त गांव में डी सी (जी) सी आई ऑप्स -I के साथ -साथ सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की 53 बटालियन द्वारा एक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। योजना के अनुरुप, टुकड़ियों को तीन पार्टियों में विभाजित किया गया। एक पार्टी को लक्षित घर, आस-पास के घरों में घेरा डालना था और शेष को लक्षित घर की तलाशी लेनी थी। क्षेत्र की घेराबंदी करने के पश्चात, लगभग 1545 बजे, त्वरित कार्रवाई टीम को लक्षित घर की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। उस घर में पहले से ही मौजूद उग्रवादी ने बी एस एफ पार्टी को देखकर क्यू आर टी पार्टी को उस घर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पार्टी ने रक्षात्मक पोजीशन ले ली और कारगर रुप से जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी होने पर, दोनों उग्रवादियों ने बचने के प्रयास में घर के बाहर छलांग लगा दी। घेराबंदी करने वाली पार्टी के 00677047 कांस्टेबल डी डी पाल और संख्या 920025310 कांस्टेबल ई टिग्गा ने उग्रवादियों को देखा और उनके बच कर भाग निकलने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया तथा उन्हें समर्पण करने के लिए ललकारा। बचने का और कोई विकल्प न पाकर, उग्रवादियों ने एक पत्थर की दीवार के पीछे पोजीशन ले ली और उन्होंने निरंतर गोलीबारी करके लगभग आधे घंटे तक सैन्यदल को उलझा लिया। दिन की रोशनी तेजी से कम होती जा रही थी और अंधेरा होने के बाद अचूक गोलीबारी करना कठिन हो जाना था इसलिए कांस्टेबल डी डी पॉल और कांस्टेबल ई टिग्गा अपनी जानों को खतरे में डालकर अपनी पोजीशन से बाहर आ गए और उग्रवादियों की पोजीशन के निकट रेंगते हुए पहुँचे। चूंकि दोनों उग्रवादियों ने पत्थर की दीवार के पीछे पोजीशन ले रखी थी इसलिए साहसिक कार्रवाई किए बिना उन पर अचूक गोलीबारी करना कठिन था। निडरतापूर्वक कार्रवाई में कांस्टेबल डी डी पॉल और कांस्टेबल ई टिग्गा ने अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए एक योजना तैयार की और कांस्टेबल डी डी पॉल, कांस्टेबल ई टिग्गा द्वारा प्रदान की गई गोलीबारी के कवर के अंतर्गत और उग्रवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी की जद में आते हुए उग्रवादी की पोजीशन के काफी नजदीक तेजी से बढ़े और उग्रवादी को घटनास्थल पर मार गिराया। तथापि, अन्य उग्रवादी दीवार को फांदकर बचने में कामयाब हो गया और उस गांव की पूर्वोत्तर दिशा की ओर भागा जहां उसको घेराबंदी करने वाली पार्टी द्वारा जवाबी गोलीबारी करके चुनौती दी गई। घेराबंदी करने वाली पार्टी की प्रतिरोधी कार्रवाई से उग्रवादी की अन्य गतिविधियां बंद हो गई और उसने दीवार के पीछे पोजीशन ले ली। उग्रवादी के छिपे होने की सही पोजीशन देखकर संख्या 00800136 कांस्टेबल देबजीत बोराह ने असाधारण साहस और

पेशेवरता का परिचय देते हुए कवरिंग गोलीबारी के अंतर्गत आगे रेंगते कारगर गोलीबारी की तथा उस उग्रवादी को निष्क्रिय कर दिया। जख्मी होने पर, उसने बचने का एक और प्रयास किया। इस पर कांस्टेबल देबजीत बोराह ने उसका पीछा किया और उसे घटनास्थल पर मार गिराया। मारे गए दोनों उग्रवादियों को बाद में पहचान मोहम्मद हाफिज शेख पुत्र अब्दुल रशीद शेख कोड उर्फ दानाश्यास माविया (कोड आबिद), संघी भाटा, तहसील-किश्तवार, जिला-डोडा (जम्मू और कश्मीर) का निवासी और अदनान फारुकी, सैट कोड- अदनाम भाई, निवासी लाहौर (पाकिस्तान) (दोनों उग्रवादी जे ई एम गुट से जुड़े थे) के रूप में हुई। पकड़े गए उग्रवादी से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया:-

(क) ए के 56 राइफल- 02 नग
(ख) ए के 56 मैगजीन- 04 नग
(ग) ए के गोलाबारुद- 76 राऊंड
(घ) चीनी हैंड ग्रेनेड 02 नग
(ङ) वायरलैस सेट
(अनिन्को निर्मित) (डी जे -195)- 01 नग
(च) इलैक्ट्रानिक डेटोनेटर्स- 02 नग
(छ) गोलाबारुद का पाऊच- 02 नग
(ज) छोटा टेप रिकार्डर- 01 नग
(झ) छोटी टेप- 03 नग
(ञ) मैट्रिक्स कोड एवं डायरियों
वाले अभिशंसी दस्तावेज- 02 नग
(ट) पहचान पत्र और फोटोग्राफ- 01 नग

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री देब दुलाल पाल, कांस्टेबल, देबजीत बोराह, कांस्टेबल और ई.टिग्गा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

IIA - 141 GI/07

सं0 1127-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अदित कुमार दास,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)

2. मलकीत सिंह
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सी आई आपरेशन ड्यूटियां करने के लिए अखारा बिल्डिंग, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में 43 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) को तैनाती की गई थी। 43 वीं बटालियन बी एस एफ का मोर्चा संख्या 7/8 बाम्बे-गुजरात होटल (श्रीनगर) के साथ था। 29 जुलाई, 2005 को लगभग 1715 बजे बाम्बे -गुजरात होटल से 43 वीं बटालियन, बी एस एफ के मोर्चा संख्या 7/8 की ओर भारी गोलीबारी की गई। मामले की सूचना तत्काल टैक मुख्यालय 43 वीं बटालियन बी एस एफ को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर, श्री मलकीत सिंह 21 सी/ओफिग कमांडेंट 43 वीं बटालियन बी एस एफ मौके की ओर तेजी से बढ़े और स्थिति का जायजा लिया तथा यह पाया कि होटल में बंधक बना कर रखे गए कई सिविलियन मदद के लिए पुकार रहे थे। यह पुष्टि के लिए काफी था कि होटल में उग्रवादी मौजूद थे। होटल से सिविलियन को बगैर किसी क्षति के बचाना और होटल सहित क्षेत्र में स्थित सिविलियनों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बचाना बी एस एफ की टुकड़ियों के लिए एक अत्यन्त कठिन कार्य था। ऑपरेशन के प्रथम कदम के रूप में, घेरा डालने वाली पार्टी को होटल के चारों ओर लगाया गया और बच कर भाग सकने के सभी संभावित मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। सिविलियनों और अन्य दुकानदारों को दुकानें बंद करने और क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया। सभी सुभेद्य क्षेत्रों में घेराबंदी करने के पश्चात बचाव ऑपरेशन के लिए होटल में घुसने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, संख्या 94009288 कांस्टेबल अदित कुमार दास, संख्या 93009885कांस्टेबल भवाना टी के, संख्या 99400039 कांस्टेबल गोपाल छेत्री और संख्या 02114214 कांस्टेबल/ड्राइवर हरि मोहन को बचाव अभियान करने हेतु होटल में घुसने का आदेश दिया गया। यह पार्टी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और स्वयं को जोखिम में डालते हुए फंसे हुए सिविलियनों को बचाने के लिए होटल में तेजी से घुस गई। बी एस एफ कर्मियों की बहादुरी भरी कार्रवाई को देखकर पहले से ही होटल में पोजीशन लिए हुए उग्रवादियों ने होटल में उनके घुसने के प्रयास को रोकने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी भी उन्हें रोक नहीं सकी और वे होटल में घुसने में सफल हो गए और बचाव अभियान शुरू कर दिया। एक निकासी स्थल से सिविलियनों को बचाते समय कांस्टेबल अदित कुमार दास अपने को रक्षात्मक पोजीशन में कवर नहीं कर सके और उन्होंने स्वयं को जोखिम में डाल दिया क्योंकि वे बचाए जा रहे सिविलियनों के लिए एक मानवीय कवच के रूप में खड़े हो गए। उनकी इस साहसिक कार्रवाई के कारण, भीतर होटल से कई सिविलियनों को थोड़े समय में ही बाहर निकाल लिया गया। मानवीय कवच प्रदान करते समय संख्या 94009288 कांस्टेबल अदित कुमार दास की गर्दन में उग्रवादियों द्वारा की गई प्रत्यक्ष गोलीबारी से

गोली लग गई। इस बहादुर कांस्टेबल ने गोली से गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद उच्च कोटि के अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और अपने मोर्चे पर डटे रहे तथा उन्होंने सिविलियनों को वहां से निकालना जारी रखा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। उस क्षेत्र की घेराबंदी की गई और एस ओ जी के साथ-साथ 145,53,82 और 96 वीं बटालियन बी एस एफ से अतिरिक्त टुकड़ियां लेकर अभियान को आगे और सुदृढ़ किया गया। 30 जुलाई 2005 को लगभग 0530 बजे धावा बोलने वाला ऑपरेशन पुन: शुरु किया गया। 43 वीं बटालियन बी एस एफ के संख्या 90109719 कांस्टेबल मलकीत सिंह, धावा पार्टी के सदस्यों ने बाम्बे -गुजरात होटल के सामने फैन्सी फैब्रिक होटल में एक उग्रवादी की गतिविधि को नोटिस किया। असाधारण साहस और उच्च कोटि की पेशेवरता का प्रदर्शन करके संख्या 90109719 कांस्टेबल मलकीत सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपनी रक्षात्मक पोजीशन से बाहर निकल आए और अचूक गोलीबारी करके उन्होंने एक उग्रवादी को मार गिराया । एक और उग्रवादी जिसने बाम्बे-गुजरात होटल में पोजीशन ली हुई थी अभी भी गोलीबारी कर रहा था। 43 वीं बटालियन बी एस एफ के कांस्टेबल मलकीत सिंह और कांस्टेबल बी सी राय को होटल की छत में छेद करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्हें 11 छेद किए और उन्होंने अपनी जान को अत्यंत जोखिम में डालते हुए सभी संदिग्ध कमरों के अंदर 26 ग्रेनेड फेंके। होटल के अंदर छिपे हुए उग्रवादी ने उन छेदों से गोलियां चलानी शुरु कर दीं जिसके कारण जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक एस ओ जी कर्मी जख्मी हो गए। कांस्टेबल मलकीत सिंह जवाबी गोलीबारी करके उग्रवादी की वास्तविक पोजीशन का पता लगा सके और उन्होंने छत पर बनाए गए छेद से कमरे में ग्रेनेड फेंका और छिपे हुए उग्रवादी को घटनास्थल पर मार गिराया । इस मुठभेड़ में, अल मंसूर और जमायत -उल-मुजाहिद्दीन के दो उग्रवादी मारे गए। 02 ए के 47 राइफल, ए के -47 की 05 मैगजीन, ए के श्रेणी के 21 राऊंड , ब्लान्ड सैल युक्त 02 आर एल और 01 पुराना पहचान पत्र बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री (स्व.) अदित कुमार दास, कांस्टेबल और मलकीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/ पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 138-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री धर्मेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1 अक्तूबर, 2005 को लगभग 1100 बजे 95 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की संख्या 021458886 कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह सहित 05 कार्मिकों वाली एफ डी एल कुंदिअन की एक पार्टी , पुलिस स्टेशन-केरन, जिला- कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) के अंतर्गत एफ डी एल कुंदिअन एवं सुंदरमाली के बीच स्थित लगभग 7600 फीट की ऊँचाई पर नाला जंक्शन (एम/एस संख्या 43/जे-2 के जी आर-947667) के समीप सामान्य क्षेत्र में गश्त करने के लिए आगे बढ़ी। पार्टी काफी सतर्कता बरतते हुए सामरिक टुकड़ी के रुप में घूम रही थी क्योंकि यह क्षेत्र आतंकवादियों की गतिविधियों से पूरी तरह प्रभावित क्षेत्र था। संख्या 021458886 कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह स्काउट के रुप में गश्त पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। वे एक पार्टी के स्काउट होने के कारण अपनी जिम्मेवारी से अवगत थे और बहुत ही ध्यानपूर्वक कदम फूंक-फूंक कर रख रहे थे। नाले को पार करते समय, उन्होंने छद्मावरण जैकेट पहने अपनी ओर आते एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। संख्या 021458886 धर्मेन्द्र सिंह उसके आचरण और उसके गोलाबारुद वाले पाऊच तथा ए के श्रेणी की राइफल ले जाने के अंदाज से उस संदिग्ध व्यक्ति के छद्म दिखावे की पहचान कर सके। उन्होंने तत्काल टुकड़ी को सतर्क कर दिया और रक्षात्मक पोजीशन ले ली। गश्त करने वाली पार्टी को निकट आते देखकर कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह ने संदिग्ध व्यक्तियों को चुनौती दी और उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए कहा। इस पर, उग्रवादी ने अपनी बंदूक उठा ली और कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह की ओर तान दी। आसन्न संकट को महसूस करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह ने राइफल की नाल पकड़ ली और उसे आसमान की ओर कर दिया। इस निकट की लड़ाई में एक गोली चली। तथापि, नाल आसमान की ओर होने के कारण, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए उग्रवादी को काबू में कर लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे गिराने में सफल हो गए। इसी बीच, गश्त पार्टी के अन्य सदस्य भी कांस्टेबल धर्मेन्द्र सिंह के साथ शामिल हो गए और उस उग्रवादी को निहत्था कर दिया और उसे बांध दिया। पकड़े गए उग्रवादी की बाद में उग्रवादी गुट लश्कर -ए -तैयबा से जुड़े, निवासी गांव मैकलिओड गंज, जिला- भवल, पाकिस्तान, सैफुल मलुक पुत्र मोहम्मद यासीन मलिक के रुप में पहचान की गई। पकड़े गए उग्रवादी से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया:-

1. ए के -56	01 नग
2. ए सी 56 मैगजीन	04नग
3.चीनी ग्रेनेड	02 नग
4.ए के गोलाबारुद	81 राउंड
5. रेडियो सेट (केनवुड)	01 नग
6.गद्दा	01 नग
7.पाक मुद्रा	580/-रु.

8.भारतीय मुद्रा 500/-रु.
9.मैगजीन का पाऊच 01 नग

इस मुठभेड़ में, श्री धर्मेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1अक्तूबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 129-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शाम लाल, कांस्टेबल
2. राम किशोर, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13 नवम्बर, 2005 को जिला उधमपुर (जम्मू और कश्मीर) के पुलिस स्टेशन -गुल के अंतर्गत ग्राम गंभीरी/बोलनी (एम जैड-0016/17) में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबध में सूचना प्राप्त होने पर, 4 बटालियन सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की सी आई चौकी थटारिका के संख्या 69243058 निरीक्षक रिदमल सिंह, स्थानापन्न कंपनी कमांडर की कमान में बी एस एफ की टुकड़ियों ने उपर्युक्त क्षेत्र में 0730 बजे एक अभियान शुरू किया। उग्रवादियों को भौचक्का करने के उद्देश्य से और अपनी टुकड़ियों को हताहत होने से बचाने के लिए अतिसावधानी से ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे कार्यान्वित किया गया। मार्गदर्शक के रुप में जम्मू और कश्मीर पुलिस रैप की सहायता ली गई। युक्तिपूर्ण गतिविधि और उग्रवादियों पर अचानक हमला करके उन्हें भौचक्का करने के लिए ऑपरेशन पार्टियों को दो ग्रुपों में बाँट दिया गया। लगभग 131115 बजे, जब तलाशी पार्टी आगे बढ रही थी कि तभी उन्होंने बेदानी गार्डन और जंगल के क्षेत्र की ओर जाते हाल ही में बने पदचिन्ह देखे। पार्टी ने उन पदचिन्हों का पीछा किया और अंत में वे उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने के काफी निकट पहुँच गए। टुकड़ियों को देखकर, उग्रवादियों ने ग्रेनेड फैंके और आगे बढ़ रही टुकड़ियों की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी पार्टी ने तत्काल पोजीशन ले ली और कारगर रुप से जवाबी गोलीबारी की। निरीक्षक रिदमल सिंह ने उग्रवादियों को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी जारी रखी और उन्होंने टुकड़ियों की गतिविधि को आगे कुछ अंश तक रोक दिया। स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात, निरीक्षक रिदमल सिंह ने संख्या 90005067 कांस्टेबल शामलाल और संख्या 88398600 कांस्टेबल राम किशोर को आगे बढ़कर आतंकवादियों को मार भगाने तथा अन्य को उन्हें कवरिंग गोलीबारी देने का आदेश दिया। इन दोनों

बहादुर कांस्टेबलों ने अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए और उच्च कोटि की पेशेवरता का प्रदर्शन करते हुए , रेंग कर आतंकवादी के छिपने के ठिकाने के काफी निकट पहुंचने में सफल हो गए और उस उग्रवादी के छिपने के अड्डे के अंदर ग्रेनेड फेंका। जब कांस्टेबल शाम लाल ने छिपने के ठिकाने में एक और ग्रेनेड फेंका तब एक उग्रवादी ने इसे वापिस फेंक दिया। इसे देखकर तुरंत कार्रवाई करते हुए, दोनों कांस्टेबल पीछे की ओर कूद गए। कांस्टेबल शामलाल ने एक और ग्रेनेड इनके छिपने के ठिकाने में फेंका। दोनों उग्रवादी अपने छिपने के ठिकाने से बाहर कूद गए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए जंगल की ओर भागने लगे। कांस्टेबल शामलाल ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए उनका पीछा किया और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर मार गिराया। दूसरे उग्रवादी ने तत्काल जंगल में पोजीशन ले ली और गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल राम किशोर फुर्ती से अपनी पोजीशन से बाहर कूद गए और उन्होंने दूसरी तरफ से उग्रवादियों की ओर रेंगते हुए बढ़ना शुरु कर दिया और ग्रेनेड फेंके तथा एक काफी नजदीकी भिड़ंत में उसका घटनास्थल पर सफाया कर दिया। मारे गए दोनों उग्रवादियों की बाद में पहचान एच एम गुट से जुड़े शाहजहां पुत्र गुल मोहम्मद शाह, कोड, मुज्जामल, एरिया कमांडर और मोहम्मद दिलावर पुत्र गुलाम शाह कोड-साहदोब, के रूप में की गई और दोनों गागरसोला, पुलिस स्टेशन- गुल, जिला-उधमपुर, जम्मू और कश्मीर के निवासी थे। पकड़े गए उग्रवादी से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए:

ए के राइफल	01 नग
ईसास राइफल	01नग
ए के मैगजीन	02 राउंड
इंसास मैगजीन	02 नग
ए के गोलाबारुद	34 राउंड
इंसास गोलाबारुद	25 राउंड
चीनी ग्रेनेड	01 नग
ए के श्रेणी के ई एफ सी	16 नग
इंसास के ई एफ सी	10 नग
भारतीय मुद्रा	1100/-रुपए
पाऊच	02 नग

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री शामलाल, कांस्टेबल और रामकिशोर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 नवंबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 130-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राज कुमार तिवारी,
   कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. जीवन चन्द्र दास
   कांस्टेबल
3. ज्ञानी सिंह,
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

09.02.2006 को, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) के लिए प्रबंधन द्वारा भाड़े पर ली गई एक निजी जीप संख्या सी जी 05 ए 3243, कांस्टेबल जी बी संगमा को लेकर हिरोली मैगजीन के लिए, जहां तैनात कार्मिकों के लिए भोजन के वितरण हेतु, यूनिट लाइन से गई। वह उक्त मैगजीन के प्रमुख द्वार पर लगभग 1950 बजे पहुंची। उसी जीप में चार और ऑफ ड्यूटी सी आई एस एफ कार्मिक नामत: कांस्टेबल दिनेश सिंह, कांस्टेबल मल्लिकार्जुन, हैड कांस्टेबल-आसिफ अली, हैड कांस्टेबल, दिलहरन भी यूनिट लाईन से मैगजीन की ओर जा रहे थे। जैसे ही द्वार के संतरी कांस्टेबल बी मंडल ने मैगजीन का द्वार खोला तभी पास ही की झाड़ियों में छिपे हुए नक्सलियों ने, जो काफी संख्या में (200 से ज्यादा) थे, गोलियां चलानी शुरु कर दी और द्वार के संतरी को निष्क्रिय करके द्वार पर धावा बोल दिया। नक्सलियों ने जीप में यात्रा कर रहे कार्मिकों पर भी हमला कर दिया और कांस्टेबल दिनेश सिंह और कांस्टेबल मल्लिकार्जुन को गंभीर रुप से घायल कर दिया जिन्होंने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। नक्सलियों ने हिन्दी और तेलगू में "हथियार दे दो हथियार दे दो" कहते हुए जोर से नारे लगाए। उप निरीक्षक डी एन पी सिंह, प्रभारी मैगजीन क्षेत्र ने स्थिति की प्रतिक्रिया में अपनी पोजीशन ले ली और उन सभी 08 कार्मिकों को सतर्क कर दिया जो बैरक के अंदर मौजूद थे और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। उसी समय, उन्होंने नक्सली हमले के बारे में वायरलैस सैट के माध्यम से लाइन हैड क्वार्टर को सूचित कर दिया। बैरक के अंदर मौजूद सभी 08 कार्मिकों ने लेट कर पोजीशन लेते हेतु और आड़ लेकर बैरक वाले कमरे से चारों दिशाओं में नक्सलियों पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। नक्सलियों ने गोलियां चलानी जारी रखीं और उनसे हथियारों को समर्पित करने के लिए तेज आवाज में नारे लगाए। चूंकि सी आई एस एफ कार्मिकों की ओर से प्रतिरोधी और जवाबी गोलीबारी की जा रही थी इसलिए नक्सलियों ने भी सभी दिशाओं से हैंड ग्रेनेड, देशी पैट्रोल बम फेंके। कुछ समय के पश्चात, बैरक की एस्बेस्टोस की छत टूट गई और ग्रेनेड/बम बैरक के अंदर गिरने शुरु हो गए, इससे कार्मिक गंभीर रुप से जख्मी हो गए। गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, उप निरीक्षक /एक्स. डी एम पी सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल आर के तिवारी और अन्य ने गोलीबारी चलानी जारी रखी और नक्सलियों को बैरक में घुसने से रोका। इसी बीच, एक नक्सली ने एक कोने से कमरे के अंदर बारुदी सुरंग लगा दी और इसमें बाहर की तरफ से बिजली की तार से विस्फोट कर दिया जिससे छत पूरी तरह से ढह गई और सी आई एस एफ कार्मिक और

ज्यादा जख्मी हो गए। नक्सलियों ने उप निरीक्षक को समर्पण करने के लिए धमकाया लेकिन अधिकारी ने गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद बहादुरी के साथ ऐसा करने से मना कर दिया। उन पर नक्सलियों द्वारा काफी नजदीक से गोली मारी गई थी। अन्य पांच कांस्टेबल नामत: कांस्टेबल आर के तिवारी, कांस्टेबल सर्वे नवनाथ, कांस्टेबल आर.के.यादव, कांस्टेबल यू.पी.शुक्ला और कांस्टेबल जे एन मिश्रा जो अपनी जानें जाने तक हथियारों की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे और नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग में विस्फोट किए जाने के कारण उनकी जान चली गई और कांस्टेबल वी पी सिंह के सी और कांस्टेबल एस युवराज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिरोली मैगजीन क्षेत्र बैरक क्षेत्र से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नक्सली लगातार सभी दिशाओं से मैगजीन क्षेत्र पर हमला करते रहे। उन्होंने स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड इत्यादि से सभी तीन संतरी चौकियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। पूरा क्षेत्र तलवार, तीर कमान लिए हुए कुछ स्थानीय जनजातीय लोगों सहित 300 से ज्यादा नक्सलियों से घिरा हुआ था। उन्होंने बाड़ वाले क्षेत्र के अंदर घुसने के लिए छह विभिन्न स्थानों पर कंटीली तार वाली बाड़ को भी काट डाला। मैगजीन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सी आई एस एफ कार्मिकों ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और नक्सलियों पर पलट कर गोलीबारी की। कांस्टेबल जे सी दास (जो निगरानी टॉवर पर मौजूद थे), हैड कांस्टेबल ज्ञानी सिंह प्रभारी और टी. राजकुमार ने गोलीबारी जारी रखी और उन्होंने डेढ़ घंटे तक परिसर में घुसने से नक्सलियों को रोके रखा। नक्सलियों की गोलीबारी के कारण हैड कांस्टेबल ज्ञानी सिंह और कांस्टेबल जे. सी दास गोलियां लगने से जख्मी हो गए। गंभीर जख्मों से न घबराते हुए उन्होंने गोलीबारी जारी रखी जिसकी सहायता बाहरी मोर्चे से कांस्टेबल टी. राजकुमार द्वारा की गई । इसी बीच, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जख्मी पाकर नक्सली काफी संख्या में बाड़ को काटकर परिसर में घुस गए और निगरानी टावर पर गोलीबारी शुरु कर दी। गंभीर रूप से जख्मी होने बावजूद , निगरानी टॉवर पर मौजूद संतरी कांस्टेबल जे सी दास और प्रभारी हैड कांस्टेबल ज्ञानी सिंह ने नक्सलियों पर गोलीबारी जारी रखी। नक्सलियों ने दोनों कांस्टेबलों से समर्पण करने की मांग की लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। नक्सलियों ने कांस्टेबल जे.सी.दास पर पेट्रोल बम फेंके और उन्हें बुरी तरह जख्मी से कर दिया और उन्हें चौकी तक घसीट कर ले गए तथा ज्यादा जख्मी कर दिया। कांस्टेबल टी. राजकुमार ने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक उनके हथियार ने काम करना बंद नहीं कर दिया और उससे गोली चलनी बंद नहीं हो गई। तब उन्होंने अपने हथियार की सुरक्षा के लिए उसे झाड़ी में फेंक दिया। सी आई एस एफ की ओर से हो रही गोलीबारी रुकने के पश्चात काफी संख्या में नक्सली अंदर घुस गए और उन्होंने सभी चारों मैगजीन के द्वार को तोड़ करके विस्फोटक सामग्री लूटनी शुरु कर दी। संपूर्ण अभियान में, छह कार्मिक घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और दो कार्मिकों ने अस्पताल ले जाते समय प्राण त्याग दिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त 9 कार्मिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए उन्हें अधिक उपचार के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री (स्व.) राजकुमार तिवारी, कांस्टेबल, जीवन चंद्र दास, कांस्टेबल और ज्ञानी सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 13/1-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री वी.डी.ठाकरे,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एम सी सी (आई) उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट आसूचना जानकारियों के आधार पर राज्य पुलिस से कुमुक हेतु मांग प्राप्त होने पर श्री जे.पी. साही, सहायक कमांडेंट की कमान में सिविल पुलिस के साथ-साथ एफ/22 की दो प्लाटून 7.2.2005 को 10.35 बजे गांव दोदाकोला सपेही, पारो जानपुर और कणकम क्षेत्र में छापे/तलाशी अभियान के लिए गई। जब टुकड़ियों ने गांव सपेही में छापा और तलाशी अभियान चलाया और कुछ गांववासियों से पूछताछ की तो यह पता चला कि एम सी सी आई उग्रवादियों ने गांव खानीखेत में शरण ले रखी है। टुकड़ियां तत्काल उक्त गांव में तेजी से गईं और उस क्षेत्र की स्थिति के अनुसार गांवों की घेराबंदी करने के लिए टुकड़ियों को तीन पार्टियों में बाँट दिया गया क्योंकि उग्रवादियों के उस गांव के एक घर में छिपे होने का संदेह था। पार्टी संख्या 01 को गांव के दक्षिणी तरफ को कवर करने का कार्य सौंपा गया। पार्टी संख्या 02 को पश्चिमी हिस्से को और पार्टी संख्या 3 को पूर्वी हिस्से को कवर करने का कार्य सौंपा गया। जब टुकड़ियां उस घर पर पहुंची जिसमें उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी तभी उग्रवादियों ने टुकड़ियों पर गोलीबारी शुरु कर दी और घने जंगल और नाले का लाभ उठाकर भागने का प्रयास किया। पार्टी संख्या 02 ने उग्रवादियों को समर्पण करने की चुनौती दी। लेकिन उग्रवादियों ने अपनी रणनीति पर कायम रहते हुए भारी गोलीबारी के बीच भागना जारी रखा। सी आर पी एफ कार्मिकों ने अपनी पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। पार्टी संख्या 02 ने जिसमें संख्या 913121504 कांस्टेबल वी डी ठाकरे 51 एम एम मोटर संख्या 2 के रुप में कार्य कर रहे थे, सूझबूझ से कारगर रुप से पोजीशन ले ली और अपनी इंसास राइफल से उग्रवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी और 31 राउंड चलाए। डेढ़ घंटे तक गोलीबारी जारी रही। जब वे संख्या 911172529 कांस्टेबल कुलदीप राम मोटर संख्या 1 को कवरिंग गोलीबारी दे रहे थे तभी एक गोली उनकी दायीं भुजा में लगी लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और गोलीबारी जारी रखी। जख्मी होने के बावजूद, वे रेंगते हुए मोर्टर संख्या 1 पर पहुँचे और उग्रवादियों पर दो एच ई बम चलाए। इन दो बमों ने उनकी मजबूत मोर्चाबंदी को तहस-नहस कर दिया और उन्हें हड़बड़ी में बच कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। टुकड़ियों ने इस मौके का लाभ उठाया और दो उग्रवादियों को घटनास्थल पर मार गिराया और दो उग्रवादियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके पश्चात, हमारी टुकड़ियों ने उस क्षेत्र की तलाशी ली और घटनास्थल से शस्त्र और गोलाबारुद की काफी मात्रा के साथ-साथ एम सी सी आई उग्रवादियों के दो शव बरामद किए। यह इस वर्ष के दौरान किसी भी टुकड़ी द्वारा किया गया एक सबसे सफल अभियान था। हालांकि टुकड़ियों के सभी सदस्यों, जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया, ने उत्कृष्ट कार्य किया लेकिन कुल मिलाकर श्रेय, संख्या 913121504 कांस्टेबल/जी डी वी.डी ठाकरे को जाता है जिन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जख्मी होने के बावजूद उग्रवादियों को उनके छिपने के स्थल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री वी.डी.ठाकरे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 132-प्रेस/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1.	पी. नागाराजन, कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	अजीत भाटी, सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	ए.एल.चंद्रशेखर, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	ए. सकथीवेल, हैड कांस्टेबल/रेडियो ऑपरेटर (मरणोपरांत)	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
5.	अनीश फिलिप, कांस्टेबल (मरणोपरांत)	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28 जून, 2005 को 1600 बजे गांव चक्का, भदरवाह, जिला-डोडा (जम्मू और कश्मीर) में उग्रवादियों के मौजूद होने के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुलिस, सी आर पी एफ और आर/आर द्वारा उस क्षेत्र की घेराबंदी की गई। इसी बीच उग्रवादियों ने एस टी एफ पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और 2 एस टी एफ कर्मी घायल हो गए और उन्होंने अपने जख्मों के कारण प्राण त्याग दिए। परस्पर गोलीबारी प्रात: तक जारी रही। बाद में उस क्षेत्र की आर/आर द्वारा तलाशी ली गई वहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो आपत्तिजनक हो। तथापि, सी आर पी एफ पार्टी ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि वह क्षेत्र पूर्णतया बंजर क्षेत्र था। इस प्रक्रिया में, हैड कांस्टेबल ए.एल. चंद्रशेखर ने तभी एक छिपे हुए उग्रवादी को देख लिया। जिन्होंने और साथ में श्री अजीत भाटी, सहायक कमांडेंट ने छिपे हुए उग्रवादी के संबंध में सतर्क करने हेतु चेतावनी दी। कमांडेंट पी. नागाराजन ने टुकड़ी के साथ एक घर के बरामदे में पोजीशन ले ली जो आतंकवादियों के छिपने के स्थल से 5 फीट की दूरी पर था। उसी समय उग्रवादी आत्मघाती हमला करने के प्रयास में, अपने छिपने के स्थल से धावा बोलते हुए बाहर निकल आया और उसने अपनी ए के 47 राइफल से सी आर पी एफ पार्टी और समीप में मौजूद अन्य सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। बरामदे में मौजूद संख्या 943303333 हैड कांस्टेबल /आर ओ ए सकथीवेल ने एक उग्रवादी को देखा और अपनी ओर बढ़ते उग्रवादी के संबंध में जोर से सूचना दी। संख्या 943303333 हैड कांस्टेबल/आर ओ ए सकथीवेल और संख्या 03131430513 कांस्टेबल/जी डी अनीश फिलिप ने बरामदे में तुरंत पोजीशन ले ली और उग्रवादी पर गोलीबारी कर दी। चूंकि उग्रवादी लाभकारी पोजीशन

पर तैनात था इसलिए उग्रवादी द्वारा की गई गोलीबारी के कारण 78वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल/आर ओ ए सकथीवेल और कांस्टेबल अनीश फिलिप, दोनों घायल हो गए और उन्होंने घावों के कारण अपने प्राण त्याग दिए। श्री पी. नागाराजन, कमांडेंट, श्री अजीत भाटी, सहायक कमांडेंट और हैड कांस्टेबल/जी डी ए.एल. चंद्रशेखर ने तुरंत बगैर कोई समय गंवाए, उग्रवादी पर काफी नजदीक से गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप वह उग्रवादी वहीं गिर गया और वह घटनास्थल पर मारा गया। मारे गए उग्रवादी की बाद में पहचान खतरनाक एल ई टी उग्रवादी आबिद जिया पुत्र जिया अहमद निवासी मोठी, मारमत, जिला डोडा जम्मू और कश्मीर, कोड नाम जाफर (सेट कोड पापा 6) के रूप में की गई। उस उग्रवादी को मारने के पश्चात सी आर पी एफ पार्टी ने बाहरी घेराबंद में पोजीशन ले ली। इस ऑपरेशन को आगे एस टी एफ और आर/आर द्वारा इस आशंका के कारण जारी रखा गया कि वहां दूसरा उग्रवादी भी मौजूद और जीवित हो सकता है। तत्पश्चात आर/आर द्वारा संदिग्ध घरों पर रॉकेट दागा गया और बाद में एक और शव भी पाया गया। उस शव की पहचान फारुक अहमद पुत्र मोहम्मद शरीफ भाटी, चक्का, डोडा के निवासी के एक सिविलियन के रूप में की गई। तीनों अधिकारियों (श्री पी. नागाराजन, कमांडेंट श्री अजीत भाटी, सहायक कमांडेंट और हैड कांस्टेबल ए एल. चंद्रशेखर) ने अगर स्वयं को गंभीर खतरा होने पर आश्रय /आड़ लेने की मानवोचित मूल प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया होता (उग्रवादी द्वारा उसके आत्मघाती प्रयास के अंधाधुंध गोलीबारी के कारण) तो उग्रवादी ज्यादा संख्या में कार्मिकों को हताहत कर सकते थे। तीनों अधिकारियों के पास बरामदे के साथ वाले कमरे में प्रवेश करके उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी से बचने के लिए आश्रय लेने का एक विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने इस विकल्प के स्थान पर उग्रवादी पर (जो आत्मघाती मिशन पर था) गोलीबारी करने का निर्णय लिया और उसे मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने बहुमूल्य मानवीय जानों को उस समय बचाया जब उनकी स्वयं की जानें गंभीर खतरे में थीं। संख्या 04330333 हैड कांस्टेबल/ आर ओ ए सकथीवेल और संख्या 03143051 3 कांस्टेबल/जी जे अनीश फिलिप ने भी एक साधारण मानव से हटकर, एक असाधारण साहस का भी प्रदर्शन किया और वे छिपने के स्थल पर छिपे नहीं रहे बल्कि वे तेजी से घटनास्थल पर आतंकवादी का सामना करने के लिए गए और उन्हें काबू में कर लिया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री पी नागाराजन, कमांडेंट, अजीत भाटी, सहायक कमांडेंट, ए एल चंद्रशेखर, हैड कांस्टेबल, (स्व.) ए सकथीवेल, हैड कांस्टेबल/रेडियो ऑपरेटर और स्व. अनीश फिलिप, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 133-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. बी आर जाखड़, सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2. एस रफी, लांस नायक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.संतोष आसेगांवकर, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.रुपक करमाकर, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.एच.बी पंवार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
6.सीता राम, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
7.एस. जगताप, हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23.6.2005 को 1350 बजे प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन : पताही, मोतीहारी, उप निरीक्षक राम पुकार ने श्री बी आर जाखड़ ओ सी, डी /45, पताही को सूचित किया कि सी पी आई (माओवादी) काडरों ने पुलिस स्टेशन मधुबन में बैंकों और मधुबन में ब्लॉक कार्यालय पर हमला कर दिया है और ड्यूटी पर तैनात गार्ड/संतरी को मार दिया है तथा नकदी /हथियार लूट लिए है। श्री बी आर जाखड़, एस डी पी ओ पकरीदयाल श्री फरोगुद्दीन और थाना प्रभारी पताही पुलिस स्टेशन के साथ-साथ 26 कार्मिकों वाली एक मजबूत प्लाटून के साथ एक छोटे/देहाती मार्ग से तत्काल मधुबन ब्लॉक की ओर तेजी से बढ़े और वहां 1450 बजे पहुंच गए। उस समय तक, नक्सली पहले ही पूर्वी दिशा की ओर भाग चुके थे। श्री बी आर जाखड़ ने उनका पीछा करने का निर्णय लिया हालांकि उग्रवादियों की संख्या ज्यादा थी और वे सभी अधुनातन हथियारों से लैस थे। वे मधुबन चौक से लगभग 6 किमी तक की दूरी तय करने के बाद गांव:बंजारिया पहुंचे और उन्होंने लगभग 250-300 सी पी आई (माओवादी) उग्रवादियों को देखा जिन्होंने पुल के समीप अपनी पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। हमारी टुकड़ियों ने तत्काल खेतों में अपनी पोजीशन ले लीं और वीरता के साथ जवाबी गोलीबारी की। श्री बी आर जाखड़, लांसनायक एस रफी, कांस्टेबल सीताराम, कांस्टेबल एच बी पंवार, कांस्टेबल रूपक करमाकर और कांस्टेबल एस. आसेगांवकर के साथ, उपयुक्त तरीके से जमीनी विशिष्टताओं का प्रयोग करते हुए अपनी जानों की जरा सी भी परवाह किए बिना निडरता के साथ युक्ति संगत उच्च पेशेवरता से रेंगते हुए आगे बढ़े और उग्रवादियों की पोजीशनों पर भारी गोलीबारी की। नक्सली निरंतर पीछे हटते हुए चिमन्या, नसीबा और परसोनी गांवों की ओर भाग रहे थे और हमारी टुकड़ियों ने अपने इन छह कार्मिकों को मोर्चे पर लड़ते हुए रखकर उनका पीछा करना जारी रखा। इन कर्मियों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की और पूरे उत्साह, जोश और ड्यूटी के प्रति सर्वोच्च समर्पण के साथ लड़ाई जारी रखी। लांसनायक एस. रफी, कांस्टेबल/जी डी संतोष आसेगांवकर और कांस्टेबल/जी डी रूपक करमाकर गोलियां लगने से जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बिना नक्सलियों का पीछा जारी रखा। वे रेंगते हुए बढ़े और नक्सलियों के काफी नजदीक पहुंच गए और उन छह नक्सलियों को मार गिराया जो एल एम जी, एस एल आर और अन्य अधुनातन

हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे। हैड कांस्टेबल/जी डी एस. जगताप की कमान में भी एक कुमुक पार्टी गांव परसोनी पहुंच गई। हैड कांस्टेबल/जी डी एस जगताप काफी संख्या में नक्सलियों को निष्क्रिय करने के लिए श्री बी आर जाखड़ की पार्टी की सहायता करने हेतु अपनी जान की परवाह किए बगैर भारी गोलीबारी के बीच नक्सलियों की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और ऐसा करते हुए सर्वोच्च बलिदान किया। उपर्युक्त मुठभेड़ में, इस यूनिट के श्री बी आर जाखड़, सहायक कमांडेंट, लांस नायक एस. रफी, कांस्टेबल/जी डी संतोष आसेगांवकर, कांस्टेबल/जी डी रुपक करमाकर कांस्टेबल/जी डी एच बी पंवार, कांस्टेबल/जी डी सीता राम और स्वर्गीय हैड कांस्टेबल/ जी डी एस जगताप ने 6 उग्रवादियों को मार गिराने और काफी मात्रा में शस्त्र /गोलाबारुद और विस्फोटकों को बरामद करने में अनुकरणीय साहस, समर्पण, जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया। इस अभियान ने उत्तरी बिहार में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और यह अपने प्रकार का एक पहला अभियान था जिसमें सी आर पी एफ ने उनका 15 किमी तक पीछा किया और उनमें से कई उग्रवादियों को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बी आर जाखड़, सहायक कमांडेंट, एस. रफी, लांस नायक, संतोष आसेगांवकर, कांस्टेबल, रुपक करमाकर, कांस्टेबल, एच बी. पंवार, कांस्टेबल, सीताराम, कांस्टेबल और (स्व.) एस. जगताप, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 134-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. निर्मल चंद, हैड कांस्टेबल
2. सुरेन्द्र मोहन, कांस्टेबल
3. ओम प्रकाश, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5.7.2005 को लगभग 0915 बजे फिदायीन के एक ग्रुप ने अयोध्या में राम जन्म भूमि /बाबरी मस्जिद परिसर पर हमला कर दिया। आतंकवादी विस्फोट से भरी एक जीप का इस्तेमाल करके बाहरी बैरिकेड को विस्फोट से उड़ाते हुए सुरक्षा जोन में घुस गए और उस सुरक्षा स्कीम के आंतरिक बैरिकेड की ओर बढ़े जहां श्री वेजोटो तिन्यी, सहायक कमांडेंट की कमान में 33 वीं बटालियन, सी आर पी एफ की "डी" कंपनी तैनात थी। दिनांक 5.7.2005 को संख्या 015612499 अंाम प्रकाश और संख्या 005000159 कांस्टेबल /जी डी सुरेन्द्र मोहन, मोर्चा संख्या (2) (क) के रूप में तैनात थे। राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद परिसर में फिदायीन द्वारा हमला किए जाने के पश्चात मोर्चे की स्थिति बहुत खराब हो गई। यह चौकी उन फिदायीन के तीव्र हमले की जद में आ गई जिन्होंने इसको केन्द्र बनाकर स्वचालित और साथ ही ग्रेनेड से भारी गोलीबारी की। मोर्चे का एक हिस्सा एक ग्रेनेड के विस्फोट से उड़ गया था लेकिन ये कांस्टेबल/जी डी अपनी पोजीशन पर डटे रहे और दृढ़ता के साथ कार्य को अंजाम दिया। यह चौकी फिदायीन से मात्र 25 मीटर के फासले पर थी और विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। संख्या 851170907 हैड कांस्टेबल (जी डी) निर्मल चंद हमले वाले दिन एक दूर-दराज स्थित जोन में तैनात ई/33 बटालियन की त्वरित कार्रवाई टीम के एक सदस्य थे। हमला शुरु होने पर ये हैड कांस्टेबल/जी डी तेजी से मोर्चा संख्या 2(क) की ओर बढ़े और अपने कामरेडों की मदद से अपनी पोजीशन ले ली। इन कर्मियों ने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी के बीच उस हमले को निष्क्रिय करने में सफल हो गए। इस कार्य को करने में, उपर्युक्त तीनों कर्मियों ने देश की सेवा में बहादुरी की उत्कृष्ट क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इनके द्वारा की गई यह कार्रवाई, सी आर पी एफ की उत्कर्ष परंपराओं में से एक है। इस कार्रवाई में उपर्युक्त तीनों कर्मियों ने कर्त्तव्यपरायणता और देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने में पूर्ण इच्छा का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री निर्मल चंद, हैड कांस्टेबल, सुरेन्द्र मोहन, कांस्टेबल और ओम प्रकाश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 135-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पी. चकमा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.10.2005 को लगभग 0905 बजे, लंबा कोट/जैकेट पहने एक व्यक्ति तुलसीबाग कॉलोनी, श्रीनगर में श्री मोहम्मद युसुफ तारागामी, विधान सभा सदस्य, सी पी आई (एम) के निवास (टी-20) पर पहुंचा जहां ए/50 सी आर पी एफ की दो टुकड़ियां, तैनात की गई थी रिहाइशी गार्ड और अतिविशिष्ट व्यक्ति के साथ मोबाइल एस्कॉर्ट प्रत्येक के लिए एक टुकड़ी। वह व्यक्ति उस अति विशिष्ट व्यक्ति से मिलना चाहता था। जब उसे सुरक्षा जांच हेतु प्रमुख द्वार पर पी एस ओ द्वारा रोका गया तब अचानक उस व्यक्ति ने अपनी जैकेट के अंदर छिपा कर रखा गया हथियार निकाल लिया और पी एस ओ पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप पी एस ओ को गोलियां लगीं और वे घटनास्थल पर मारे गए। 50 वीं बटालियन, सी आर पी एफ के संख्या 031510775 कांस्टेबल/जी डी पी चकमा, जो प्रमुख द्वार पर मोर्चा में संतरी ड्यूटी पर थे ने जबरदस्त सूझबूझ और उच्च स्तर की सतर्कता दर्शाते हुए फुर्ती से जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादी पर गोली चला दी और उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। गंभीर रुप से घायल होने से उस उग्रवादी को पीछे हटने पर बाध्य होना पड़ा और वह जख्मी हालत में साथ के परिसर की ओर दौड़ा। वह उग्रवादी साथ वाले परिसर में घुस गया लेकिन वह 50 बटालियन सी आर पी एफ के संख्या 031510775 कांस्टेबल/ जी डी पी चकमा द्वारा गंभीर रुप से जख्मी किए जाने के कारण उसके शरीर से काफी मात्रा में रक्त बह रहा था और वह आगे चल नहीं सकता था और वह गंभीर रुप से जख्मी हालत में सीढ़ियों के नजदीक लेट गया जहां उस पर उसका पीछा कर रहे 50 वीं बटालियन सी आर पी एफ के संख्या 830764783 हैड कांस्टेबल/जी डी सुधीर सिंह नेगी और पी एस ओ द्वारा गोलियां चलाई गई और उसे मार गिराया। संख्या 031510775 कांस्टेबल/जी डी पी. चकमा द्वारा अनुकरणीय सूझबूझ, उच्च स्तरीय साहस और समय से की गई कार्रवाई का प्रदर्शन करके उग्रवादी द्वारा श्री मोहम्मद युसुफ तारागामी, विधान सभा सदस्य , सी पी आई (एम) पर किए जाने हमले को विफल कर दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री पी.चकमा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 136-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजेन्द्र कुमार,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2. आर.अजी कुमार,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरांत)
3. पूर्ण सिंह,
   निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. मंजीत सिंह,
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.7.2004 को लगभग 2015 बजे दो फिदायीन लिवाई होटल श्रीनगर में 65 बी कम्पनी मुख्यालय में ग्रेनेड फेंकते हुए और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घुस गए और उन्होंने संतरी की ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल (जी डी) रविन्द्र मिश्रा और मुख्य द्वार पर उपनिरीक्षक हरीचन्द्र राजवार को मार डाला। इसके बाद उसमें से एक फिदायीन कम्पनी कोट की तरफ भागा, कोट संतरी की ड्यूटी कर रहे संख्या 921330035 कांस्टेबल (जी डी) राजेन्द्र कुमार ने अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए फिदायीन को निशाना बनाते हुए अपनी इंसास राइफल से गोली चलाई और फिदायीन को कोट से 9-10 गज पहले ही मार गिराया। इस बीच, दूसरे फिदायीन ने प्रथम मंजिल पर एच सी/एफ टी आर सत्य प्रकाश शर्मा को मार गिराया और उसके बाद वह दूसरी मंजिल पर पहुँच गया और सी टी /जी डी उदय सिंह को मार दिया और दरवाजे को अन्दर से बंद कर लिया। इसके तुरंत बाद, संख्या 881333465 सी टी/ जी डी मंजीत सिंह ने फिदायीन के छिपने वाले कमरे के सामने लगभग 9-10 फीट दूर पर अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद संख्या 680090825 निरीक्षक (जी डी) पूर्ण सिंह फिदायीन की गोलीबारी के बीच अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए चतुराई से दूसरी मंजिल पर पहुंचे और फिदायीन के कमरे के सामने स्थित दाये कमरे के दरवाजे के समीप पोजीशन ले ली और फिदायीन को कमरे के अंदर बंद रहने के लिए मजबूर करने हेतु धीरे-धीरे गोलीबारी करते रहे। संख्या 951221742 सी टी/जी डी आर अजी कुमार ने अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए गोलीबारी की सुरक्षा आड़ लेते हुए चतुराई से दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और दीवार की ओट में फिदायीन के दरवाजे के समीप उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने बार बार दरवाजे को लात मारी और चटकनी को तोड़ डाला और दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। इस पर फिदायीन ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और एक गोली सी टी/जी डी आर अजी कुमार के पैर को छुती हुई निकल गई, लेकिन अपने जख्म और अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए सी टी /जी डी आर अजी कुमार ने डट कर मुकाबला किया और धीरे धीरे गोलीबारी करते रहे। इसी बीच फेडरल राइट गैस गन द्वारा 3 डब्ल्यू पी गोले और एक लम्बी दूरी का अश्रु गैस का गोला दागा गया और 4 हथगोले भी फिदायीन के कमरे के अन्दर फेंके। अब कमरे के अंदर से चूंकि कोई जवाब नहीं आ रहा था इसलिए सी टी /जी डी अजी कुमार अपनी

जिन्दगी को खतरे में डाल कर गोलीबारी करते हुए, कमरे के अन्दर घुस गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिदायीन मर चुका है। परन्तु कमरे के अन्दर घायल पड़े फिदायीन ने गोलियों की बौछार शुरु कर दी। यद्यपि सी टी आर. अजी कुमार गोली से घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया और जवाबी गोलीबारी करते हुए फिदायीन को मौके पर ही मार गिराया और बाद में इस महान कार्य में अपनी जिन्दगी को न्योछावर कर दिया। इस अभियान में मारे गए दोनों फिदायीनों की पहचान अबु तला और अबु मुसा निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई। वे लश्कर ए तैयबा के एक सहयोगी अल मंसुरियन के कट्टर उग्रवादी थे। उनके पास से 2 ए के -47 राइफल्स, 10 मैगजीन 145 सजीव गोलियां , 155 खाली खोल और 5 चीनी ग्रेनेड बरामद हुए। इस अभियान के दौरान जे के पी के एस. पी. (पूर्व) और एस डी ओ पी अपने बचाव दल के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने स्थान की घेराबंदी की।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजेन्द्र कुमार, कांस्टेबल, स्व. आर.अजी कुमार, कांस्टेबल, पूर्ण सिंह, निरीक्षक और मंजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 13/37-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अनिल किशोर यादव,
   सहायक कमांडेंट

2. शिव वीर सिंह,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उल्फा उग्रवादियों की गतिविधियों के संबंध में विशेष सूचना के आधार पर श्री अनिल किशोर यादव सहायक कमांडेंट और असम पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक की कमान के अधीन सी आर पी एफ/ असम पुलिस के एक दल ने 16.3.2005 को मिशहाटखोला (बोरांगबाड़ी) में तलाशी/ छापा अभियान चलाया। जब दल घेराव के लिए डिगंत बरुआ उर्फ केशव ज्योति सेकिया (उल्फा मुखिया

परेश बरुआ का स्वंभू सार्जेंट मेजर और अंगरक्षक) के घर के समीप था, तभी एक लड़की के चिल्लाने पर उग्रवादी सतर्क हो गए और घर के पीछे से बचने का पूरा प्रयास किया। श्री अनिल किशोर यादव सहायक कमांडेंट द्वारा उन्हें देख लिया गया और उन्हें ललकारा और समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और गांव के क्षेत्र में भागता रहा और अपनी पिस्तोल से गोलीबारी भी करता रहा। धान के खेत में घुसते समय उसने बड़ी नजदीक से एक ग्रेनेड फेंका जो श्री ए.के.यादव सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल शिव वीर सिंह के नजदीक फटा। इन्होंने तुरंत जमीन पर रणनीतिक पोजीशन ले ली और अपने आपको ग्रेनेड के छर्रों से बचा लिया। अपनी जिन्दगी को गम्भीर जोखिम में डालने के बावजूद , श्री ए के यादव , सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल शिव वीर सिंह ने उग्रवादी को भागने से रोकने हेतु उस पर गोलीबारी की परन्तु वह भागता रहा। इसी बीच श्री ए के यादव सहायक कमांडेंट ने दल को उग्रवादी का बगल से पीछा करने का निदेश दिया ताकि वह घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश न कर सके और सिविलियनों के किसी भी नुकसान को बचाया जा सके। लगभग 400 मीटर भागने के बाद उग्रवादी नाले में कूद गया। पार्टी कमांडर ने स्थिति का जायजा लेने के बाद अपने कार्मिकों को सुरक्षित दूरी रखते हुए बगल से नाले के नजदीक पहुंचने के संकेत दिए। पार्टी को नाले के किनारे पहुंचता देखते ही उग्रवादी ने दूसरा ग्रेनेड फेंका तथा अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और घने बांस /झाड़ीदार क्षेत्र से तुरंत नाले को पार किया। उग्रवादी के दूसरे गांव में चले जाने की स्थिति को भांपते हुए श्री ए के यादव, सहायक कमांडेंट ने दो कांस्टेबलों को उग्रवादी के पीछे दायीं तरफ से और अन्य दो कांस्टेबलों को दायीं तरफ से जाने का निदेश दिया। अपने अंतिम प्रयास में उग्रवादी ने तीसरा ग्रेनेड श्री ए के यादव सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल शिव वीर सिंह की तरफ फेंका तथा अपनी पिस्तौल को पुन: लोड करने का भी प्रयास किया। पिस्तौल पुन: लोड किए जाने के समय का फायदा उठाते हुए श्री ए के यादव सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल शिव वीर सिंह खुली जगह में इसके नजदीक पहुंच गए और उसे समर्पण के लिए ललकारा परंतु उसने दोबारा फिर उन पर गोली चलाने का प्रयास किया। अदम्य साहस दिखाते हुए श्री ए के सिंह, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल शिव वीर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उग्रवादी पर गोलीबारी की और उसे मौके पर ही मार गिराया । मृत उग्रवादी के पास से दो मैगजीनों के साथ 9 एम एम की एक पिस्तौल, सात राउंड, एक चली हुई खोल, वी एच एफ एफ एम ट्रांसरिसीवर सेट, उल्फा रेडियो सिग्नल कोड और अभिशंसी दस्तावेज बरामद हुए जो असम पुलिस को सौंप दिए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अनिल किशोर यादव, सहायक कमांडेंट और शिव वीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 मार्च, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 138-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एम.एस.मलिक
   पुलिस अधीक्षक
2. हवा सिंह,
   निरीक्षक
3. महाबीर सिंह
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26.05.2005 को, पुलिस स्टेशन जुलाना जिला जीन्द से सूचना मिली कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, किला जाफरगढ़ शाखा, पुलिस स्टेशन जुलाना जिला जीन्द में एक डकैती पड़ी है और अपराधी अकालगढ़ गांव की ओर भागे हैं. श्री महेन्द्र सिंह मलिक, आई पी एस, एस पी जीन्द अपने गनमैन सुरेन्द्र कुमार और ड्राइवर कांस्टेबल बिजेन्द्र सिंह के साथ तुरंत गांव अकालगढ़ की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अकालगढ़ गांव की तरफ से एक होंडा सिटी कार आती हुई देखी और उसको जांच के लिए रुकवाने का प्रयास किया। चूंकि कार नहीं रूकी, इसलिए एस.पी. जीन्द ने कार में बैठे हुओं पर बैंक डकैती में संलिप्त का शक होने करते हुए उनका पीछा किया। उन्होंने एस एच ओ पुलिस स्टेशन महम को भी सूचित कर दिया कि एक संदिग्ध काली होंडा सिटी कार उनके क्षेत्र की ओर आ रही है और वह उसका पीछा कर रहे है। उक्त सूचना मिलते ही निरीक्षक हवा सिंह, एस एच ओ पी एस महम (जिला रोहतक) हैड कांस्टेबल हरपाल, हैड कांस्टेबल महाबीर सिंह और कांस्टेबल रमेश कुमार के साथ जुलाना की तरफ गए। निरीक्षक हवा सिंह, एस एच ओ, पी एस. महम ने अपनी टीम के साथ संदिग्धों को रोकने के उद्देश्य से गांव फरमाणा के समीप अपने वाहन से सड़क को अवरूद्ध किया। पुलिस पार्टी को देखते ही संदिग्ध वाहन (काली होंडा सिटी कार) पुलिस जीप से लगभग 25 गज की दूरी पर रुका और पुलिस जीप पर गोलीबारी शुरु कर दी। जब पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की तो संदिग्धों ने कार में रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी को वापस लौटाया इसी बीच जुलाना की तरफ से अपराधियों का पीछा करते हुए आ रही एस पी की कार ने संदिग्धों की कार पर पीछे से टक्कर मार दी। संदिग्धों की कार टकराने के कारण एक तरफ फिसल गई। दोनों संदिग्ध दोनों हाथों में हथियार लिए हुए कार से बाहर निकले और एस पी जीन्द की कार एवं पुलिस की जीप पर गोलीबारी शुरु कर दी। एस पी की कार को और जीप को आक्रमणकारियों की तीन गोलियां लगी। श्री एम. एस मलिक, एस पी जीन्द अपनी कार से बाहर आए और संदिग्धों की कार के पीछे उन्होंने पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी की। एस पी जीन्द और अपनी पुलिस जीप पर संदिग्धों को गोलीबारी करते देख निरीक्षक हवा सिंह, कांस्टेबल महाबीर सिंह संख्या 1167/आर टी के के साथ जिप्सी से बाहर आए और उन्होंने पोजीशन ली और संदिग्धों को गोलीबारी रोकने के लिए ललकारा। तथापि, जब उन्होंने गोलीबारी नहीं रोकी, तब उन्होंने और कांस्टेबल महाबीर सिंह ने संदिग्धों पर गोलीबारी की और उन्हें तुरंत मार गिराया। संदिग्धों के 1,60,000/- रुपये के साथ 2 रिवॉल्वर (0.32बोर) 2 रिवॉल्वर (.32बोर), एक माऊसर गन (0.12बोर) और अत्यधिक मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जो

उक्त मुठभेड़ में मारे गए थे। बाद में उनकी पहचान अशोक मलिक निवासी एस 240 संजय, सफियाबाद रोड, नरेला दिल्ली और अनुप निवासी तेजपुर, दिल्ली के रुप में में हुई। दोनों अपराधी कई अन्य अपराधिक मामलों में संलिप्त थे और दिल्ली एवं हरियाणा की अपराधिक सूची में वांछित थे।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एम एस मलिक, पुलिस अधीक्षक, हवा सिंह, निरीक्षक और महावीर सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 139-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. इन्द्र सिंह, कांस्टेबल
2. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.6.2005 को सूचना मिली कि हत्या के मामले में जींद पुलिस द्वारा वांछित एक दुर्दांत अपराधी जगबीर उर्फ कुंटी पुत्र प्रताप सिंह जाट निवासी दनोदा कलां, पुलिस स्टेशन सदर नरवाना जिला जींद, उकलाना मंडी आने वाला है। जगबीर उर्फ कुंटी कई अपराधिक मामलों में वांछित था। यह सूचना मिलने पर एस एच ओ पुलिस स्टेशन उकलाना ने ए एस आई कृष्ण लाल संख्या 1004/ एच एस आर, कांस्टेबल इन्द्र सिंह और कांस्टेबल जितेन्द्र इत्यादि को सम्मिलित करके एक धावा पार्टी का गठन किया। एस आई ईश्वर सिंह, कांस्टेबल इन्द्र सिंह और कांस्टेबल जितेन्द्र के साथ ए एस आई कृष्ण लाल धर्मवीर नामक फाईनेंसर की दुकान पर गए। आगे जाते हुए, ए एस आई कृष्ण लाल ने आगे बढ़कर उस कमरे में सबसे पहले प्रवेश किया जिसमें अपराधी जगबीर उर्फ कुंटी बैठा हुआ था। अपराधी ने ए एस आई कृष्ण लाल पर गोली चला दी। गोली ए एस आई के पेट में लगी। ए एस आई कृष्णलाल ने जवाबी गोलीबारी की। कांस्टेबल इन्द्र सिंह अपराधी पर जा कूदा और उसकी दूसरी गोली की छत की ओर मोड़ दिया। कांस्टेबल जितेन्द्र ने अपनी एस एल आर से उसे मार गिराया। एस आई ईश्वर सिंह ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान जगबीर उर्फ कुंटी मोके पर ही मारा गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन उकलाना में आई पी सी की धारा 307/332/353 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दिनांक 24.6.2005 को एफ आई आर संख्या 129 के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री इन्द्र सिंह, कांस्टेबल और जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 जून, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

16—141 GI/07

सं. 1-40-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेश शर्मा,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 07.03.2005को, आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में सी आई ग्रुप कुपवाड़ा द्वारा दी गई विशेष सूचना के आधार पर, दूरसवानी के जंगली क्षेत्र में सी आई ग्रुप कुपवाड़ा और 18 आर आर के जवानों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आतंकवादियों ने तलाशी पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री राजेश शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक, सोगम की कमान के अधीन तलाशी पार्टी आतंकवादियों की ओर बढ़ी। आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादियों ने पार्टी पर लगातार कई ग्रेनेड भी फेंके। अधिकारी और उसके साथी रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर गए और उन्होंने उच्च कोटि की बहादुरी और पेशेवरता के साथ आतंकवादियों के हमले का प्रभावी रुप से जवाब दिया । इस मुठभेड़ में छः आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में पहचान निम्नलिखित रुप में की गई:-

i. नाजिर अहमद पुत्र अनवर कोड जाफर
ii. तनवीर अहमद नैको पुत्र घ. मोहम्मद निवासी देवार
iii. शबीर अहमद तास उर्फ डेनिश पुत्र अब्दुल्ला निवासी कलरोज
iv. मुजफ्फर अहमद लोन पुत्र घ. मोहम्मद उर्फ सजाद निवासी खुर्मारियाल
v. मोहम्मद उस्मान उर्फ उस्मान; और
vi. अजाज निवासी पाकिस्तान

इस मुठभेड़ में, श्री राजेश शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 मार्च, 2005 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 141-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री दलजीत सिंह सिद्धू
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.4.2005 को गांव कनीर चादुरा बडगाम में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर निरीक्षक दलजीत सिंह सिद्धू की कमान के अधीन , आर आर के कार्मिकों की सहायता से बडगाम जिले की एक विशेष पुलिस पार्टी को एक अभियान चलाने के लिए तैनात किया। छिपे हुए आतंकवादी ने बशीर अहमद मीर के घर में भूमिगत ठिकाने में शरण ली हुई थी। उन्हें समर्पण करने के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने समर्पण प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया , और उन्होंने तलाशी पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। सैनिकों ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरूप भीषण मुठभेड़ हुई । लड़ाई के दौरान गुलजार अहमद वागे सुपुत्र अहमद वागे निवासी कनीर नामक एक नागरिक की मौत हो गई। निरीक्षक दलजीत सिंह अपने अनमोल जीवन की परवाह न करते हुए चुपके से उस घर के अन्दर घुस गए, जहां से आतंकवादी सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे। सुरक्षा बल और सिविलियनों को और अधिक क्षति पहुँचाए बिना निरीक्षक ने वीरतापूर्ण कार्रवाई द्वारा ठिकाने को नष्ट कर दिया। इसी बीच निरीक्षक घर से बाहर आया और दो आतंकवादियों को मार गिराया जिनमें से एक की पहचान एल ई टी गुट के डिवीजनल कमांडर कोड नाम चाचा के रूप में हुई और दूसरे आतंकवादी की पहचान का पता नहीं लग सका। कथित मृतक आतंकवादी कई उग्रवादी/आपराधिक मामलों में वांछित थे। तथापि , घर की दूसरी तरफ से गोलीबारी लगातार जारी थी और निरीक्षक दलजीत सिंह सिद्धू ने तीन कांस्टेबलों और 35 आर आर की एक टुकड़ी की सहायता से बाकि आतंकवादियों को व्यस्त रखा, 14/15.4.2005 की मध्यरात्रि और 15.4.2005 को निरीक्षक दलजीत सिंह उन दोनों विदेशी आतंकवादियों को मारने में सफल रहे जो छदुरा और बेरवाह क्षेत्र में कई हत्याओं में संलिप्त थे। पूरा अभियान एस पी बडगाम की देखरेख में सम्पन्न हुआ। निम्नलिखित बरामदगी हुई:-

i. ए के 47 राइफल्स	03नग
ii.ए के मैगजिन	05नग
iii.रेडियो सेट	01 नग क्षतिग्रस्त
iv.दूरबीन	01 नग क्षतिग्रस्त
v.ए के 56राइफल	01 नग
vi.ए के गोलाबारुद	85 राउंद
vii.डेक्टाफोन	01 नग क्षतिग्रस्त
viii.यू बी जी एल	01 नग क्षतिग्रस्त

इस मुठभेड़ में, श्री दलजीत सिंह सिद्धू, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं० 142-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहम्मद रशीद,
   पुलिस उपाधीक्षक
2. कृष्ण रतन,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक विशिष्ट सूचना के आधार पर 16/17.08.2005 की मध्यरात्रि के दौरान तसुरु पंतसाल तराल के सामान्य क्षेत्र में पुलिस घटक तराल और 42 आर आर के सैनिकों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जहां धोक्स में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। अभियान दल ने उस क्षेत्र को घेर लिया उनकी इस कार्रवाई को आतंकवादियों ने नोटिस किया और अभियान बलों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी काफी देर तक चलती रही। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद रशीद नाद के नेतृत्व और उप निरीक्षक कृष्ण रतन की सहायता से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को गोलीबारी में व्यस्त रखा और बड़े पेशेवर तरीके से रेंगकर/रणनीतिक कौशल का प्रयोग करते हुए पीछे से लक्षित ढोक की ओर बढ़ना शुरु किया। जैसे ही वे एक ढोक के पास पहुंचे उन्होंने एक आतंकवादी को देखा जो बच कर भागने का प्रयास कर रहा था। दल ने आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे मौके पर ही मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने हथगोला फैंका और दल की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, जिसका प्रभावी रुप से जवाब दिया गया। गोलीबारी लगातार चलती रही जिसके परिणामस्वरुप दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। मृत आतंकवादियों की पहचान इस प्रकार हुई:

I. उस्ताद उर्फ मास्टर उर्फ अबुबकर निवासी पाकिस्तान (जैश -ए-मोहम्मद का डिवीजनल कमांडर)

II. मो. अली उर्फ डॉक्टर नियत कोड बिलाल जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर, निवासी खुर्शीद अहमद चाक संख्या 644 जी बी, फैसलाबाद पाकिस्तान

मृत आतंकवादी पुलवामा और अनंतनाग जिलों में सक्रिय थे और आई ई डी विशेषज्ञ थे। दोनों सुरक्षा बलों पर किए गए कई आक्रमणों में और उसी क्षेत्र में सिविलियनों को मारने में संलिप्त था। उक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित आतंकवादी दूसरे संगठनों के आतंकवादियों को आई ई डी का प्रशिक्षण देने

में भी शामिल था। दोनों मृतक आतंकवादी दक्षिणी कश्मीर के लोगों से जबरन धन ऐंठने और आतंक फैलाने में भी संलिप्त थे। उनकी मौत से आम लोगों ने राहत की सांस ली।

मुठभेड़ के स्थान से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त हुआ:-

1.	ए के 47/56 राइफल्स	02नग
2.	ए के मैगजीन	03नग
3.	ए के जिंदे, राउंड	08 नग
4.	ग्रेनेड	02नग
5.	मोबाइल सीम कार्ड के साथ	02 नग
6.	अभिशंषी दस्तावेज	

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री मोहम्मद रशीद, पुलिस उपाधीक्षक और कृष्ण रतन, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 अगस्त, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 143-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री हरमीत सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

15/16.8.2005 की मध्यरात्रि के दौरान एक विशेष सूचना के आधार पर गांव में छिपे आतंकवादी को पकड़ने के लिए श्री हरमीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक की कमान के अधीन एस ओ जी. अनंतनाग ने मोतीपुरा, अनंतनाग में एक घेराबंदी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान , एक क्रूर आतंकवादी नामत: वाहिद मजिद कुरैशी उर्फ वलिद निवासी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (एक एम) ने एस ओ जी पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। पार्टी ने पेशेवर तौरके से जवाबी कार्रवाई की और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया। पुलिस उपाधीक्षक हरमीत सिंह की बहादुरी भरी कार्रवाई की आम जनता ने मौके पर ही प्रशंसा की। अभियान में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। मृत आतंकवादी के पास से एक ए के राईफल्स, 03 ए के मैगजिन, 45 ए के राउंड, 3 आर सी सर्कट, 01 यू बी जी एल, 02 यू बी जी एल खोखे और एक पाऊच बरामद किया गया। इससे पहले भी, इस अधिकारी ने दिनांक 18.05.2005, 9.3.2005, 10.06.2005, 1.7.2005, 3.7.2005 और 27.7.2005 को चलाए गए अभियानों के दौरान क्रमश: गुलजार अहमद उर्फ साहिद उल असलम एच एम का बटालियन कमांडर, हाशीम, एच एम का कंपनी कमांडर, अबु बेकर उर्फ अर्सलान लश्कर-ए -तैयबा गुट का बटालियन कमांडर, मोहम्मद असरफ डार, बशीर अहमद चोपान सी सी, लश्कर-ए-तैयबा, एच एम के मंजूर अहमद, मो. सलीम इरशाद अहमद, एच एम के लॉचिंग कमांडर मुख्तार अहमद लोन, एल ई टी के सी सी फैयाज अहमद मीर कोड दाऊद और एच एम का दुर्दांत हत्यारा अब्द हमीद डार निवासी ची जैसे कुछ अति वांछनीय शीर्ष आतंकवादियों को मारने /गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाई है। इन आपरेशनों के दौरान अत्याधिक मात्रा में शस्त्र/गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री हरमीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 अगस्त, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 144-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गुरजींदर पाल सिंह
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6/7 अक्तूबर, 2003 की आधी रात को, एस.पी. राजनंदगांव श्री जी पी सिंह द्वारा सूचना प्राप्त की गई कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न दलमों के 40-50 सशस्त्र नक्सलवादी जंगल के समीप और गांव मंडलाटोला, पी एस गाटपुर में एक प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे। सूचनानुसार, नक्सलवादी स्वचालित हथियारों, हथगोलों और बारूदी सुरंगों से लैस थे। श्री जी पी सिंह ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस स्टेशन गाटपुर गए। उन्होंने अल्प समय में ही विभिन्न पुलिस स्टेशनों और डी आर पी लाइन से 1निरीक्षक, 2 एस आई, 1 पी सी, 1 ए एस आई, 10 एच सी, और 47 कांस्टेबलों का बल इकट्ठा किया और उनको 4 दलों में विभाजित किया अर्थात् अलग -अलग 3 पार्टियाँ और श्री जी पी सिंह ने स्वयं अपने नेतृत्व में आक्रमण पार्टी के रुप में चौथी पार्टी को संगठित किया। सभी पार्टियों को प्रतिकूल और खतरनाक भूभागों एवं शत्रु शिविरों से प्रत्यक्ष खतरे के बारे में सूक्ष्मता से जानकारी दी गई। बारूदी सुरंगों के खतरे को ध्यान में रखते हुए पूरी पार्टी लक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए 15 किमी पैदल चली। श्री जी पी सिंह के नेतृत्व के अधीन पुलिस पार्टी ने आधी रात को अगम्य और खतरनाक भूभागों को पार किया और चतुराईपूर्ण योजना से पड़ोसी गांवों और अतिवादियों को भनक लगने दिए बिना शिविर स्थान को पूरी तरह से घेर लिया । उग्रवादी शिविर को अलग की गई पार्टियों द्वारा पूर्ण रुप से घेर लेने के बाद, श्री जी पी सिंह ने अपनी पार्टी के साथ प्रभावी आक्रमण करने हेतु शिविर के समीप पहुँचने के लिए उचित स्थान तक प्रतिकूल भूभाग को रेंग कर पार किया। नक्सली संतरियों ने पुलिस पार्टी को देखते ही आक्रमण पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। सनसनाती हुई गोलियां श्री जी पी सिंह के कान के नजदीक से गुजर रही थी। शत्रु शिविर से भारी एवं प्रचंड गोलीबारी के बावजूद और अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी को खतरे में डालते हुए श्री जी पी सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए बल को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया और नक्सलवादी शिविर की दिशा में बहादुरी पूर्वक रेंगते हुए एवं गोलीबारी करते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। बारूदी सुरंगों का खतरा भी शत्रुओं का विरोध करने हेतु उन्हें आगे बढने से रोक नही सका। तथापि, श्री जी पी सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नक्सलवादी शेर सिंह उर्फ सोमजी को 303 राइफल और जिंदा राउंडों के साथ पकड़ने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया और गम्भीर चोटों को झेला। गम्भीर घावों के बावजूद, वह खतरनाक स्थिति में अडिग रहे और वहां अत्यधिक संख्या मे उपस्थित उग्रवादियों ने उनपर और उनकी पार्टी पर गोलियों की बौछार कर दी। श्री जी पी सिंह मिशन को सफल बनाने के लिए नक्सलवादी गोलीबारी के आवेग को सहन करते हुए अपने कर्त्तव्य पालन से भी आगे बढ़ गए। आखिरकार श्री जी पी सिंह के नेतृत्व में विषम और कठिन परिस्थितियों के तहत व्यवहारिक रुप से योजनाबद्ध अभियान में 5 दुर्दान्त और सशस्त्र नक्सलवादी पकड़े गए और इन उग्रवादियों के पास से अत्यधिक मात्रा में शस्त्र एवं गोलाबारुद जब्त किया गया। गिरफ्तार नक्सलवादियों के नाम 1. शेर सिंह उर्फ सोमजी एवं 2. कैलाश उर्फ

पाडु उर्फ सुकुल , जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिलों में सक्रिय टांडा दलम से संबंधित थे, 3. विनय उर्फ दुलेश एवं 4. दुर्ग सिंह उर्फ सुनील जो महाराष्ट्र के गढ़छिरोली जिले के कोरछी दलम से संबंधित थे और 5. त्रिवेणी उर्फ ललीता, माहराष्ट्र के गढ़छिरोली जिले के कुरखेड़ा दलम से संबंधित थे। इन लोगों ने अत्यधिक जघन्य अपराध जैसे कि हत्या, डकैती, आगजनी और पुलिसवालों पर हत्या के प्रयास किए हुए है। श्री जी पी सिंह इस बहादुरी साहस और वीरतापूर्वक कार्रवाई में शिविर के स्थान से अत्यधिक मात्रा में शस्त्र और हथियार भी बरामद किए गए जिनको भागते हुए नक्सलीवादी छोड़ गए थे। जांच करने पर वहां से और अधिक हथियार और गोलाबारुद, नक्सलवादी साहित्य और उग्रवादियों द्वारा बनाए गए गोदाम के नजदीक से हथियार मरम्मत कार्यशाला भी मिली। अत्यधिक विषम परिस्थितियों और अपनी जिन्दगी के प्रति गम्भीर खतरे के तहत श्री जी पी सिंह ने स्थिति का निडरता और वीरता से सामना करते हुए असाधारण साहस, वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया जिसके कारण उन दुर्दांत आतिवादियों को गिरफ्तार किया जा सका जिन पर अत्याधिक इनाम था और शिविर स्थान से हथियारों और गोलाबारुद का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। अपनी असाधारण तत्काल बुद्धि और विशिष्ट प्रचलानात्मक योग्यता के साथ उन्होंने अपने व्यक्तियों की सुरक्षा ही नहीं की बल्कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना गांव वालों की जिन्दगी और संपत्ति की भी रक्षा करी। इस अनोखी वीरतापूर्ण कार्रवाई से पकड़े गए नक्सलवादियों की उपस्थिति के परिणामस्वरुप समुदाय में फैली असुरक्षा की भावना से सम्पूर्ण क्षेत्र स्वतंत्र हो गया।

इस मुठभेड़ में, श्री गुरजींदर पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 145-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार/ पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. दलजीत सिंह चौधरी,
   पुलिस उपमहानिरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
2. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
   पुलिस उपाधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. अजय पाल गौतम
   उप निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. लाल सिंह,
   कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
5. शांतिसरण,
   कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
6. संतोष कुमार,
   कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.1.2006 को, दलजीत सिंह चौधरी, डी आई जी/ एस एस पी इटावा ने पुलिस उपाधीक्षक जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एस आई अजयपाल गौतम और बल के अन्य सदस्यों के साथ अजीत -मनोज गैंग, जिसने हाल ही में सनसनीखेज अनेक लोगों का अपहरण किया था, की तलाश में सेकतपुरा की तंग घाटियों में कम्बिंग ऑपरेशन चलाया। लगभग 1045 बजे, जब वे यमुना नदी के किनारे के नजदीक सेकतपुरा गांव की गहरी एवं घनी तंग घाटियों से जा रहे थे तभी अचानक उनके 15-20 सदस्यों के गैंग ने पुलिस पार्टी की छोटी टुकड़ी को देख लिया और छोटी पहाड़ी के ऊपरी भाग में होने का फायदा उठाते हुए कई दिनों से गैंग का पीछा कर रही पुलिस पार्टी को बड़ा आघात पहुंचाने के इरादे से पुलिस पार्टी पर एक शक्तिशाली ग्रेनेड फेंका। इस अचानक हमले से पुलिस पार्टी स्तब्ध रह गई और उसे सदमा लगा। बिना समय नष्ट किए श्री दलजीत सिंह चौधरी ने अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन और अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अजय पाल गौतम, लाल सिंह, संतोष कुमार और शांतिसरण के साथ गैंग से लड़ने के लिए आक्रमण पार्टी बना ली और शेष पुलिस पार्टी गैंग को कवर करने /अवरुद्ध करने के लिए पहाड़ी के दक्षिण एवं उत्तरी तरफ पहुंची। जब आक्रमण पार्टी गैंग के समीप पहुंचने के लिए पहाड़ी की तंग खड़ी ढाल पर चढ़ रही थी तभी पुलिस पार्टी को पहाड़ी पर चढ़ने से रोकने के लिए उन पर दूसरा ग्रेनेड फेंका गया। ग्रेनेड के छर्रों ने दलजीत सिंह, जितेन्द्र श्रीवास्तव और अजय पाल गौतम को चोट पहुंचाई और वे सभी खड़ी ढाल से गिर गए परन्तु अगले ही क्षण साहस न खोते हुए और शूरवीरता से, मरने और मारने की स्थिति में दलजीत सिंह की कमान के अधीन आक्रमण पार्टी ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी करते हुए गैंगस्टरों के आक्रमण का सामना किया। गैंगस्टरों के साथ अपहृत लोग भी थे। गैंग लीडर चिल्लाया कि यदि पुलिस पार्टी गैंग के नजदीक आने की कोशिश की तो वे बंधक व्यक्तियों को मार देंगे। गैंग ने अपहृत व्यक्तियों की

आड़ ले ली और आक्रमण पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। आक्रमण पार्टी के पास अब इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था कि अपने आपको गोलियों से बचाने और गोलीबारी करते हुए बदमाशों के पास पहुंचे और आर पार की गोलीबारी में उन्हें मारते हुए बंधकों की रक्षा करें। सम्पूर्ण घाटी में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दलजीत सिंह के नेतृत्व के अधीन आक्रमण पार्टी गोलियों की गूंज की परवाह न करते हुए गोलीबारी रेंज में घुस गई और नजदीक की लड़ाई में गैंगस्टरों पर गोलीबारी की और एक बदमाश को और एक बदमाश को मौके पर ही मार गिराया। यह देख कर अपराधी आक्रमण पार्टी पर गोलीबारी करते हुए मौके से भागने लगे और उन्होंने बंधकों की ओट ले ली। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया परन्तु वे अपने हथियार फेंक कर भाग गए और बंधकों को भी छोड़ गए तथा सघन और झाड़ीदार क्षेत्र में ओझल हो गए। श्री दलजीत सिंह चौधरी ने घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अनुकरणीय साहस द्वारा महत्वपूर्ण क्षणों में पुलिस पार्टी को प्रेरित करते रहे तथा खतरे का सामना करते हुए असाधारण धैर्य, विशिष्ट नेतृत्व बहादुरी एवं अदम्य वीरता का परिचय दिया। इस घटना में निम्नलिखित बरामदगी हुई।

1. .303 बोर की एक अर्ध स्वचालित राइफल, 80 जिंदा और 20 खाली राउंड।
2. दो डी बी बी एल गन 12 बोर की।
3. 12 बोर की एक एस बी बी एल गन, 85 जिंदा और 25 खाली राउंड। उक्त सभी हथियार फैक्ट्री निर्मित हैं।
4. 90 जिंदा और 10 खाली राउंड के साथ, एक .315 बोर की राइफल (देश निर्मित)
5. एक एस बी बी एल गन (देश निर्मित)

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री दलजीत सिंह चौधरी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, अजय पाल गौतम, उप निरीक्षक, लाल सिंह, कांस्टेबल, शांतिसरण, कांस्टेबल और संतोष कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार का द्वितीय बार/पुलिस पदक के संबध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते है तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 जनवरी, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 146-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अमिताभ यश,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22.7.2005 को श्री अमिताभ यश, पुलिस अधीक्षक जालौन को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि निर्भय गुर्जर का भारी शस्त्रों से लैस एक दुर्दान्त अंतर-राज्जीय गिरोह जालौनी माता मंदिर के नजदीक यमुना पार करने वाला है। श्री यश ने तत्काल अपनी क्रैक टीम को इकट्ठा किया और उस नदी के किनारे घात बिछाई। लगभग प्रातः 3.30 बजे, गिरोह के शस्त्रों से सुसज्जित दस सदस्यों ने कुछ सामान के साथ एक नौका में नदी पार की। पुलिस बल ने घेराबंदी मजबूत कर दी। उस गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिए दो बार कहा गया जिसका जवाब उन्होंने अपने स्वचालित शस्त्रों से भारी अंधाधुंध गोलीबारी करके दिया। श्री यश ने आत्मरक्षा में गोलीबारी करने का आदेश दिया और उस गिरोह के काफी नजदीक पहुँच गए। इस प्रक्रिया में, श्री यश को एक गोली लगी जिसने उनकी बुलैट प्रूफ जैकेट की ऊपरी सतह को भेद दिया। उनके द्वारा किए गए एहतियाती उपाय से उनकी जान बच गई। इस प्रकार की करो या मरो की स्थिति में, यह श्रेय उनके अदम्य साहस, अपरिमित भावना, ड्यूटी के प्रति समर्पण और सक्रिय नेतृत्व को जाता है जिसकी वजह से वे भारी गोलीबारी से नहीं घबराए। श्री यश ने डकैतों पर नियंत्रित लेकिन भारी गोलीबारी करके दबाव बनाते हुए अपनी पुलिस टीम का नेतृत्व किया। पुलिस कर्मी भी नदी पार से स्वचालित हथियारों से की जा रही गोलीबारी का सामना कर रहे थे। अपनी जान को गंभीर खतरा होते हुए भी श्री यश ने लगभग पैंतालीस मिनट तक डकैतों को घेरे रखकर लड़ाई जारी रखी। पुलिस के आक्रामक रवैये को देखकर, डकैतों ने, जिनमें से कुछ घायल हो गए होंगे, बाढ़ से घिरी तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा दी और वे उसमें बह गए। कुछ डकैत अपने साथ हथियार ले गए लेकिन कुछ ने नदी के किनारे अपने हथियार छोड़ दिए। श्री यश ने भी नदी पार से गोली कर रहे डकैतों पर गोलीबारी की जो बाद में भाग गए। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, बुध सिंह उर्फ लाठीवाला, जो निर्भय गुर्जर गिरोह का एक बेरहम पक्का निशानेबाज और सेकेंड इन कमांड था, का गोलियों से जख्मी शव पाया गया। उसके सिर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 20,000/- रुपए का और पुलिस अधीक्षक भिंड की ओर से 5,000/- रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। खाली कारतूस, लैटर पैड और रोजमर्रा की मदों के साथ-साथ एक ए के 56 राइफल, एक थामसन मशीन कारबाइन, एक स्टेनगन, एक स्प्रिंगफील्ड सेमी-ऑटोमेटिक राइफल, एक .405 राइफल, दो .315 बोर राइफल (सभी फैक्टरी निर्मित) और जीवित गोलाबारुद के 648 राउंड भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री अमिताभ यश, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए प्रदान किया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 29 जून 2007

सं. यू-13019/1/2007-सीएचडी--इस मंत्रालय की दिनांक 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. यू. 13019/1/99-सीएचडी के अधिक्रमण में निम्नलिखित व्यक्ति, दिनांक 22.09.2000 की प्रधान अधिसूचना सं. यू. 13019/1/97 के पैरा 1(ग) तथा 1 (ङ) के अनुसार, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से अगले आदेशों तक, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति के सदस्य होंगे :

पैरा 1(ग) के अन्तर्गत :--

(i) श्री भजन सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद

(ii) श्री धर्मेन्द्र सिंह, सदस्य, जिला परिषद

पैरा 1(ङ) के अन्तर्गत :--

(i) श्रीमती अमृत बोलारिया

(ii) श्री जतिन्दर भाटिया

(iii) श्रीमती अनु चतरथ

(iv) श्रीमती कमलेश

बी. ए. कुटीनो
संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2007

संकल्प

सं. 4(2)/97-खान-I--केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की 7 उप समितियों के गठन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 20 अगस्त, 2002, 02 जून, 2003 तथा 2 फरवरी, 2006 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों/संगठनों/विभागों को उनके सामने उल्लिखित सीजीपीबी की उप समितियों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है :--

1. अपर महानिदेशक, ईआरईसी, नई दिल्ली
2. महानिदेशक, बोर्डर रोड्स संगठन, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, प्रबंध एवं आपदा मिटीगेसन केंद्र, बेलौर
4. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अथॉरिटी, नई दिल्ली
5. निदेशक, पर्यावरणीय योजना एवं तकनीकी केन्द्र, अहमदाबाद
6. सदस्य सचिव, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, यू.पी., लखनऊ
7. निदेशक, डीजीएम (उ.प्र.) लखनऊ
8. निदेशक, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि 08 संगठन, जो लगातार अनुपस्थित रहे हैं, के नाम केन्द्रीय उप समिति समूह (सीजीपीबी) IV की उपर्युक्त उप-समिति समूह से हटाए जाते हैं।

1. डीजीएम, मध्य प्रदेश
2. एनटीपीसी, नई दिल्ली
3. एनईसी, शिलॉंग
4. नालको, भुवनेश्वर
5. सेल, नई दिल्ली
6. टिस्को, जमशेदपुर
7. जेएनयू, नई दिल्ली
8. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाईफ, देहरादून

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) सभी संबंधित को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प (अंग्रेजी और हिंदी में) जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दीपक श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2007

सं. एफ. 9-2/2003-यू. 3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत संतोष व्यास, गाजियाबाद की संस्थाओं के समूह को सम विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 18 मई, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ 6-77/2004-(सीपीपी-I) सिफारिश की है कि उक्त संस्थाओं को संतोष विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाए;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा संतोष विश्वविद्यालय के नाम एवं शैली में निम्नलिखित संस्थाओं को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा एक वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जाए, जिसमें संस्थाओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ दौरा एवं निरीक्षण करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों में दर्शायी गई कमियों को दूर करने के संबंध में अनुपालन को सत्यापित करना शामिल है;

(i) संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद, और

(ii) संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद

(5) संतोष विश्वविद्यालय को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करना तभी प्रभावी होगी जब संस्था द्वारा इस मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए नीचे दी गई निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा:

(i) छात्रों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हितार्थ तथा उच्च शिक्षा के मानदण्डों को बनाए रखने के लिए संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद और संतोष डेन्टल कालेज, गाजियाबाद की सभी चल और अचल परिसम्पितियाँ संतोष विश्वविद्यालय के प्रबंध के लिए गठित एवं पंजीकृत न्यास/सोसायटी को अंतरित होकर उसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी।

(ii) संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद और संतोष डेन्टल कालेज को अपने आपको सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अर्थात् चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से असम्बद्ध करना होगा।

(6) उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 7 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

(7) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संतोष विश्वविद्यालय अथवा इसकी संघटक शिक्षण इकाईयों को कोई योजनागत अथवा योजनेत्तर अनुदान नहीं देंगे।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2007

सं. एफ. 20-47/2005-यू. 3--

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 एवं 5 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-25/2000-यू.3 के माध्यम से अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, तमिलनाडु, जिसके अधिकार क्षेत्र में शुरूआत में पांच शिक्षण इकाईयां शामिल थी, को पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात समीक्षा की शर्त के आधार पर नई श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एवं एक और संस्था को शामिल करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अब केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "अमृता स्कूल आफ बायोटेक्नालॉजी", अमृतापुरी, केरल, जो इस समय अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी की एक संघटक शिक्षण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, को "अमृता विश्व विद्यापीठ", सम विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के अधिकार क्षेत्र में एक पृथक संघटक इकाई के रूप में तत्काल प्रभाव से शामिल करने की घोषणा करती है।

3. पैरा 2 में की गई घोषणा इस शर्त के अधीन होगी कि नई श्रेणी के तहत आवश्यक मानकों के अनुसार अमृता विश्व विद्यापीठम एवं इसके अन्य संघटक इकाईयों की समीक्षा करते समय अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नॉलाजी, अमृतापुरी की भी समीक्षा की जाएगी।

4. यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन होगी।

5. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'अमृता विश्व विद्यापीठम, सम विश्वविद्यालय' अथवा इसकी किसी भी संघटक संस्था को कोई योजनागत अथवा योजनेत्तर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. एफ. 2-4/2000-ई.ई.-3--

विषयः सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन

सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति के गठन को अधिसूचित करने वाली इस मंत्रालय की दिनांक 3.12.2004 की अधिसूचना के अनुसरण में। एतद द्वारा भारत सरकार आगामी दो वर्षों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद और कार्यकारिणी समिति के लिए निम्नलिखित नामांकन करती है।

2. शासी परिषद में निम्नलिखित होंगेः-

<u>शासी परिषद</u>

i) भारत के प्रधानमंत्री – अध्यक्ष
ii) मानव संसाधन विकास मंत्री – उपाध्यक्ष
iii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
iv) वित्त मंत्री, भारत सरकार
v) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
vi) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
vii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
viii) मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों (राजनैतिक पार्टियों द्वारा यथानामित) के छह वरिष्ठ स्तरीय राजनेता निम्नलिखित होंगेः-

क) डा0 जी. परमेश्वर, संसद सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011

ख) श्री डी.पी. त्रिपाठी, महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी-9-6249, वसंत कुंज, नई दिल्ली

ग) बहुजन समाज पार्टी-नामिती प्रतीक्षित।

घ) श्री शमीम फैजी, सदस्य, केंद्रीय सचिवालय, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, अजय भवन, 15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग (कोटला मार्ग), नई दिल्ली-110002

ड.) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-नामिती प्रतीक्षित

च) श्री बलवंत पी. आपटे, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

ix) संसद के 3 सदस्य (दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से) (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामन प्रतीक्षित)

x) भारत सरकार द्वारा नामित राज्यों के छह शिक्षा मंत्री, जिन पर प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व है, निम्नलिखित होंगे:

क) मिजोरम के शिक्षा मंत्री

ख) उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री

ग) मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री

घ) राजस्थान के शिक्षा मंत्री

ड.) जम्मू और कश्मीर के शिक्षा मंत्री

च) आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री

xi) शिक्षकों और शिक्षक संघों के भारत सरकार द्वारा नामित छह प्रतिनिधि निम्नलिखित होंगे:-

क) श्री रामफल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक परिसंघ, 41, सांस्थानिक क्षेत्र, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

ख) श्री काशीनाथ झा, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा महासंघ, एक्जीबिशन रोड, पटना-1, बिहार

ग) श्री मृण्मय भट्टाचार्य, महासचिव, शिक्षक संघ का विश्व परिसंघ

घ) श्रीमती बी. नैयर, केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।

ड.) श्री गिरीश कुमार निगम, सहायक शिक्षक, राजकीय बालिका मिडिल स्कूल, वार्ड नं. 3, सिंघपुर रोड, शहडोल, मध्य प्रदे

च) श्रीमती डिकी डोंका लेपचा, प्राथमिक स्कूल शिक्षक, माडर्न गवर्नमेंट स्कूल, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम, सिक्किम – 737101

xii) भारत सरकार द्वारा नामित शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से 5 व्यक्ति निम्नलिखित होंगे:–

क) स्वामी स्वरूपानंद, रामकृष्ण मिशन आश्रम, सुरेश नगर, थातीपुर, ग्वालियर

ख) श्रीपाल दिनकरन, कारूण्य सम विश्वविद्यालय, सिरुवानी मेन रोड, कारुण्या नगर पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

ग) डा0 शांता सिन्हा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

घ) सिस्टर सिरिल, प्राचार्या, लोरेटो कन्वेंट, कोलकाता

ड.) श्री एम. रहीम खान, भूतपूर्व अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड, मध्य प्रदेश।

xiii) शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के भारत सरकार द्वारा नामित छह व्यक्ति निम्नलिखित होंगे:–

क) श्री एस.एस. चक्रवर्ती, निदेशक, रामकृष्ण मिशन, कोलकाता

ख) श्री संजय भदोरिया, सचिव, सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केंद्र, अर्जुन नगर, सीधी, मध्य प्रदेश

ग) डा0 माधव चवन, प्रथम, 101, रायल केस्ट, लोकमान्य बसंत रोड–3, दादर, मुम्बई–400014

घ) श्री ललित सुरजन, अध्यक्ष, जन दर्शन मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़

ड.) डा0 के. विश्वनाथन, निदेशक, मित्र निकेतन, वेलनाड, केरल–695543

च) श्री एस.एन. मेठी, 223, गायत्री नगर–बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान।

xiv) महिला संगठनों से भारत सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति निम्नलिखित होंगे:–

क) सुश्री शारदा जैन, संधान, जयपुर

ख) प्रो. फातिमा अली खान, निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007

ग) डा0 कल्याणी मेनन सेन, निदेशक, जागोरी, सी–54, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2, नई दिल्ली–110049

xv) प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच कार्य कर रहे भारत सरकार द्वारा नामित तीन व्यक्ति निम्नलिखित होंगे:–

क) श्री राम दयाल मुंडा, भूतपूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड

ख) प्रो. मृणाल मिरी, कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

ग) श्री आई.एस. राव, डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर समाज विज्ञान संस्थान, महू, मध्य प्रदेश

3. निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:–

क) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

ग) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

घ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

च) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

छ) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन–सदस्य सचिव

4. सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष परिषद की बैठक में विशेष आमंत्रिता के रूप में ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त रूप से बुला सकते हैं जिन्हें वे

उपयुक्त समझें। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और वे पुनःनामन के लिए पात्र होंगे।

कार्यकारिणी समिति

5. सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i) मानव संसाधन विकास मंत्री–अध्यक्ष

ii) राज्य मंत्री (प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी), मानव संसाधन विकास–वरिष्ठ उपाध्यक्ष

iii) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग–उपाध्यक्ष

iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

v) उप कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

vi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

vii) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

viii) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

ix) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

x) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

xi) शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों में से भारत सरकार द्वारा नामित 7 गैर सरकारी सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

क) श्री जॉन कुरियन, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, 8, डक्कन कालेज रोड, यरवदा, पुणे–411006

ख) सुश्री ईलिना सेन, रूपांतर, ए–26, सूर्य अपार्टमेंट्स, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़

ग) श्री ललित सुरजन, अध्यक्ष, जनदर्शन मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़

घ) डा० मिथुर अलुर, अध्यक्ष, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इनक्लूजन, मुम्बई

ङ.) सुश्री सहबा हुसैन, निदेशक, 'बेटी' फाउंडेशन, बी–86, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

च) डॉ0 आनंद लक्ष्मी, चेन्नई

छ) श्री जावेद आबिदी, नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड, ए–77, साउथ एक्सटेंशन (पार्ट–I), नई दिल्ली–110049

xii) 4 राज्यों के भारत सरकार द्वारा यथानामित शिक्षा सचिवः–

क) तमिलनाडु के शिक्षा सचिव

ख) असम के शिक्षा सचिव

ग) महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव

घ) बिहार के शिक्षा सचिव

xiii) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन–सदस्य सचिव

डी. के. गौतम
उप सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2007

सं. के-14012/101/2006/एनयूआरएम--

इस मंत्रालय की दिनांक 27.2.2006, 21.7.2006 और 3.01.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में दिनांक 27.2.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा-5 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि इसे निम्नवत पढ़ा जाए :-

" ग्रुप के गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे(i) हवाई यात्रा(इकोनोमी) व्यय की शर्तें,(ii) 2500 रूपए प्रतिदिन की दर से होटल व्यय और(iii) वास्तविक आधार पर टैक्सी प्रभार ।"

इस मंत्रालय की दिनांक 27.2.2006 की पूर्व अधिसूचना में यथा परिकल्पित तकनीकी परामर्शी दल (टीएजी) की अन्य शर्तें और निबंधन वही रहेंगे ।

इसे शहरी विकास मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

एस. कनकाम्बरन
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd July 2007

No. 100–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Gujarat Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Purshottam Manabhai, (PMG)**
   Driver Police Constable
2. **Gangadhar Jagganath Patil (PPMG)(Posthumous)**
   Unarmed Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of the 4th November, 2005 the above mentioned Police Constable had proceeded for night patrolling duty in the town area of Dabhoi Police Stations, led by the Police inspector of Dabhoi Town, Shri S.J. Patel in the Police Jeep, Dabhoi I mobile. They were on patrolling for the entire night and at 4:30 hrs in the morning they dropped the Police Inspector at his residence in the Government Rest House and proceeded towards the police stations. On the way back, by the headlight of the vehicle, they saw a person with two big and heavy bags in his hand near the railway crossing. His movement and situation aroused their suspicion and they decided to check him. They stopped the vehicle, and ordered the suspect to halt there. Then the late Police Constable Gangadhar Patil alighted from vehicle and started to check one of the bags of the suspect. At that moment, a mobile phone started to ring from inside the other bag of the suspected person. Hearing the sound of the ringing phone, the driver police Constable Purshottam Manabhai got down from the driver's side of the vehicle and came to the other side to assist in the checking. He opened the bag with the ringing phone, and saw by the headlight of the vehicle that it contained mobile phone and handsets and other suspicious items. Immediately he said loudly to the Asst. Sub Inspector Galiyabhai who was also one of the occupants in the vehicle. By that time, the suspect had started to assault the late Police Constable Gangadhar Patil with a knife due to which he collapsed badly injured. Seeing this the Police Constable, Purshottam Manabhai proceeded to apprehend the accused, grabbed him with both and tried to over power him but the suspect also assaulted him with a sharp weapon on the left side of the chest. This caused him serious injury and the suspect escaped from his grasp and jumped into a talav that adjoins the road in which this incident took place. The Asst. Sub Inspector Galiyabhai was about to run after the suspect but he was

restrained by the driver Police Constable Purshottam Das who was losing consciousness due to his injuries. Police Constable Gangadhar Patil was also lying unconscious. Before the driver Police Constable Purshottambhai became unconscious, he displayed great presence of mind by contacting the control room and all group through wireless and relaying the message about the incident. It was 4:45AM in the morning. Thereafter Asst. Sub Inspector Galiyabhai went to a society near the scene of incident in search of help and with the assistance of the local persons sent both the Constables to the Pramukh Swami Hospital, Dabhoi. Owing to the seriousness of the case, the injured Policemen were referred to S.S.G. Hospital Vadodara, where Police Constable Gangadhar Patil was declared dead by the doctor. Driver Police Constable Purshottambhai was operated upon and remained in intensive care for many weeks. He luckily recovered well. On the day of incident, relevant complaints were registered in the Police Station. The muddamal that was recovered by these two policemen was identified by the owner and valued at Rs. 5,30,760/-. The two policemen had acted with great daring and alacrity in the interest of crime control. Occupational hazards and the fear of imminent danger had not stifled their initiative and their devotion to duty. To save public property, they had suffered grievous injuries and one of them had made the ultimate sacrifice on the altar of duty..

In this encounter S/Shri Purshottam Manabhai, Driver Police Constable and (Late) Gangadhar Jaggannath Patil, Unarmed Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th November, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 101–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. P.R. Shan, Deputy Superintendent of Police

2. Sandeep Kumar, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12-02-2005 at 0800 hours Dy. SP Surankote received a reliable information regarding the presence of terrorists at Hari. A joint operation of police led by Dy. SP Surankote with the co-ordination of 45 RR was launched. During search operation the presence of three militants was established at the residence of Mst. Zeenat Noor Wd/O Gulzar Hussain Gujjar resident of Hari. Terrorists were asked to surrender but the terrorists ignoring the warning made the women, her minor son Sharaz Ahmad hostage. Terrorists were engaged in negotiations to surrender, suddenly at 1500 hours terrorists started indiscriminate firing upon troops. The fire was retaliated but there was an apprehension about loss of civilian lives who were held hostage. The Dy. SP Surankote then asked the army authorities and his policemen to halt the fire and constable Sandeep Kumar alongwith the tear smoke equipment went close to the window of the room where the terrorists were holding hostages. As soon as the tear smoke shell was lobbed, the terrorists were blinded and started coupling. In the meanwhile both the hostages were rescued by the Dy. SP Surankote and body guard Sandeep Kumar at the risk of their lives. After getting the hostages released safely, terrorists resorted to firing which continued for about one hour then suddenly all the three terrorists came out of the house firing indiscriminately. One terrorist advanced and was fired upon /killed on spot by Dy.SP Surankote and Constable Sandeep Kumar. The identity of the slain terrorist has been established as Zabir Shaheen Code Abu Qasim of LeT outfit R/O Gujjarianwala Pakistan. Two more terrorists killed in this encounter were identified as Mohd Iqbal @ Usman Iqbal of LeT outfit R/O PAK and code name Sakinder of HM outfit (Local). Those killed terrorists of LeT outfit, Abu Qasim & Abu Usman (FM) were active in Poonch District since 2000 & 2003 respectively and were involved in several terrorist activities. Abu Qasim with his group had been found involved in Case FIR No. 159/03 U/S 302/120-B/RPC

P/S Surankote in which the heads of two ladies namely Mst Mumtaz begum W/o Mohd Iqbal and Mst Faroza Kouser W/O Sarwar Khan R/O Bufliaz were chopped off. The following recoveries were made:-

(i) Rifle AK- 47	03 Nos.
(ii) Magazine AK-47	09 Nos.
(iii)Ammunition AK-47	201 Rounds
(iv) Hand Grenades	01 No.
(v) Radio Set I-Com	02 Nos.

In this encounter S/Shri P.R. Shan, Deputy Superintendent of Police and Sandeep Kumar Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th February, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 192–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Nitish Kumar, Superintendent of Police**
2. **Gulab Khan, Head Constable**
3. **Ghulam Rasool, Selection Grade Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific intelligence input received from reliable sources about the presence of some foreign militants in village Bakihakar, Handwara, on 22-4-2005, a search operation was launched by Police Handwara jointly with Army under the overall command of SP Handwara, Shri Nitish Kumar, IPS. When the area was being cordoned off terrorists took positions in one of the houses. The moment house-to-house search was started the search party came under the heavy volume of fire from a house. On being fired upon, the search party took cover and started retaliating in self defence. During the course of this fire fight it came to light that there were five (5) terrorists and they had shifted to a hideout in the house and had taken some civilians as hostage, thereby making the operation very difficult. The immediate task was to safely evacuate these civilians from the clutches of these terrorists. For the rescue operation two parties were formed to evacuate the civilians entrapped in the houses - one party was formed under the command and leadership of Shri Nitish Kumar, IPS (SP Handwara) and the other rescue party was formed under the leadership of Major G. S. Gill of 21-RR Army. Both the rescue parties very courageously, under the 'covering fire', sneaked into the house (from the backyard) where terrorists had kept the civilians as hostage. During the entire rescue operation the dreaded terrorists kept on firing indiscriminately upon the security forces. However with great caution and care all the civilians were successfully evacuated. Since it was getting dark and considering the past practice there was a chance that the hiding terrorists could not only get the strategic upper hand in the operation but could also burn the entire village to divert the attention of the security forces, an action plan was formulated to either make the terrorists surrender or to neutralize them. Two assault parties of Police and Army were formed to take on this final challenge. The motto of the assault parties was to arrest or neutralize the terrorists in the shortest possible time. The Police Assault Party was lead by Shri Nitish Kumar, IPS (SP Handwara), HC Gulab Khan No. 375/H and Sgct

Gh. Rasool No. 384/H and other officials. The Army Assault Party was lead by Major G.S Gill. Both these parties were having wireless communication network with each other. Maintaining a great co-ordination both these parties reached very close to the houses where the terrorists were holed up. The assault parties took the help of mobile steel bunkers to go near the 'target house' and although kept on systematically firing and lobbing hand grenades to keep the terrorists low-lying for the moment, yet the hiding terrorists kept on firing indiscriminately on the assault parties. Both the parties exhibiting great courage, without losing their temper entered into the houses. Due to consistent and strategic fire control and tightening of cordon the terrorists were cornered in a room. The dreaded terrorists after some time began to lose their morale. Taking the advantage of this sign the joint assault parties finally took a great risk and all these officials without caring for their personal security, showing high level of professionalism, 'stormed' and shot the terrorists on spot, who were later identified as :-

1. Abu Dujana @G-2 R/O Pakistan(Divisional Commander of LeT outfit)
2. Abu Hanzulla @G-8 R/O Pakistan(LeT)
3. Ab. Wasim @G-9 R/O Pakistan(LeT)
4. Chota Umer R/O Pakistan(LeT)
5. Abu Israr R/O Pakistan(LeT)

During the fire fight explosives being carried by terrorists caught fire and the hideout got burnt . As a result the terrorists' dead bodies recovered had got badly charred. The following arms and ammunition were recovered from the slain terrorists:

1.	AK 47	04
2.	AK 56	01
3.	AK Mags	14
4.	Radio Sets	05
5.	Empty Grenade bodies	10
6.	UBGL	02

In this encounter S/Shri Nitish Kumar, Superintendent of Police, Gulab Khan, Head Constable and Ghulam Rasool, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 103–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Zahid Naseem Manhas,
Superintendent of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27/01/2006, on a specific information that a group of 6-7 heavily armed terrorists of LeT outfit is likely to infiltrate into own side via Salotri border during the intervening night of 27/28 January 2006. SP Hqrs Poonch & Dy.SP (Ops) Poonch and nafri of commando group and P/S under the supervision of SP Hqrs Poonch rushed to the target area and shared the information with CO 10 Sikh-LI. Accordingly an operation was planned and a joint operation comprising of Police personnel and Army nafri was launched to neutralize the terrorists. The nafri was divided into four columns and police personnel being locals and well versed with the topography of the area, led the troops towards the targeted area. Two columns, one led by ASI Mushtq Hussain and other led by Manzoor Hussain 14/SPO were briefed to hide themselves among bushes and keep vigil on movement of ANEs. The other columns one led by Shri Z.N.Manhas, SP Hqrs Poonch and one by Shri Sanjay Singh Rana Dy SP (Ops) Poonch prioritized to plug the escape routes in order to destroy or nab the fleeing terrorists. At about 0200 hours, the hiding troops observed the movements of 6/7 armed terrorists near the fence. On being challenged to surrender, the terrorists started firing indiscriminately with their automatic weapons on the ambush parties and started running away. Their fire was retaliated by the alert troops. As already decided, escape routes were plugged within no time. The exchange of fire continued for about one and a half hour. In exchange of fire six terrorists of LeT outfit were killed. Shri Z.N.Manhas, SP Hqrs Poonch was able to gun down two fleeing terrorists one after the other. SP Hqr. not only meticulously planned the operation but also risked his life by killing the fleeing terrorists. Besides a large quantities of arms and ammunition including satellite phones, radio sets etc were recovered. One major and one havaldar of NCA sacrificed their lives during the encounter. During a subsequent search made on 29-03-2006 a dead body of 7th terrorist was recovered.

In this encounter Shri Zahid Naseem Manhas, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

24—141 GI/07

No. 104–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Ayoub,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07-03-2006, acting on an information provided by P/S Achabal and confirmed by local Army Unit regarding presence of terrorists in village Sheikhpora, a joint cordon and search operation was carried out in the said village. The Police/ Army Unit were deployed in the outer cordon of the village and house to house search was started by a search party under the command of SI Mohd Ayoub, No. 4503/NGO. During search operation, the presence of terrorists was noticed in a house. They were warned to surrender but they refused and remained hiding there. Police party and Army troops planted an explosive device outside the house which was exploded, forcing the terrorists to come out who started firing. SI Mohd Ayoub and his party, displayed a great courage while retaliating the firing. In the encounter one terrorist was killed who was later on identified as Irshad Ahmad Khan @ Abu Khalid @ Sulla S/O Baidullah R/o Sheikhpora Gujjarpati-Anantnag of HM outfit. The Arms/Amn recovered from possession of slain terrorist are :-

01.	Rifle AK-47	01 No. (damaged)
02.	AK Mag	04 Nos (01 damaged)
03.	AK Amn.	95 rds
04.	Radio set	01 No.
05.	Mobile set	01 No. (damaged)
06.	Pouch	01 No.

In this encounter Shri Mohd. Ayoub, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 105–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Subash Chander Sharma
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.04.2005 at 2215 hrs, on a specific information about presence of terrorists in the house of one Gh. Ahmad Sheikh S/O Gh. Hassan Sheikh R/O Mulshulla Beerwah Budgam, cordon and search operation was launched b6 34 RR (JAT) alongwith Police party of P/S Beerwah and SOG Beerwah headed by HC Subash Chander Sharma. During operation terrorists fired upon the search party. In the ensuing gunfight HC Subash Chander without caring for his personnel security confronted with the terrorists and encouraged his party to eliminate the terrorists. The force fought valiantly and killed two dreaded terrorists on the spot, one of them was identified as Bambar Khan, S.S Divisional Commander of Al-Badar militant outfit (Foreign terrorist) and the other as unidentified foreign terrorists. During gunfight one solider of 34 RR namely Pawan Kumar sustained injuries.

In this encounter Shri Subash Chander Sharma, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 306–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shabir Ahmad, Inspector**
2. **Bashir Ahmad, Selection Grade Constable**
3. **Ghulam Ahmad, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific and reliable information on 29.01.2006 regarding the presence of two dreaded terrorists of banned HM outfit in village Ladi, Pahalgam, the police party of P/S Pahalgam headed by Insp. Shabir Ahmad , SHO P/S Pahalgam assisted by SGCT Bashir Ahmad and Constable Gh. Ahmad launched a search operation for the terrorists, who were hiding in the village. During the search operation, police party came under indiscriminate firing by terrorists which was retaliated. In the ensuing gun battle, Inspector Shabir Ahmad alongwith above mentioned Police officials tactfully, skillfully and bravely, without caring for their lives, killed one of the terrorists on spot, while as the other one entered in a nearby residential house. In the meanwhile reinforcement arrived at the scene. At the end of operation which lasted for hours, the other terrorists was also killed. The slain terrorists were later on identified as Jami Chouhan @ Juma set code Towseef R/O Lehan Dajan Bn Commander of HM outfit and Rashid Hajan @ Asif R/O Nalla Awoora. A huge quantity of Arms/Ammunition was recovered from the possession of slain terrorist with the details as under :-

1. Rifle AK- 47	=	01 No.
2. Rifle AK 56	=	01 No.
3. AK Mag	=	06 No's
4. AK Amn	=	07 Rds
5. Grenade	=	03 Nos (destroyed in situation)
6. Radio set ICOM	=	01 No.
7. Electronic	=	01 No (destroyed in situation) detonator
8. Charger for	=	01 No (destroyed in situation) detonating IED

In this encounter S/Shri Shabir Ahmad, Inspector, Bashir Ahmad, Selection Grade Constable and Ghulam Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 107–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Yougal Manhas
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the wee hours of 03.03.2006, SDPO Mendhar received an information that Abu Umar Hazarvi @ Abu Katab a self style District Commander of LeT Rajouri, alongwith his two associates, was moving in Sangiote village of P/S Gursai Distt. Poonch. Without loss of time, SDPO Mendhar alongwith nafri of Police Commando Group, Army 38 RR and CRPF 150 Bn planned the operation and immediately rushed towards the identified area. The operation was immediately launched in village sangiote (Nakkar Mohalla). The manpower was divided into three columns and the areas was cordoned off from three sides. Two columns started search from left and right side of the Mohalla respectively and one column led by SDPO Mendhar started combing operation from top downswards the mohalla. At around 1030 hours, while the search was still going on SPO Suresh Kumar Sharma No. 144/SPO sighted a hideout adjacent to a house near a nallah and subsequently passed on the information to SDPO Mendhar. SDPO Mendhar directed the men to move close to the specific area and cordon it. The hideout being close/adjacent to house, SDPO Mendhar immediately shifted the inmates of the house to a safe place and started zeroing. As the searching party was zeroing into the hideout, terrorists started indiscriminate firing. The searching party also took position and a fierce encounter started. The exchange of fire continued for more than four hours but no results achieved. As the hideout was approachable only from one side, situation demanded emergency steps. SPOs Jagdish Chander No. 869/SPO and Suresh Kumar Sharma No. 144/SPO volunteered to go closer to the hideout and started crawling towards it when both the officials were approaching the hideout, two terrorists came running out of the hideout, firing a heavy volume of fire towards the officials but with high spirits and brave heart both the terrorists were killed by the combined fire of SPO Jagdish Chander No. 869/SPO and Suresh Kumar Sharma No. 144/SPO. It was going dark and the third terrorist was still firing from the hideout. Taking precautions and planned meticulously,

the hideout was kept under watch throughout the night and the terrorist kept engaged in fire fight. On 04-03-2006, during the wee hours, the third terrorist came running out of the hideout who was immediately eliminated by S. Yougal Manhas, Dy SP SDPO Mendhar by burst of fire. The entire operation lasted for over a day resulting in killing of three hardcore foreign terrorists identified as Abu Umar Hazarvi @ Abu Katab, a District Commander of LeT Rajouri and his two associates Abu Mahanjan @ Abdul Haq and Abu Murtaza. The entire operation was meticulously planned and professionally conducted. There was no loss of life on the part of Police /Army and also there was no collateral loss of life and property of civilians of the Mohalla who have a sigh of relief after the elimination of these three dreaded terrorists. Abu Hazarvi was operating in the adjoining District Rajouri for the last 2-3 years and used to frequently shift his base to this area because of its unapproachable terrain and boundary line.

In this encounter Shri Yougal Manhas, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 108–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kulbir Singh
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Mr. Kulbir Singh, Dy. SP (Ops) Kishtwar District Doda, by means of concerted efforts and psychological ingenuity motivated two hard core terrorists namely Rafiq @ Kamran s/o Gulam Nabi R/o Pullar, Teh Commander JEM and Mohd Safi @ Khalid s/o Noor Mohd R/o Budh dhar Bonjwah. Sec Commander JEM who surrendered on 05 April 2005 with Rifle AK-2, Amn AK- 41 rds, Mag AK – 02, Hand Gren-02 (Destroyed in situ) and Pouches- 02 at Pias. The officer with exceptional professionalism, indomitable spirit and resolve motivated Rafiq @ Kamran to reveal information about location of other terrorists of the group who could cause harm to his family members after his surrender. With assurance from Mr. Kulbir Singh, Kamran a dreaded terrorist agreed to get other terrorists of the group eliminated. Mr. Kulbir Singh by his meticulous operational preparation made Kamran speak to other JEM terrorist and fixed Tekra (Chichha) as a meeting place. Once the meeting place was settled the officer prepared a tactical plan which was accepted by the Army/ CRPF officers. These parties reached the general area where the terrorists were hiding. As soon as the columns reached Chichha at about 0930 hrs on 06-04-2005, the area was cordoned off. Mr. Kulbir Singh volunteered to be the strike party commander. There after the officer along with two jawans started closing in from an angular approach. As this party reached approx 75 mtrs from the hideout one of the terrorists fired upon the strike party. The terrorist also threw a grenade which missed the party and when he was about to throw another grenade. Mr. Kulbir Singh, by his accurate firing killed the terrorist on the spot. Suddenly the other terrorists who were inside the hideout fired a volley of shots on the party. Mr. Kulbir Singh with complete disregard to his personal safety displayed exceptional valour threw a grenade, which made his jawans to take safe fire positions. Mr.Kulbir Singh then shifted from his position and adjusted the position of the two jawans also. Thereafter this party of three, utilizing the full efficiency of their automatic weapons, killed the second terrorist also. The firefight continued till late afternoon, with army columns in support, providing

fire support from rocket launchers also. However, the difficult terrain, steep slope and the formidable rock in front of the hide out acted like a fort wall. The firing continued the whole day and ensuing night, with Mr. Kulbir Singh displaying extreme sense of responsibility and high tactical knowledge, coordinating the operation. Next day at first light Mr. Kulbir Singh made a tactically viable and valiant suggestion of eliminating the remaining terrorist by bunker bursting drill. This was straight-way agreed upon by the army column commander. For the second time winning the initiative, Mr. Kulbir Singh alongwith a party of five jawans closed in towards the hide out. Reaching almost 25 mtrs from the hide out, the officer lobbed a grenade at the exit of the hide out. After this the party started firing inside the hide out. On receiving no retaliatory fire Mr. Kulbir Singh himself led this party of five for a final confirmatory assault inside the hide out. On moving inside the hide out the body of third Pak terrorist was found.

In this encounter Shri Kulbir Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 109–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Ghulam Mohd Head Constable**	**(PPMG)(Posthumous)**
2.	**Surbjeet Singh, Selection Grade Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23.01.2006 on a specific information received by District Police Kupwara regarding presence of terrorists in village Deekikote, Police Party of District Kupwara under the command of Inspector Imtiyaz Ahmad No.4521/NGO (SHO P/S Kupwara) laid a siege around the suspected house to nab the terrorists. The terrorists hiding inside the house fired upon the party. On this HC Gh. Mohd No. 665/KP with the help of SG CT Surbjeet Singh No.1063/KP and SPO Mohd Shafi No.107/SPO advanced towards the exit of the house. While police party was advancing towards the terrorists, they came under heavy volume of fire from terrorists. HC Ghulam Mohammad No.665/KP, SG CT Surbjeet Singh No.1063/KP and SPO Mohammad Shafi No.107/SPO showed greatest degree of valour while fighting terrorists. They continued their fight with the terrorists inspite of sustaining injuries and finally eliminated two dreaded terrorists. HC Ghulam Mohammad and SPO Mohammad Shafi later succumbed to injuries at SDH Kupwara. SG CT Surbjeet Singh was referred to Army Hospital Drugmulla for further treatment. Following arms/ ammunition was recovered from the possession of slain terrorists:-

1.	AK 47 Rifles	= 02 Nos.
2.	Mag AK	= 04 Nos (01 damaged)
3	AK Rounds	= 30 Nos.

In this encounter S/Shri (Late) Gh. Mohd, Head Constable and Surbjeet Singh, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 110–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **J.L. Sharma, Senior Superintendent of Police (1st Bar to PMG)**
2. **Pawan Kumar Parihar, Deputy Superintendent of Police (1st Bar to PMG)**
3. **Daljeet Singh, Inspector (PMG)**
4. **Vinod Kumar, Prob. Sub-Inspector (PMG)**
5. **Vijay Kumar, Prob. Sub-Inspector (PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16.1.2006, at 0900hrs. after receipt of reliable information regarding presence of two dreaded terrorists in Anji Nallah, about 10 KM away from Police Station Reasi, near Trikuta Hills, it was immediately shared by Shri J.L. Sharma, IPS SSP Reasi with Sh. Pawan Parihar, Dy. SP- SDPO Reasi. The specific area in which the terrorists were hiding themselves was identified on map with the help of local sources and a planning/strategy to take on the terrorists was chalked out. Since it was not possible to use Police Vehicles, four Tata Sumos were arranged and a well planned and organized operation was launched. SSP Reasi along with SDPO Reasi, after issuing necessary instructions to the operational party, proceeded towards the location. The terrorists were given an impression that some Railway Employees/Workers might be travelling in the vehicles because normally they use such type of vehicles. After de-boarding from the vehicles, about 04 KMs short of the location, the operational party was divided into four groups i.e. Main Striking party, Covering Party No. 01, Covering Party No. 02 and Rescue party. The Main Striking Party was led by Sh. Pawan Parihar Dy. SP, SDPO Reasi. The operational parties cordoned off the entire area under the command of SSP Reasi and identified the hide out which was a cattle shed of one Mahan Gujjar S/O Suleman adjoining his dwelling house. Since all the family members of Mahan Gujjar, alongwith some cattle heads, were present in the dwelling house/cattle shed, it was the first and foremost duty to get the family members evacuated to avoid any human loss. The SSP Reasi alongwith Shri Daljeet Singh, Inspr. 1531/NGO, SHO P/S Reasi, crawled towards the dwelling house

and very quietly and tactfully evacuated 15 family members including ladies and children to a safer place. Even their cattle heads were also shifted to the safer place. Immediately after this exercise, the terrorists were challenged and motivated to surrender but instead of responding, the terrorists started firing indiscriminately on the Main Striking party. Sh. Pawan Parihar, SDPO Reasi, who was leading the Main Striking Party immediately swung into action, took position and started retaliation bravely. The terrorists were firing from inside the hideout on all the sides to engage the operational parties. Despite retaliation from our side, the terrorists continued firing from their hideout. In the mean while , Sh. Pawan Parihar, Dy. SP, SDPO Reasi, ordered one of the official, who was carrying grenades, to lob one grenade inside the hideout, who very bravely crawled up to the main entrance of cattle shed and lobbed one grenade, with the result one of the terrorist came out of the hideout and started firing and running. On this , one member of the main striking party reacted by firing towards the terrorist. Then the said terrorist jumped in the nallah and threw one grenade on the operational party, but the striking party and SSP Reasi had a narrow escape. Then SDPO Reasi & SHO P/S Reasi, without caring for their lives crawled down towards the nallah and dropped dead the terrorist in a very close battle. The second terrorist who was engaged in retaliation by the covering parties, suddenly came out of the hideout and started running towards nallah and kept on firing on the Covering Parties by taking advantage of big boulders. PSI Vinod Kumar and PSI Vijay Kumar, without caring for their lives, chased the terrorist and dropped him dead in a very close battle. The encounter continued for 35-40 minutes. The operational parties under the command of SSP Reasi succeeded to eliminate both the dreaded terrorists of LET outfit. The identity of one of the slain terrorist was established as Mohd. Fareed@ Abu Zaffar (Field Commander) S/o Gh. Mohd. R/o Angrala, Tehsil Mahore, District Udhampur, who was a close associate of Abu. Saad, Divisional Commander of LET outfit of Mahore area. The following recoveries were made from the site of encounter:

Rifle AK-Series	:	02
Mag. of AK-Series	:	08
Amn. Of AK-Series	:	189
Grenades	:	02 (Destroyed on spot)
Wireless Set	:	01
Pouch	:	02
Indian Currency	:	2077/-
Pak Currency	:	15/-
Saudi Arabian Currency	:	01 Riyal
I-Card	:	01
Torch	:	02

It is worthwhile to mention here that both of the terrorists were sighted by some civilians near Trikuta Hills on 13.01.206 who were reportedly on way to

Katra Vaishnodevi to commit some sensational crime. On receipt of this information an operation was organized by worthy IGP Jammu Zone Jammu but after three days long operation, the terrorists could not be sighted and ultimately they were eliminated in the instant operation. The operation being meticulously planned and organized ended into a big success by eliminating these two terrorists who reportedly were planning Fidayeen Attack at Vaishno Devi Shrine. This was a major tragedy has been averted.

In this encounter S/Shri J.L. Sharma, Senior Superintendent of Police, Pawan Kumar Parihar, Deputy Superintendent of Police, Daljeet Singh, Inspector, Vinod Kumar, Prob. Sub-Inspector and Vijay Kumar, Prob. Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 111–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Chingtham Surjit Kumar, Havildar**
2. **K. Sachikumar Sharma, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17.5.2006, the Chief Minister of Manipur was visiting Sugnu village, a remote area located at a distance of about 65 kms, from Thoubal District Police Headquarters. Being an insurgency-infested area, around 10:00 a.m. heavy security coverage along the route was made including deployment of commandos. At about 11.a.m., while a commando team led by Havildar Ch. Surjit Kumar was on patrolling in Langmeidong area, when the convoy of Chief Minister crossed over the area about half-an-hour back, a car (Maruti Santro) was seen coming in a very high speed from Wabgai Lamkhai side towards the area where the commandos were positioning themselves. Immediately, on seeing the commandos at a distance of about 100 meters, the Maruti car took a reverse turn towards the west and proceeded towards Hiyanglam village side through a village lane. On strong suspicion, the commandos rushed into their vehicle and chased the car heading towards the Hiyanglam village along the said lane. With determined act of chasing, on reaching Hiyanglam Makha Leikai, the commandos could get closer to the Maruti car to overtake them. The commandos shouted them to stop and the occupants were asked to come out of the vehicle with their hands up for verification of their identity. The occupants did not respond to the warning, rather started firing towards the commandos from inside the vehicle. The commandos retaliated and there ensued a lively encounter. During the encounter, the militants, 4 in number including the driver, managed to come out of the vehicle and fired upon the commandos heavily. On the other hand, Havildar Ch. Surjit Kumar, who was the commander of the team, signaled his men to take position behind a higher formation of ground near a nullah (of about 5/6 feet width) and put up the fight courageously. One of the commandos namely Rifleman K. Sachikumar Sharma, followed by other personnel like Rifleman Th. Sarat, While trying to advance forward with incessant firing, got hit and suffered injury in his leg. Least caring for the safety

of his life and with courage inspite of the fact that he got hit with bullet in his leg, Rifleman K. Sachikumar Sharma gallantly fought against the UGs. Still Rifleman Sachikumar Sharma did not deter from the tough fight and continued his firing by getting closer to Havildar Ch. Surjit Kumar. Immediately, Havildar Surjit Kumar signaled his men to lay down while he himself rushed to a low-lying muddy area, behind a thick cluster of bamboos at a distance of about 10/15 feet. Havildar Surjit Kumar, with incessant firing, charged upon the militants. Not able to withstand the gallant acts of fighting against them with dogged determination and utmost bravery shown by Havildar Surjit Kumar, the militants, even though equipped with sophisticated arms, perceived the determined acts of the commandos and started retreating from the area and dispersed in various directions. Havildar Surjit Kumar charged against them and fired on a person who was trying to fire back. He was killed as hit by Havildar's bullet on different parts of his body. When firing from the opposite direction stopped, the commandos conducted a search operation. Wherein a dead body, later on identified to be that of one Moirangthem Jiban Singh @ Tombi @Romeo, 25 years of age, s/o M. Jeet Singh of Lamlai Tellou, self styled Sergeant of the banned outlawed organization Peoples Liberation Army was found. One AK-56 Rifle bearing No. 56-1-12070793 loaded with six live rounds of AK ammunition, one W.T. Kenwood set, two Chinese hand grenades were recovered from the spot. Later on, it was confirmed that the team of militants in the Maruti car was comprising of underground leaders watching over the movement of the Chief Minister for an opportune moment of ambush. However , the plan could not be materialized due to timely acts of the commandos.

In this encounter S/Shri Chingtham Surjit Kumar, Havildar and K Sachikumar Sharma, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th May, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 112–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Nagaland Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K.K. Chishi,
Additional Superintendent of Police.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On May 29th 2004, Dr. Maongwati a prominent medical officer of Dimapur Town was critically injured when he was fired upon by some gunmen near civil hospital Dimapur. The situation immediately became highly volatile, as Dr. Maongwati is a famous and renown doctor in Nagaland. The case was highly sensational and therefore a Special Investigation Team was set up. After the initial intelligence collection, the SIT decided to take the help of Shri K.K. Chishi who was posted as Addl SP at Zunheboto district, as the suspect, a dreaded member of the NSCN (IM) hails from this district. Shri K.K. Chishi received the call for help on 22nd June, 2004 and immediately started enquiry and swung into action by handpicking a few of his trusted personnel. The NSCN (IM) organization was also on the look out for this suspect. On learning that the suspect was hiding in a cave inside a thick jungle about 30 kilometers away from Zunheboto Town, the officer with four personnel rushed to the jungle at night. The party walked for 10 kilometers in the thick forest through the heat of summer, rain and mosquitoes. The officer ordered his men not to open fire but to apprehend the suspect alive in the interest of investigation. Accordingly the party surrounded the cave and started closing in. Suddenly the suspect attacked the officer with a long dagger but after a fierce struggle the suspect was over powered and finally arrested. The suspect who was identified as Kiviyi was taken towards Zunheboto but on the way information was received that the NSCN (IM) cadres were awaiting in the midway to snatch away the suspect. Shri K.K. Chishi immediately decided to proceed towards Kohima by taking a detour and the lone vehicle under great risk reached Kohima in the wee hours of the morning. The suspect Kiviyi was then handed over to the SIT who confessed that he was the person who fired at Dr. Maongwati.

In this encounter Shri K.K. Chishi, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 113–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Surender Kumar,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27/04/2005, an information was received that one Sandeep @ Narsimha, wanted in double murder case of Haryana Police Head Constables, would come in a Maruti Zen car having registration no. HR-12-3843, to deliver the Sten gun robbed from the police to one of his contact at Kishangarh village, New Delhi. On this information six police teams were deployed and the vehicle was spotted near Shahid Jeet Singh Marg, JNU. The vehicle was tailed and intercepted by the police teams at Aruna Asaf Ali Road. On interception, Sandeep got out of the vehicle and fired at the police teams and tried to flee. The police teams returned the fire and in the ensuing encounter Sandeep @ Narsimha was injured. He was removed to Safdarjung Hospital, where he was declared brought dead. A 0.38 bore Webley Scott revolver used by accused Sandeep for firing at the police teams has been recovered along with the stengun, one magazine and 10 rounds that he had snatched from the Haryana Police Head Constables after killing both of them. A case vide FIR No. 271/05 u/s 186/353/307 IPC & 25 Arms Act has been registered at PS Vasant Kunj and is being investigated by the local police. The Maruti zen car being used by the deceased gangster was found to be stolen from PS Sikandrabad, UP vide FIR No. 17/05 u/s 379 IPC PS Sikandarabad, UP. After receiving the secret information that dreaded, notorious and desperate interstate gangster Sandeep Deswal @ Narsimha, wanted in the murder of two Haryana Police Head Constables, will visit in the area of Kishangarh, Vasant Vihar, Delhi to deliver the looted carbine to some one. Various teams of officials of Special Cell were constituted. HC Surender alongwith other staff was positioned in a Govt. vehicle at the JNU- Shaheed Jeet Singh Marg, T point. After spotting suspected Zen Car, occupied by wanted accused coming from the Ber Sarain side, their team without wasting any moment quickly followed the Zen Car. The second team already positioned near Sahara Restaurant, Kishangarh, also started moving towards the direction of first team. Both the teams in co-ordination with

each other intercepted the suspected Zen Car, at the Zig - Zag way at Asaf Ali Road. Sandeep became suspicious and got out of the vehicle. Despite disclosing the identity of police part and warning to surrender, Sandeep fired at the police teams and tried to flee away in the adjoining ridge. HC Surender No. 299/SB, in a swift action jumped out of the official vehicle to apprehend the criminal. Having killed two police officers recently, the emboldened criminal fired at the police officers chasing him. HC Surender exhibited utmost courage and bravely confronted the criminal. The valiant officer fearlessly continued chasing the harnosed gangster and also returned fire. The desperate gangster tried to hide in the shrubs and trees in the nearby forest but the officer running out of his breath followed him despite the uneven rocky hard path. Without any cover for his own safety, the die-hard officer bravely confronted the desperate gangster fact to face. In the ensuing encounter, which lasted for about 15 minutes, the most wanted desperate gangster was injured. HC Surender fired four rounds from his pistol, thereby, saving the lives of his fellow team members and public persons and played a vital role in neutralizing a desperate and most wanted gangster.

In this encounter Shri Surender Kumar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 114–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police**
2. **Badrish Dutt, Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

While working on the case of terrorist attack at Ram Janam Bhoomi-Babri Majid structure, special cell of Delhi Police came across many mobile numbers of Airtel Jammu and Kashmir. These mobile numbers were being used by the terrorist having affiliations with banned terrorist organization Jaish-e-Mohammad, who had played major role in carrying out Fidayeen attack on the said structure. In order to apprehend these terrorists a team of Special Cell, Delhi Police was dispatched to Srinagar J&K in the last week of July 2005. Team relentlessly worked on couple of numbers and slowly and steadily took almost all the mobile numbers used by the terrorists of JeM under interception. This included the mobile numbers of JeM Chief in India Badar @ Adnan. Every movement of this one terrorist organization is watched analyzed and understood. This set up erected by Delhi Police in J&K lead to many in time transfer of useful and secret information to other Agencies. A network of sources and contacts laid in J&K supplemented by technical surveillance started giving dividends. On 26.08.2005, on the basis of this network one Mohd. Aslam Wani @ Amit Kumar r/O Mohalla- Zahidpora Hawal, Lal Bazaar, Srinagar, J&K was apprehended in Delhi and 5 Kgm. Of RDX, 10 electronic detonators, one pistol, 15 live cartridges and Rs. 62.96 Lacs in cash were recovered from his possession. Mohd. Aslam Wani disclosed that he works as carrier for militant outfit Jaish-e-Mohammad and carries to and fro arms and ammunition, money, militants etc. on the direction of JeM commanders. Team stationed at Srinagar started working for apprehension of accused persons wanted in case mentioned above. Team was working in hazardous condition and circumstances and followed the movements of terrorists. Subsequently, on 21.09.2005, another terrorist of Jaish-e-Mohammad, Tehsil Commander Khursheed Ahmed Butt @ Kamran-ul-Islam @ Captain @ Faiyaz @ Rana Sohail s/o Abdul Gani Butt r/o Mohalla Gona Pocha, Tral, Pulwama, J&K was apprehended from Pulwama with great difficulty when he tried to explode one of the Hand Grenade, he was carrying. It was a brush with instant death for the team members that

apprehended Khursheed Ahmed Butt. Khursheed Ahmed Butt was carrying 6 live hand grenades, one .38 calibre pistol, 72 live cartridges, one spare magazine of the pistol, stamp of Tehsil Commander of JeM along with other incriminating documents were recovered from his possession. Specific information was received in Delhi that one Jaish-e-Mohammad militant hailing from Pakistan is hiding in Jawahar Nagar area of Srinagar, J&K. This information was brought in the notice of senior officer and a team consisting of Sh Sanjeev Yadav, ACP, Insp. Mohan Chand Sharma, Insp. Badrish Dutt, SI Sanjay Dutt, SI Kailash Bisht, SI Rahul, HC Ajeet No.411/SB, HC Udaibeer No. 2140/DAP and Const Gulbeer No. 4437 DAP left for Srinagar, J&K to act upon this information. This team left Delhi in a special plane being arranged for this purpose. In order to develop and to act upon the information, sources were deployed and technical surveillance was mounted. During the course of developing above said information, it was revealed that the heavily armed militant of JeM is trying to set up his base in Srinagar and presently taken shelter in house No. 198, Jawahar Nagar, Srinagar. The house was resided by Insp. Mohan Chand Sharma and Insp. Badrish Dutt. On the direction of senior officers, Special Operation Group (SOG) of Sri nagar, J&K was approached. This small but dedicated group of officers from Special Cell of Delhi Police was to perform one of the best operations against militants under adverse conditions. On 20.11.2005 at about 9 PM team of Special Cell and SOG entered the house number 198, Jawahar Nagar, Srinagar, J&K and cordoned the house. First of all the people living in the house were evacuated while the Pakistani terrorist who was later identified as Saifullah @ Kana r/o Balakot, Pakistan took position in the bathroom facing the main door, armed with AK 47 and hand grenades. The bathroom was the best place to hide for the terrorist. The house had two entries one at the front while other at the back. Anyone in the bathroom could keep a watch on the movement at the front door and the back door. For a person as heavily armed with assault rifle and hand grenades the task became easier. The Terrorist hurled hand grenades at the police party when they tried rescuing the inmates and to apprehend him. Police party in self-defense also opened fire. The hardcore militant holed up in the house put up fierce battle. He indiscriminately fired at police party injuring three J&K police personnel. The ensuing battle lasted for nearly one hour. When the firing stopped from militant's side police party also stopped firing. He was cautiously approached and shifted to hospital. A Case vide FIR No. 105/2005 dated 20.11.2005 U/S 307/121/122/120B RPC, 25 I. Arms Act, PS Raj Bagh, Srinagar, J&K has been registered in this regard.

ACP SANJEEV YADAV

ACP Sanjeev Yadav in this whole operation lead from the front, may it be solving the case or confronting the heavily armed terrorist. He supervised the whole operation from the scratch. One of the most hazardous of the tasks undertaken by him was this operation. He was in-charge of this operation,

taking care of all his men and wanting to apprehend the terrorist holed up in the house with huge cache of arms and ammunitions. ACP Sanjeev Yadav true to the spirit of a leader, got the house number 198, Jawahar Nagar, Srinagar, J&K surrounded from all side. There were two gates visible to the terrorist, who fortified himself in the bathroom of the house. One gate was the front gate of the house while other was the back door. There were stairs leading to the first floor also very close to the bathroom. And these were the possible route of escape of the terrorist. ACP Sanjeev Yadav deputed Insp. Mohan Chand Sharma and Insp. Badrish Dutt at the front and back door of the house, with clear instructions not to allow the terrorist to escape. His prime objective was to take out the inhabitants of the house, who were stranded in different rooms of the house and sitting ducks. In this catch one situation the people inside the house were most vulnerable, as they were unarmed and prone to cross fire between police and terrorist. He initiated a new tactics, talking to the terrorist, who was at ear shot distance. He asked the terrorist to surrender before him against all odds, standing before the terrorist well within the range of all the weapons and ammunitions he was carrying. He left no stone unturned to convince the terrorist that he will be safe if he does not open fire. He persuaded the terrorist to let the woman and children come out of the house. At last there was just one person inside the house, sensing the danger that person was in, ACP Sanjeev Yadav called the person out of the house on the pretext of getting cigarettes for the terrorist. Once that person was out, terrorist, who was later identified as Saifulla, the Divisional Commander of Jaish-e-Mohammad, started firing indiscriminately. ACP Sanjeev Yadav had a narrow escape. He taking stock of the situation continued directing the staff and fired 3 rounds from his 9mm in order to neutralize the terrorist.

ACP Sanjeev Yadav, unmindful of the imminent danger he was in not only neutralized the terrorist but played instrumental role in saving the life of other five people, who were in the house along with the terrorist.

INSP. BADRISH DUTT

Insp. Badrish Dutt was also associated with this case, equipped with AK 47 was blocking the rear door of the house number 198, Jawahar Nagar, Srinagar, J&K in order to prevent the escape of terrorist. He had taken up position few yards from the position of the terrorist, blocking the door and keeping an eye on the stairs that go to first floor of the house. Soon after the last inmate of the house was called out of the house, furious terrorist opened fire in two directions including the one manned by Insp. Badrish Dutt. Knowing fully well that he has been cordoned off, Pakistani terrorist Saifulla launched an attack with burst of AK 47 in order to escape. As the back door was the closest from the place terrorist had taken position with loads of arms and ammunition Insp. Badrish Dutt faced the burnt for manning the back door. Ringed by the

bullets of terrorists, it was impossible to get the terrorist and it was dangerous to enter the house. But the way terrorist was acting he was a potential threat not only to the police party but to the neighborhood. Insp. Badrish Dutt ignoring all dangers to his personal safety crawled in the house from places to places to keep up the fight and kept on going closer to the terrorist. Insp. Badrish Dutt continued his tirade against the terrorist with doubtless bravery in crises and nothing could subdue him and no amount of hardship could break him. Insp. Badrish Dutt came under heavy fire from terrorist who was desperate to take the back door at any cost, but undeterred Insp. Badrish Dutt continued firing. In a war like situation he braved the bullets of the terrorist who was well fortified and was firing from his assault rifle and throwing grenades at the same time. Insp Badrish Dutt continued firing at the terrorist, forcing the terrorist to buckle up and retreat

Insp. Badrish Dutt showed cool courage, conspicuous fighting qualities and leadership in the highest tradition of police in neutralizing Pakistani terrorist Saifulla. Insp. Badrish Dutt fired 5 round from his AK 47 in order to neutralize the terrorist.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police and Badrish Dutt, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th November, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 115–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Prithvi Singh, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Sukhbir Singh Malik, Sub-Inspector**	**(PMG)**
3.	**Rajbir, Constable**	**(PMG)**
4.	**Rishi Raj, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Inspector Prithvi Singh received specific information was on 01/09/2005, that notorious criminal Aman Kumar an absconding criminal heavily armed would be visiting Vijay Vihar via Ganda Nala between 5 AM to 6 AM on a two wheeler scooter no. DL7S-P4739 with intention to commit some crime. Immediately Inspr. Prithvi Singh alongwith staff rushed to the spot and laid a trap at strategic location in the area. Inspr. Prithvi Singh and SI Sukhbir Singh positioned themselves in front of the charge. At about 5.22 AM Aman Kumar riding on a two wheeler scooter was spotted coming from Rithala Road, metro station side and going towards Vijay Vihar. SI Sukhbir Singh and Const. Rishi Raj (both wearing police uniform) signaled the rider to halt, who being a shrewd criminal, sensed police presence and fell along with two-wheeler on the ground. Meanwhile, he whipped out his revolver and fired on Inspr Prithvi Singh despite having received bullet on chest, assessing lives of subordinate team members in danger, did not care a bit of his own life and return fire in a flash. SI Sukhbir Singh assessed the situation and challenged the culprits, who in turn fired on SI Sukhbir Singh, who also received bullet on his chest. SI Sukhbir Singh also returned fire briskly. Both Inspr. Prithvi Singh and SI Sukhbir Singh escaped from bullet injuries due to bulletproof jackets. Meanwhile, Const Rajbir and Const. Rishi Raj, seeing their seniors in danger, rushed towards culprits without caring their own lives and fired upon culprit. Aman Kumar spread a volley of bullets on Inspr. Prithvi Singh and SI Sukhbir Singh. Both of them displaying rare gallant act with out caring of their own lives came forward and straightly kept moving towards Aman Kumar, while returning fire in self defense. When firing was stopped from culprit's side, he was found seriously injured and he was immediately rushed to Sanjay Gandhi Hospital by police party where he was declared as brought dead. Ct. Rajbir was also injured and

sent to the same hospital for treatment. A case vide FIR No. 878/05 u/s 186/353/307 IPC and 25/27/54/59 Arms Act has been registered at PS Rohini, Delhi. It was an extra ordinary effort of Inspector Prithvi Singh and SI Sukhbir Malik & his fellow police personnel, who showed extra-ordinary courage, devotion to the duty and gallant act without caring their lives. Commitment to the cause by the team members recommended was above the mark. In such an adverse situation where the desperate criminal was firing indiscriminately, police party might have met with serious casualties.

In this encounter S/Shri Prithvi Singh, Inspector, Sukhbir Singh Malik, Sub-Inspector, Rajbir, Constable and Rishi Raj, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st September, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 116–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Orissa Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S. Praveen Kumar, Incharge, Superintendent of Police**
2. **Bibhuti Bhusan Parida, Sergeant of Police**
3. **Rajendra Kumar Barik, Deputy Subedar of Police**
4. **Bishnu Prasad Dhakal, Havildar**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.04.2006 morning Nominee-I S. Praveen Kumar, IPS Superintendent of Police (I/C), Deogarh received information about violent activity of 20 Maoists in village Adash under Reamal P.S.in the previous night. Nominee-I contacted his sources and collected vital information about the presence of Maoists, prepared a detailed tactical plan for neutralizing them, divided the officers and force available into three assault teams, briefed them in details and led the entire operation himself from the front. Nominee-2 Sri Bibhuti Bhusan Parida, Nominee-3 Sri Rajendra Kumar Barik and Nominee-4 Sri Bishnu Prasad Dhakal led the three assault teams. The Police team under the leadership of Nominee-1 walked for about 7 kms. through the dense Kansar Reserve Forest and mountain under scorching heat of the sun and after reaching near village Barakhol, they started combing the area from all directions in that hostile terrain. While proceeding inside the forest taking all precautions, Nominee-1 and Nominee-2 who were in the front of the assault teams noticed a group of Maoists in olive green uniform and carrying rifles. Nominee-1 directed Nominee-3 and Nominee-4 to advance from the left and right flank to cut off the escape routes. On his direction, Nominee-2 asked the Maoist group to surrender in a clear and loud voice. But the Maoist group opened fire from automatic weapons. The three assault teams advanced with available cover courageously unmindful of the hails of bullets being showered on them by the Maoist and retaliated the fire in self defence. Nominee-1 and Nominee-2 were in the front of the main assault team and first came under the fire of the Maoists, Nominee-3 and Nominee-4 were leading the assault teams from the front on the left and right flanks respectively. They advanced tactically and prevented the escape of the Maoist group from left and right unmindful of the grave danger to

their lives. This fierce exchange of fire continued for nearly 30 minutes and resulted in killing of three dreaded Maoist cadres one of whom is the Area Commander, Four police persons including Nominee-4 received minor injuries in this operation. After the cease fire the Police party searched the area and found three dead bodies of Maoists Raju @ Sanjeeb Biswal, Tuna @ Tuna Balua and Jayanta. They were involved in series of cases of Maoist violence and were absconding. Six number of NBWs relating to cases of Maoist violence including massacre were pending against deceased Tuna Balua. One SLR, huge quantity of ammunitions, detonator, personal belongings and important documents/ Maoist literatures/books throwing a lot of light on their organization, cadres and future plans etc. were recovered from the scene of exchange of fire. This is the subject matter of Reamal P.S. Case No.53 dt.18.04.2006 under section 147/148/307/121/121-/A/122/121-A/149 IPC/ 25/27 Arms Act/4 & 5 Explosive Substance Act. This classic and fire encounter is the first ever successful encounter with armed cadres of S.D.S. Zonal Committee of the CPI (Maoist) in which server casualty has been inflicted on them. Since their operation from early part of 2003 in Central Orissa, they had not received any casualty in police action inspite of the wanton violence perpetrated by them and, thereby, proving them invincible. This single successful operation had dealt a body blow to the CPI (Maoist) movement in the Orissa and restored public confidence. The determination, bravery, courage, a sense of purpose and devotion to duty shown by Nominees 1,2, 3 and 4 in leading this most successful anti-naxalite operation from the front unmindful to the grave risks to their lives raised the morale of the force to a great height.

In this encounter S/Shri S. Praveen Kumar, Incharge, Superintendent of Police, Bibhuti Bhusan Parida, Sergeant of Police, Rajendra Kumar Barik, Deputy Subedar of Police and Bishnu Prasad Dhakal, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th April, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 117–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Koushik Sarkar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5.8.2006 he accompanied SI Apan Barman with Constable C/6857 Biswa Kr. Debbarma and Women Constable Laxmi Das of Longthorai Valley PS to Nayania Mura, Bamutia, PS Airport, West Tripura District for ensuring recovery of a kidnapped girl in connection with Longthorai Valley PS Case No. 8/2006 U/S. 364 IPC. However they could not succeed in their endeavour to recover the girl. On 7.8.2006 afternoon, they were returning to Longthorai Valley PS from Nayania Mura in a PS Jeep. When they reached Hadukalak para on NH-44 under Ambassa PS, they were attacked by a group of suspected NLFT(BM) extremists with sophisticated weapons from road side concealed location at about 1835 hours of 7-8-2006. Apart from fire from sophisticated weapons like AK series and SLR, the extremists also lobbed hand grenades and used 41 M.M. Morter Shell. All the passengers in the vehicle were hit with the bullets of extremists. SI Apan Barman, Constable Biswa Kr. Debbarma and the Driver of the vehicle namely Rupam Debbarma died at the spot. The vehicle fell into a road side lunga of about 50 feet deep. The extremists continued their fire to ensure looting of weapons. Amidst the shower of bullets Constable Kaushik Sarkar came out of the vehicle in injured condition to retaliate the fire, with complete disregards to his personal life and safety. Due to the brave and courageous act of Constable Kaushik Sarkar, the extremists who were more in number and in advantageous position failed to loot weapons and cause further damage. They left the spot taking cover of darkness. Kaushik fired in all 29 round from his AK 47 Rifle. After the encounter was over, he informed OC, Longthorai Valley PS and others over his mobile telephone about the incident. When OC, Ambassa PS with staff reached the spot, Kaushik was the first to guide them for rescue operation. They immediately shifted injured Women Constable Laxmi Das and Kaushik Sarkar. Laxmi Das (Barman) was incidentally in her advance stage of pregnancy. This refers Ambassa PS Case

No. 41/2006 U/C. 148/149/302/326/307/353 IPC and 27 Arms Act read with Section 5 of E.S. Act. In the aforesaid action Sri Kaushik Sarkar Constable of Dhalai District Police has shown immense courage, bravery, ground skill, field craft, tactics, energy and confidence.

In this encounter Shri Koushik Sarkar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th August, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 118–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Krishna Chandra Singh, Coy. Commander**
2. **Naresh Singh Yadav, Platoon Commander**
3. **Musharraf Ali, Head Constable**
4. **Shatrughan Dubey, Head Constable**
5. **Himansu Yadav, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5.7.05 at about 0915 Hrs. Five Terrorists hired a private jeep & on 05.07.2005 blasted it near Jain temple. The explosion resulted in breaking of 8 to 10 meters of barricading. The terrorist, taking advantage of smoke & commotion entered the premises with bags on their back & automatic weapons in their hands and quickly ran towards the inner cordon of RJB/BM main structure. PAC men deployed on patrolling duties under leadership of company commander Krishna Chandra Singh & Platoon commander Naresh Singh Yadav immediately took position and without caring for their lives started engaging the terrorists with return of fire who were firing indiscriminately towards the police force. Exemplary courage was shown by HC 11th Bn PAC Sri Musharraf Ali, HC 42th Bn PAC Shatrughan Dubey & Const. 11th Bn PAC Himansu Yadav. The CRPF men deputed in the inner cordon duty under leadership of company commander Vizato Tino and Lady Company commander Santo Devi quickly retaliated to the attack of the terrorist from their morchas without caring for their lives. Extra ordinary Gallant was shown by Sub-Inspector CRPF Nanda Kishore Singh, HC CRPF Sultan Singh & HC CRPF Dharmveer Singh. All these three CRPF men sustained bullet injures. The massage of terrorists attack on RJB/BM parisar reached the police officers immediately through wireless. SSP Faizabad, Addl. SP City and Addl. SP Security along with other policemen also reached RJB/BM complex. The encounter between the terrorists and the joint police forces of CRPF, PAC & UP Police lasted for about one and half hour. This resulted in knocking down of all the five terrorists who attack the structure with the evil design of creating communal disharmony and riots through out the country. This effort of the police forces was lauded and praised

by all sections of society. Sri Krishna Chandra Singh, Coy. Comdr., 11th Bn. P.A.C., Shri Naresh Singh Yadav, P. Comdr., 11th Bn. P.A.C., Shri Musharraf Ali, H.C., 11th Bn. P.A.C., Shri Satrughan Dubey, H.C., 42th Bn. P.A.C. and Shri Himansu Yadav, Const., 11th Bn. P.A.C. bravely faced firing by the terrorist and exhibited conspicuous gallantry.

In this encounter S/Shri Krishna Chandra Singh, Coy. Commander., Naresh Singh Yadav, Platoon Commander . Musharraf Ali, Head Constable, Shatrughan Dubey, Head Constable and Himansu Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th July, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 119–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttranchal Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Alok Sharma, Senior Superintendent of Police**
2. **Yogendra Singh Rawat, Deputy Superintendent of Police**
3. **Rajendra Singh Hyanki, Inspector**
4. **Ramesh Chandra Lohani, Sub-Inspector**
5. **Prakash Chandra Mathpal, Sub-Inspector**
6. **Ravi Tyagi, Sub-Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.6.2006 three criminals linked to Dawood's aide Prakash Pandey gang engineered a bold attack with the help of their associates and escaped from Nainital Jail. District Police under the able leadership of Shri Alok Sharma, SSP Nainital, immediately launched operations to nab the criminals. Police was successful in arresting one accomplice near Dhanachuli who revealed vital information regarding the nearby jungle route taken by the criminals. The SSP formed three Police parties to chase the criminals. After about five hours of chase along a difficult hilly and forested terrain the Police parties were able to close upon the criminals who were perched on a naturally fortified and elevated location. Approaching the criminals at close quarters the SSP asked them to surrender. The criminals, however, started indiscriminate firing and hurling bombs on the Police. The SSP ordered the Police parties to fire in self defence and inspite of grave danger to his life due to incessant firing by the criminals crawled ahead towards the criminals leading his team without caring for his own life. He opened fire on the criminals from his pistol and simultaneously coordinated the movement of the Police parties closing upon the criminals. His exemplary courage and leadership enthused his team to charge. Under his able command SI R.C. Lohani also charged forward firing on the criminals exhibiting dauntless courage in the face of firing by the criminals. DSP Y.S. Rawat leading the second Police party alongwith Inspector R.S. Hyanki tirelessly chased the criminals and engaged them from the north side. Under the SSP's instructions both these officers charged at the criminals who were firing and hurling bombs on the Police. Both these officers opened fire from their weapons and inspite of grave danger to their lives charged at the criminals inspiring the other members of the Police team. During this exchange of fire

two criminals were killed while the third escaped. The SSP commanded the leader of the third Police party SI P.C. Mathpal alongwith SI Ravi Tyagi to chase the escaped criminal. After seven hours of chase by nightfall this party was able to engage the third criminal also. Using dragon lights the criminal was spotted by this party. However, the criminal started firing and hurling bombs on the Police. Inspite of darkness and extreme danger to their lives both these officers exhibited inspiring courage and bravery by continuing to close on the criminal while simultaneously firing in self defence. In the exchange of fire the third criminal was also killed. The Police party was successful in arresting four criminals from Lucknow who had engineered the escape. Three countrymade pistols, cartridges, hand grenades, two Toyota Qaulis were recovered.

In this encounter S/Shri Alok Sharma, Senior Superintendent of Police , Yogendra Singh Rawat, Deputy Superintendent of Police, Rajendra Singh Hyanki, Inspector, Ramesh Chandra Lohani, Sub-Inspector, Prakash Chandra Mathpal, Sub-Inspector and Ravi Tyagi, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 120–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ramendra Khadka, Rifleman**
2. **Jagdev Singh, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

There were specific intelligence reports about the presence of UNLF cadres in the general area Kamranga. On 08 June 2006, information received about a meeting of UNLF cadres in a house in general area Sarak Atenbi, Jiribam. Immediately a robust and hard hitting team of one officer, one Junior Commissioned officer and 20 other Ranks were launched at 1900 hrs. No.57428L Rifleman/General Duty (Lance Havildar) Ramendra Khadka Non Commissioned officer Incharge of in the team and No.57698X Rifleman/General Duty Jagdev Singh the scout of the team, guided the party through a most arduous and unpredictable route to avoid detection. On reaching the spot, a cordon was laid around the house. Shri Ramendra Khadka along with IC-64971M Major Abhishek Singh stormed into the house. There were two UNLF cadres inside the house. They tried to escape by jumping out from the window. Rifleman/GD Ramendra Khadka, regardless of his personal safety and risk, displaying extraordinary courage in the face of imminent danger, pounced on one of the militants rendering him to submission. Shri Jagdav Singh, Rfn/GD who had put a stop on the exit rout regardless of his personal safety and risk, displaying exemplary personal courage and spirit of self sacrifice beyond the call of duty pounced on the other militant who has jumped out of the window and was trying to escape. In this operation two militants SS Cpl Sanjit Wanglen Sena alias Lambu and SS L/Cpl Yungnam Prem alias Ahim were nabbed and the following arms/ammunitions were recovered from them:-

1.	Chinese Gren	-	02 Nos.
2.	ICOM Set	-	01 No
3.	7.62 mm AK amn	-	24 Rds.

In this encounter S/Shri Ramendra Khadka, Rifleman and Jagdev Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 121–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Ganesh Kumar Damai
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12 July, 2006, Number G/411949N Rifleman General Duty Ganesh Kumar Damai was part of search operation led by Company Commander in general area Mantripukhri. At 1650 hours, during the search operation the suspects noticed own troops and tried to flee. Rifleman General Duty Ganesh Kumar along with two officers immediately pursued the suspects and surrounded them. The undergrounds opened fire on the search party and tried to escape. Displaying most exceptional courage at a grave risk beyond the call of duty he personally moved ahead. Unmindful of the fire he shot dead on underground who by then was face to face with him. In this daring operation two terrorists were shot dead and one 9mm Chinese Pistol, one magazine and few ammunitions were recovered.

In this encounter Shri Ganesh Kumar Damai, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th July 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 122–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rajendra Kumar, Rifleman**
2. **Ragho Ram Chandravanshi, Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The unit was continuously getting intelligence reports regarding sabotage activities likely to be carried out on NH-53 by four UNLF cadres including one officer on the eve of Independence Day i.e, 15 August 2006. On 13 August 2006, a hit team of one officer, one Junior Commissioned officer and 20 other ranks under IC-64971M Major Abhishek Singh was launched in area Lakhinagar in Assam. Rifleman /General Duty Rajendra Kumar and Rifleman /General Duty Ragho Ram Chandravanshi were performing the duties of Scout Number 1 and Scout Number 2 respectively in the team. The team clandestinely inserted into Assam from Manipur at 2230 hrs with the information that the militants were hiding in Lakhinagar village across the Jiri River. The team crossed the river under cover of darkness in small boats and approached the village. On reaching the village Lakhinagar, a lady source informed the presence of a self styled officer of UNLF (SS LT KHABA) hiding in a house inside Manipur Community. The house was immediately cordoned off and the search commenced. . Rifleman /General Duty Rajendra Kumar and Rifleman /General Duty Ragho Ram Chandravanshi using all their wit and ingenious field craft, entered the house leading from the front, maintaining total surprise. Despite the Manipur ladies trying to make a human shield to facilitate the escape of the militants, . Rifleman /General Duty Rajendra Kumar and Rifleman /General Duty Ragho Ram Chandravanshi displaying extraordinary diligence and swift reaction, with total disregard to personal safety, started to chase the fleeing militants. Cutting off the escape route of the militants they physically overpowered a militant each, rendering them in a state of complete submission while ensuring no civilian casualty or collateral damage. After on the spot interrogation and search of the house, a large cache of arms and war like stores were recovered. The success of " OPERATION LIGHTNING" is attributed to the quick reaction and presence of mind of . Rifleman /General Duty Rajendra Kumar and Rifleman /General Duty Ragho Ram Chandravanshi. The following recoveries were made :-

(a)	.38 Rev	01 No.
(b)	Sheffield 12 bore DBBL Gun	01 No.
(c)	Cartridge pis 38	12 Nos.
(d)	Cartridge 12x bore	04 rds
(e)	Gren	02 Nos
(f)	Cartridge 8 mm	56 rds
(g)	Lathod fired case	02 Nos.
(h)	RS Motorola	01 No.
(j)	Telescopic sight machine gun	01 No.

In this encounter S/Shri Rajendra Kumar, Rifleman and Ragho Ram Chandravanshi, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th August, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 123–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Santosh Kumar, Sub-Inspector**
2. **Altaf Hussain, Constable**
3. **Baljinder Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19th Feb 2006, based on specific 'G' information regarding presence of JeM out fit in Ganai-Mohalla area in Tral town of Pulwama District (J&K), a joint ops was carried out with the troops of 173 Bn BSF and SOG Tral. Party on reaching the location made proper cordon and blocked all possible escape routes. A search party was detailed to storm into the house of Abdul Ahad Ganai S/O Abdul Aziz Ganai. The party on reaching the house started searching. On seeing the movement of BSF troops inside the house, the militants who were already present in one of the room of the house started indiscriminate firing, which was promptly retaliated by the cordon party. Due to the persistent cross firing between militant and cordon party, the search party were confined into the house and their coming out from the house safely was impossible. The militants being cornered, made an attempt to break the cordon and flee. On this, Ct Baljinder Singh who was in the inner cordon immediately came into action and foiled the escape attempt made by the militants by effective fire and forced them to retreat into the house. SI Santosh Kumar who was holding position directly in front of the target house foiled another attempt made by militant to escape through the entrance of the house. Frustrated militants lobbed two grenades towards the search party to create an opening for their escape. SI Santosh Kumar and Ct Altaf Hussain with utter disregard to their personal safety and life, crawled towards the target house and lobed one grenade each through an open widows of first floor. The explosion of grenade collapsed the upper story of the building. One militant by taking the advantage of explosion and dust made an attempt to escape through the broken wall of the house by firing. Ct Baljinder Singh of the cordon party immediately noticed the movement of militant and in a quick reflex came almost face-to-face with militant. Ct Baljinder Singh maintained his cool and fired on the militant by showing extra ordinary courage in such a grave situation by exhibiting rare quality of professionalism. The injured militant however, managed to retreat

into the house. SI Santosh Kumar and Ct Altaf Hussain lobbed two more grenades again inside the house. While the party was removing the rubbles for making entry into the house, one militant suddenly came out by firing. On this SI Santosh Kumar reacted very promptly and killed the militant on the spot by accurate fire. The dead body of another militant was recovered while removing the debris of the house. The two killed militants were later identified as Ali Movea resident of Pakistan, chief of JeM in Tral town (Category 'A' Militant) and Mohd Khalid resident of Pakistan affiliated to JeM . 01 AK 47 Rifle, 01 AK 56 Rifle, 22 Rds of AK series amn with 06 AK magazine also recovered.

In this encounter S/Shri Santosh Kumar, Sub-Inspector, Altaf Hussain, Constable and Baljinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th February, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 124–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rohtash
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a specific information provided by Field 'G' team of Sector Headquarters, BSF Bandipur on 31st Aug 2005 at about 1130 hrs, regarding presence of 2 to 3 militants in the apple orchard located in the general area of village-Gunddashun-Malikpura-Brar of Bandipur, District-Baramulla (J&K), which is about 08 Kms from Bandipur on Bandipur-Srinagar road, the situation was appreciated immediately and a Cordon and Search Operation was planned by Commandant 116 Bn BSF comprising own troops, G team and 14 RR (local RR unit). The combined party reached the area and started cordoning the targeted apple orchard at 1250 hrs. While the cordon was in progress, the militants who were already in a defensive position in the apple orchard opened indiscriminate firing towards the party with AK-47 series weapons, UBGL and lobbed hand grenade which was immediately retaliated effectively by own troops. During exchange of fire, No.88123872 Ct Rajender Singh of 90 Bn BSF and No. 990006017 Const Rashi Ahmad of 116 Bn BSF sustained bullet injuries and were evacuated immediately to BSF Hospital, Bandipur where No. 88123872 Ct Rajender Singh succumbed to the injuries. The militants continued heavy firing towards the cordon party and managed to break the inner cordon. After breaking the inner cordon, they made a desperate bid to escape by firing indiscriminately. As a result, Naib Subedar Bir Singh, LNK Yashpal and Rifleman Mahavir Singh of 14 RR sustained bullet injuries and were immediately air lifted to 92 BH Srinagar. Meanwhile, taking the advantage of thick vegetation, undergrowth and undulating terrain, one of the militant jumped in to a deep nallah. No. 92644304 Constable Rohtash of 116 Bn BSF who was already positioned on the bank of Nallah intercepted the militant and challenged him by blocking his escape route. On being challenged, the militant turned his barrel towards Ct Rohtash and fired, but Ct Rohtash maintained his cool and exhibiting high level of professionalism in such grave situations made use of field craft and took tactical position and engaged the militant by effective fire and injured him. The injured militant took position inside a crevice in the nallah

and continued firing on Ct Rohtash. The firing of militant could not deter the brave Constable and he held his position gallantly without caring for life by blocking the escape route as iron shield. He engaged the militant by continuous fire and finally succeeded in eliminating him on the spot in a close quarter battle. The killed militant was later identified as Sayed Sadir Hussain Saha S/O Sayad Yusuf Hussain Shah, resident of Bandsama, District – Muzzafarabad (POK). 01 AK 47 Rifle, 70 No AK series Amn, 03 Nos AK Magazine, 01 plastic grenade, 01 radio set and 01 UBGL were recovered from the slain militant.

In this encounter Shri Rohtash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st August, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 125–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri D. Paresh Rabha (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22nd Dec 2005, at about 1515 hrs, two militants after throwing a hand grenade on Mobile Check Post of 112 Bn BSF near Main Gate at Tac Headquarter located at Town Hall of Sopore, District-Baramulla (J&K) managed to escape by taking advantage of crowd on the road. Troops of 112 Bn BSF immediately came into action and cordoned off the nearby buildings and blocked all possible routes of escape. It was observed that civilians/vendors of nearby J&K Bank building started rushing out randomly leaving behind their belongings and vehicles etc. This typical behavior and panic of the public confirmed the presence of militants in the area. Accordingly, the area was further strengthened and the outer cordon was widened. Being built-up and thickly populated area, unit without any loss of time mobilized their sources to ascertain the position of militant. It confirmed the presence of two armed militants in Agriculture/Horticulture building complex located just behind the J&K Bank in front of Tac HQ, Town Hall, Sopore. Immediately, two search parties comprising of four personnel under command Shri H S Dhaliwal, AC and Shri A S Rawat, AC were detailed. Shri H S Dhaliwal, AC was leading the first search party. He ordered No. 03555086 Constable D Paresh Rabha and No. 90755897 Constable Narendra Singh to move inside the building by opening the iron gate of main entrance and remaining personnel gave them cover. On seeing the BSF personnel, the militant started firing from inside the building, which was promptly retaliated by own troops. In the meantime, civilian's trapped inside the Agriculture/Horticulture building and D P Dhar Hospital were safely taken out by the BSF. After safe evacuation of civilians, Constable D Paresh Rabha and his buddy advanced towards the building. At that time, heavy volume of fire of AK-47 Rifle came from rear portion of partition wall of Horticulture and Agriculture complex. Constable D Paresh Rabha immediately retaliated the fire and with utter disregard to his personnel safety, crawled up to the point from where the militants were hiding and fired on the militants. In the exchange of fire, Ct D Paresh Rabha sustained bullet

injuries. Constable D Paresh Rabha despite of being injured held his position and made effective fire and injured the militants severely. On this, the militant lobbed two grenades, of which, one blasted near Constable D Paresh Rabha and he received grievous splinter injury. Constable D Paresh Rabha by exhibiting rare courage and professionalism killed two militants before giving supreme sacrifice.

In this encounter (Late) Shri D.Paresh Rabha, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd December, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 126–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Deb Dulal Pal, Constable**
2. **Debajit Borah, Constable**
3. **E. Tigga, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20th Oct 2005, on specific information of DC (G) CI Ops-I, Rawalpura regarding the presence of Militants of JeM outfit in village T-Surbugh of Tral, District Pulwama (J&K), troops of 53 Bn BSF along with DC (G) CI Ops-I, Rawalpura carried out cordon and search operation in above village. As per plan, troops were divided into three parties. One party had laid cordon on the target house, the surrounding houses and remaining were tasked to search the target house. After cordoning the area, at about 1545 hrs, the Quick Reaction Team was tasked to move towards the target house. The militants who were already in the house on seeing the BSF party started indiscriminate firing on the QRT party to stop their advance towards the house. The party took defensive position and retaliated the fire effectively. On being fired upon both the militants jumped out of the house in a bid to escape. 00677047 Constable D D Paul and No. 920025310 Ct E Tigga of cordon party saw the militants and blocked their escape route and challenged them to surrender. Finding no other alternative for escape, the militants took position behind a stonewall and engaged the troops for about half an hour by continuous fire. As the day light was fast fading and after dark it could have been difficult to fire accurately, Ct D D Paul and Ct E Tigga putting their life into danger came out of their position and crawled closer to the militants position. Since both the militants were positioned behind a stonewall, it was difficult to accurately fire on them without taking a daring action. In a daredevil action, Ct D D Paul and Ct E Tigga with utter disregard to own life chalked out a plan and Ct D D Paul rushed very closed to the position of the militant under covering fire provided by Ct E Tigga, exposing a barrage of indiscriminate firing by militants and eliminated the militant on the spot. However, the other militant managed to escape from there by jumping wall and ran towards Eastern side of the village where he was challenged by the cordon party by retaliating his fire. The counter action of cordon party stopped further movement of militant and he

in turn took position behind a wall. On seeing exact hiding position of militant, No. 00800136 Constable Debajit Borah, by displaying extra ordinary courage and professionalism crawled ahead under the covering fire and made effective fire and incapacitated the militant. On being injured, he made another attempt to escape. On this, Ct Debjit Borah chased and killed him on the spot. The two killed militants were later identified as Mohd Hafiz Sheikh s/o Abdul Rasheed Sheik code @ Danashyas Mavia (Code ABID), resident of Sanghi Bhata, Tehsil-Kishtwar, District- Doda (J&K) and Adnaan Faruqi, set code-Adnam Bhai, resident Lahore (Pakistan) (Both the militants were affiliated to JeM outfit). Following arms and ammunitions were recovered from the apprehended militant: -

(a)	AK 56 Rifle	-	02 Nos
(b)	AK 56 Mag	-	04 Nos
(c)	AK Amn	-	76 Rds
(d)	Chinese Hand Grenade	-	02 Nos
(e)	Wireless Set (make Alinco) (DJ-195)	-	01 No
(f)	Electronic Detonators	-	02 Nos
(g)	Amn Pouch	-	02 Nos
(h)	Small Tape Recorder	-	01 No
(i)	Small Tape	-	03 Nos
(j)	Incrimination documents consisting of matrix code & diaries	-	02 Nos
(k)	I/Card and photographs	-	01 No

In this encounter S/Shri Deb Dulal Pal, Constable, Debajit Borah, Constable and E. Tigga, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th October, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 127–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry /Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Adit Kumar Das Constable**	**(PPMG)(Posthumous)**
2.	**Malkit Singh, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

43 Bn BSF was deployed at Akhara Building, Srinagar (J&K) for CI Ops duties. The morcha No.7/8 of 43 Bn BSF was adjacent to Bombay-Gujarat Hotel (Srinagar). On 29th July 2005 at about 1715 hrs heavy volume of fire came from Bombay-Gujarat Hotel towards morcha No. 7/8 of 43 Bn BSF. The matter was immediately reported to Tac HQ 43 Bn BSF. On receipt of information, Sh Malkiat Singh, 21C/Offg Comdt 43 Bn BSF rushed to the site and took stock of the situation and found that a number of civilians held-up in the hotel were shouting for help. This was sufficient to confirm about the presence of militants inside the hotel. It was a Herculean task in front of the BSF troops to rescue the civilians unhurt from the hotel and protect the civilians business establishments located in the area including hotel. As a first step of the operation, cordon party was placed around the hotel and all possible escape routes were blocked. The civilians and other shop owners were asked to close the shops and vacate the area. After deploying cordon at all the vulnerable areas, it was decided to storm into the hotel for rescue operations. Accordingly, No. 94009288 Constable Adit Kumar Das, No. 93009885 Constable Bhawana T K, No. 994000039 Ct Gopal Chhetry and No. 02114214 Ct/Dvr Hari Mohan were ordered to storm into the hotel to carry out rescue operation. This party without caring for their personal safety and exposing themselves dashed into the hotel for rescuing the trapped civilians. Seeing the brave attempt of BSF personnel, the militants who were already positioned in the Hotel started firing to deter their attempt of entering into the Hotel. The firing from the militant could not stop them and they succeeded to get entry into the Hotel and started rescue operation. While rescuing civilians through one of the exit point, Ct Adit Kumar Das could not cover himself in a defensive position and exposed himself as he stood as human shield to the civilians being rescued. Due to his

courageous act, a number of civilians were taken out of the hotel within a short time. While providing human shield, No. 94009288 Constable Adit Kumar Das was hit by direct firing from the militants on his neck. This brave Constable even after severe bullet displaying exemplary courage and conspicuous gallantry of highest order did not leave his position and continued to evacuate the civilians. He was evacuated to the Hospital, but succumbed to the injuries enroute. The area was cordoned and the ops were further strengthened by the additional troops from 145,53,82 and 96 Bns BSF along with SOG. On 30th July 2005 storming ops was re-launched at about 0530 hrs. No. 90109719 Ct Malkiat Singh of 43 Bn BSF, members of storming party noticed movement of one militant in Fancy Fabric Hotel infront of Bombay-Gujarat Hotel. By showing exceptional courage and high degree of professionalism No. 90109719 Ct Malkiat Singh, without caring for his personal safety, came out of his defensive position and shot one of the militant by accurate fire. Another militant positioned in the Bombay-Gujarat Hotel was still firing. Ct Malkiat Singh and Ct B C Rai of 43 Bn BSF were detailed to make holes on the roof of the hotel. They dug 11 holes and lobbed 26 grenades inside all suspected rooms putting their lives into great risk. The militant holed up in the hotel started firing through the holes due to which one SOG personnel of J&K Police sustained injuries. With the retaliating fire Ct Malkiat Singh could detect the actual position of the militant and lobbed grenade inside the room through the whole made on the roof and eliminated the holed up militant on the spot. In this encounter, two militants of AL Mansoor and Jamiat-Ul-Mujahideen were killed. 02 AK 47Rifle, 05 magazines of AK-47, 21 AK series rounds, 02 RL with blind cell and 01 Old identity card were recovered.

In this encounter S/Shri (Late) Adit Kumar Das, Constable and Malkit Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th July, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 128–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dharmender Singh
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 01st Oct 2005 at about 1100 hrs a party of FDL Kundian consisting of 05 personnel including No. 021458886 Constable Dharmender Singh of 95 Bn BSF proceeded for patrolling in general area near Nala Junction (GR-947667 of M/S No. 43/J-2) at the height of 7600 feet approx located in between FDL Kundian & Sundermali, under Police Station-Keran, District – Kupwara (Jammu & Kashmir). The party was moving in tactical column with high alert, as the area is highly prone to the movement of militants. No. 021458886 Constable Dharmender Singh was leading the patrolling party as scout. He being the scout of the party was aware of his responsibility and was treading the way very cautiously. While crossing a Nala, he saw one suspected person wearing camouflage jacket coming towards them. No. 021458886 Constable Dharmender Singh could differentiate the facade of the suspect by his demeanor and style of carrying ammunition pouch and AK series rifle. He immediately alerted the column and took defensive position. On coming close to the patrolling party, Ct Dharmender Singh challenged the suspects and asked for his identity. On this, the militant lifted his gun and pointed towards Constable Dharmender Singh. Sensing the impending danger, in a quick reflex Ct Dharmender Singh caught hold of the barrel of the rifle and lifted towards sky. One bullet was fired in the close combat. However, due to the barrel pointing sky, not one was injured. Ct Dharmender Singh with utter disregard to his personal safety overpowered the militant and succeeded in pinning him down with brute force. Meanwhile, other members of patrolling party also joined Ct Dharmender Singh and un-armed the militant and tied-him up. The apprehended militant was later identified as Saiful Maluk S/O Mohd Yasin Malik resident of Village – Macleod Ganj, District – Bhawal, Pakistan affiliated to militant outfit Laskar-e-Toiba. Following arms and ammunitions were recovered from the apprehended militant: -

1.	AK – 56	-	01 No.
2.	AC 56 Mag	-	04 Nos.

3.	Chinese Grenade	-	02 Nos
4.	AK Amns	-	81 Rds.
5.	Radio Set(Kenwood)	-	01 No
6.	Mattress	-	01 No
7.	Pak Currency	-	Rs.580/-
8.	Indian currency	-	Rs.500/-
9.	Mag pouch	-	01 No.

In this encounter Shri Dharmender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st October, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 129–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sham Lal, Constable**
2. **Ram Kishore, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13th Nov 2005, on receipt of information regarding presence of militants in the village Gambhiri/Bolni (MZ-0016/17), under PS-Gool, of District Udampur (J&K), BSF troops under command of No. 69243058 Inspector Ridmal Singh, Offg Coy Commander of CI Post Thatarika of 04 Bn BSF launched an operation in above area at 0730 hrs. In order to surprise militants and to avoid casualty to own troops, the operation was meticulously planned and executed. Assistance of J&K police rep was taken as guide. The ops parties were divided into two groups for tactical movement and take on the militants with surprise. At about 131115 hrs, the search party while moving ahead immediately spotted fresh footprint leading towards Baidani Garden and jungle area. The party followed the footprint and ultimately reached very close to the hideouts of militants. Seeing the troops, the militants lobbed grenades and started indiscriminate firing towards advancing troops. Search party immediately took position and retaliated the fire effectively. Inspector Ridmal Singh asked the militants to surrender, but they continued firing with automatic weapons and partly blocked further movement of troops. After analyzing the situation, Inspector Ridmal Singh, ordered No. 90005067 Constable Sham Lal and No. 88398600 Constable Ram Kishore to move ahead to repulse the militants and others to gave them covering fire. These two brave constables with utter disregard to their life and by exhibiting high standard of professionalism, managed to reach very close to the hideout by crawling and threw grenade inside the hideout of militant. When Constable Sham Lal lobbed another grenade in the hide out, one of the militant threw it back. On seeing this, in quick reflex both the constables jumped back. Ct Sham Lal lobbed another grenade in the hide out. Both the militants jumped out from their hideout and started fleeing towards jungle by firing indiscriminately. Constable Sham Lal chased them putting his life in danger and shot down one militant on the spot. Another militant immediately took

position behind the jungle and started firing. Constable Ram Kishore swiftly jumped out of his position and crawled towards the militants from other side and lobbed grenade and eliminated him on the spot in a close quarter battle. The two killed militants were later identified as Shah Jahan, s/o Gul Mohd Shah, Code, Mujjamal, Area Commander and Mohd Dilawar S/O Gulam Shah code-Sahdob, affiliated to HM outfit, and both were resident of Gagarsola, PS-Gool, District-Udhampur, J&K. Following arms and ammunitions were recovered from the apprehended militant: -

AK Rifle	-	01 No
INSAS Rifle	-	01 No
AK Mag	-	02 Rds
INSAS Mag	-	02 Nos
AK Amn	-	34 Rds
INSAS Amn	-	25 Rds
Chinese Gren		- 01 No
EFCs AK series	-	16 No
EFCs of INSAS	-	10 No
Indian currency	-	Rs.1100/-
Pouch	-	02 Nos

In this encounter S/Shri Sham Lal, Constable and Ram Kishore, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th November, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 130–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Industrial Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Raj Kumar Tiwari, Constable** **(Posthumous)**
2. **Jeevan Chandra Das Constable**
3. **Gyani Singh Head Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09.02.2006, a private jeep bearing No. CG 05 A 3243, hired by the management for CISF left unit line for Hiroli Magazine along-with Const. G.B. Sangma for distribution of food for personnel deployed there. It reached the main gate of the said magazine at about 1950hrs. In the jeep, four more off duty CISF personnel namely, Ct. Dinesh Singh, Ct. Mallikarjun, HC- Asif Ali, HC-Dilharan off duty were also traveling from Unit line to the magazine. As soon as the magazine gate was opened by gate sentry Ct. B. Mondal, the Naxalites who were hiding in large number (more than 200) in near by bushes started firing, and stormed the gate by immobilizing the gate sentry. The naxalites further attacked the personnel traveling in the jeep and seriously injured Ct. Dinesh Singh and Ct. Mallikarjun, who died on the way to the hospital. The naxalites shouted slogans in Hindi & Telgu saying " HATHIYAR DE DO HATHIYAR DE DO". Reacting to the situation, Sub Inspector D.N.P. Singh, I/C Magazine area, took position, alerted all the 08 personnel who were inside the barrack and started counter firing. At the same time, he also informed Line Head Quarter through wireless set about the Naxalite attack. All the 08 personnel who were present inside the barrack started firing on the Naxalities, in all four directions from the barrack room after taking lying position and cover. The Naxalites, continuously fired and shouted slogans asking for surrender of weapons. Since there was resistance and retaliatory fire from CISF personnel, the Naxalites also lobbed hand grenades, country made petrol bombs from all sides. After some time, asbestos roof of the barrack gave way and grenades/bombs started falling inside the barrack and caused grievous injury to the personnel. Despite grievous injury, Const. R.K. Tiwari and others under the leadership of S.I./Exe D.N.P. Singh continued firing and prevented the Naxals from entering the barrack. In the meantime, one of the naxalite planted land mine inside the room from one

corner and exploded the same through electric wire from out side, causing complete collapse of roof and further Injury to CISF personnel. The naxals threatened the SI to surrender but the officer valiantly refused despite grievous injury caused to him. He was shot by the Naxals at point blank range. The other five Constables namely Ct. R.K. Tiwari, Ct. Surve Navnath, Ct. R.K. Yadav, Ct. U.P. Shukla and Ct. J.N. Mishra who fought for protection of weapons till their lives, died due to explosion of land mine trigged by naxalites and Ct. V.P. Singh K.C. and Ct. S. Yuvaraj sustained grievous injuries. The Hiroli magazine area is situated at a distance of about one kilometer away from barrack area. The Naxalites simultaneously attacked the magazine area from all sides. They started firing at all the three sentry posts with automatic weapons and grenades, etc. The whole area was surrounded by more than 300 naxalites including some local tribals with swords, bows and arrows. They also cut the barbed fencing at six different places for entry inside the fenced area. The CISF personnel who were on duty at magazine site retaliated immediately and started firing back at naxalites. The firing by Constables J.C. Das (on watch tower), HC Gyani Singh I/C and T.Rajkumar continued and they held back naxalites from entering into the premises for over one and half hour. HC Gyani Singh and Constable J.C.Das sustained bullet injuries because of firing by naxalites. Undeterred by serious injuries, they continued firing aided by Const. T. Rajkumar from outer morcha. In the meantime, finding the HC and Constable injured, naxalites in large number entered the premises by cutting fence and started firing on watch tower. Despite grievous injuries sentry Ct. J.C. Das at watch tower and I/C HC Gyani Singh continued firing on Naxalites. The Naxals demanded that both constables should surrender but they refused to do the same. The Naxalites lobbed petrol bombs at Const. J.C. Das and injured him badly and dragged him out to the post, further causing injury to him. Const. T. Rajkumar continued firing till the time his weapon malfunctioned and stopped firing. Then he threw his weapon in the bushes to save the same. After the firing stopped from CISF side, the naxalites entered in large numbers and started looting explosive materials by breaking open gates of all four magazines. In the entire operation, six personnel died on the spot and two died on the way to hospital. In addition to above 09 were seriously injured and they were immediately taken to hospital for further treatment.

In this encounter S/Shri (Late) Raj Kumar Tiwari, Constable, Jeevan Chandra Das, Constable and Gyani Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th February, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 131–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri V. D Thakre
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of requisition from State Police on the basis of specific intelligence inputs regarding presence of MCC(I) militants, two platoons of F/22 along with civil police under command Shri J. P. Sahi, Asstt. Comdt., left for raid/search operations on 07/02/2005 at 1035 hrs in Village: Dodakola, Sapehi, Paro Janpur and Kankam area. While troops carried out raid and search operations at village Sepehi and after interrogation of some villagers it was revealed that the MCCI militants have taken shelter in village Khanikhet. Troops rushed to the said village immediately and in accordance to area situation troops were divided into three parties to cordon the villages as militants were suspected to be hiding in one of the houses of village. Party No. 01 was assigned to cover from south side of village. Party No.02 from west side and party No.03 from east. When the troops approached the house in which militants had taken shelter, they opened fire on the troops and tried to run away taking advantage of thick jungle and Nallah. Party No.02 challenged militants to surrender themselves. But the militants abided their strategy to run away under the cover of heavy firing. CRPF personnel took their position and started firing in retaliation. Party No.02 in which No.913121504 CT V. D. Thakre was acting as 51 MM Motor No.2, took position effectively by applying his presence of mind and started firing on militant from his INSAS Rifle and fired 31 rounds. Firing continued for about one and half hours. While he was giving covering fire to No.911172529 CT Kuldeep Ram Motor No.1. a bullet hit him on his right arm, but he did not care for it and continued firing. Inspite of injury, he reached to mortar No.1 by crawling and fired two HE bombs on militants. These two bombs destroyed the well fortified position of militants and compelled them to make escape in hustle and bustle. The troops took advantage of this commotion and shot dead two militants on the spot and also arrested two militants. Thereafter, our troops searched the area and recovered two dead bodies of MCCI militants along with huge cache of arms and ammunitions from

the place of incident. It was one of the most successful operations carried out by any troops during the year. Though all the members of troops who participated in operation did a high-quality job but the overall credit goes to No.913121504 CT/GD V. D. Thakre who played a vital role in operation and compelled the militants to come out of their hidden position, in-spite of injuries he sustained.

In this encounter Shri V.D. Thakre, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 132–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**P. Nagarajan, Commandant**	**(PMG)**
2.	**Ajeet Bhati, Assistant Commandant**	**(PMG)**
3.	**A.L. Chandrasekhar, Head Constable**	**(PMG)**
4.	**A. Sakthivel, Head Constable/Radio Operator (Posthumous)**	**(PPMG)**
5.	**Aneesh Phillip, Constable (Posthumous)**	**(PPMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific information about presence of militants at village Chakka, Bhadarwah, Distt- Doda (J&K) on 28th June 2005 at 1600 hrs, the area was cordoned by a party of JK Police, CRPF and R/R. Mean time the militant opened fire upon the STF party and 2 STF personnel got hurt and succumbed to the injuries. The exchange of fire continued till morning. Later the area was searched by the R/R and nothing incriminating as noticed. However, the CRPF party decided to ensure that the area was fully sterile. In the process HC A.L. Chandrasekhar was prompt to spot a hiding militant. He, alongwith Shri Ajeet Bhati, A/C, raised alarm about the hiding militant. The Comdt P. Nagarajan alongwith troop took over position in the verandah of a house which was 5 feet away from the terrorist hideout. No sooner, the militant, in a menacing suicidal attempt, stormed out of his hiding and started firing indiscriminately from his AK-47 rifle on the CRPF party and other SFs nearby. No. 943303333 HC/RO A Sakthivel who was present at the verandah noticed the militant and shouted loudly about the approaching militant. No. 943303333 HC/RO A. Sakthivel and No. 03131430513 Ct/GD Aneesh Phillip promptly took position at the verandah and fired at the militant. Since the militant was at an advantageous position and therefore, due to the firing by the militant, HC/RO A. Sakthivel and Ct Aneesh Phillip, both of 78 Bn were injured and they succumbed to the injuries. Instantly Shri P. Nagarajan, Comdt, Shri Ajeet Bhati, A/C and HC/GD A.L. Chandrasekhar, without losing even a fraction of a second, fired upon the militant from close quarters, to which the militant fell down right there and died on the spot. The slain militant was later identified as the dreaded LeT militant

Abid Ziya S/o Ziya Ahmed R/o Mothi, Marmat, Distt Doda J&K code named Zaffar (set code PAPA 6). After killing of militant the CRPF party was positioned in outer cordon. The operation was further continued by STF and R/R for the apprehension that another militant may be present and alive. Subsequently rocket, were fired on the suspected houses by R/R and later one more dead body was also found and the Dead body was identified as Farood Ahmed S/o Mohmed Sharif Bhati, a civilian of resident at Chakka, Doda. Had the trio (Shri P. Nagarajan, Comdt, Shri Ajeet Bhati, A/C and HC A.L. Chandrasekhar) not overcome their basic human instinct of taking shelter/cover in the event of grave danger to existence of self (due to indiscriminate fire of the militant in his suicidal attempt) the militant could have inflicted more casualty. The trio had an option of taking shelter from the fire of the militant by entering the room adjacent to the verandah but rather they chose to fire at the militant (on his final suicidal mission) and kill him, thus saving many precious human lives, when they themselves were in grave danger to their lives. No. 943303333 HC/RO A. Sakthivel and No. 031430513 Ct/GD Aneesh Philip also displayed unusual courage in that, unlike any ordinary human being, they did not remain hiding, but rushed to the spot to confront the terrorist and taken them head-on.

In this encounter S/Shri P. Nagarajan, Commandant, Ajeet Bhati, Assistant Commandant., A.L. Chandrasekhar, Head Constable, (Late) A. Sakthivel, Head Constable/Radio Operator and Late Aneesh Phillip, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 133–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**B.R. Jakhar, Assistant Commandant**	**(PMG)**
2.	**S. Rafi, Lance Naik**	**(PMG)**
3.	**Santosh Asegaonkar, Constable**	**(PMG)**
4.	**Rupak Karmakar, Constable**	**(PMG)**
5.	**H.B. Pawar, Constable**	**(PMG)**
6.	**Sita Ram, Constable**	**(PMG)**
7.	**S. Jagtap, Head Constable (Posthumous)**	**(PPMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23.06.2005 at 1350 Hrs officer-in-charge PS: Patahi, Motihari, S.I Ram Pukar, informed Shri B.R.Jakhar OC, D/45, Patahi that CPI (Maoist) cadres had attacked Banks, PS Madhuban and Block office at Madhuban, killed Guard/sentry on duty and looted cash/weapons. Shri B.R.Jakhar along with one strong platoon consisting of 26 men accompanied with SDPO Pakridayal Shri Faroguddin and SHO Patahi PS rushed to Madhuban Block immediately by shortest/country side route and reached there at 1450 hrs. By that time, naxalites had already fled towards East. Shri B.R. Jakhar decided to chase them, though the number of militants was much more and they all were equipped with sophisticated weapons. After covering a distance of approx 6 kms from Madhuban near village: Banjaria, CPI (Maoist) militants were seen approx 250-300 in number, who took their positions near a bridge and started firing indiscriminately. Our troops immediately took their positions in the field and retaliated valiantly. Shri B.R.Jakhar along with L/NK S. Rafi, Ct Sitaram, Ct H.V.Pawar, Ct Rupak Karmaker and Ct S. Aashegaonkar moved ahead, crawling in highly professional manner tactically with undaunting courage without caring for their lives using ground features in befitting manner and poured heavy fire on militants' positions. . The naxals kept on withdrawing to villages chimaniya, Nasiba and Parsoni and our troops kept on chasing them with these six personnel fighting on front. These personnel did not care for their lives and kept on fighting with full zeal, zest and supreme devotion to duty. L/NK S.Rafi, CT/GD Santosh Asegaonkar and CT/GD Rupak Karmakar got

injured as bullets hit them but they kept on chasing naxals without caring for their lives. They crawled, reached very near to naxals and killed six naxals who were firing with LMG, SLR and other sophisticated weapons. One reinforcement party under command HC/GD S.Jagtap also reached village Parsoni. HC/GD S.Jagtap crawled towards naxals amidst heavy fire without caring for his life to help the party of Shri B. R. Jakhar in neutralizing many naxals but got injured and made supreme sacrifice. During the above encounter Shri B.R.Jakhar,A/C, LNK S.Rafi, Ct/GD Santosh Asegaonkar, Ct/GD Rupak Karmakar, Ct/GD H.B.Pawar, Ct/GD Sita Ram and Late HC/GD S.Jagtap of this Unit displayed exemplary courage, dedication, zeal and enthusiasm in killing 6 militants and recovering huge quantity of Arms/amns and explosives. This operation has broken the backbone of naxals in North Bihar and is first of its kind in which CRPF chased them for 15 KMs and killed many of them.

In this encounter S/Shri B.R. Jakhar, Assistant Commandant, S. Rafi, Lance Naik, Santosh Asegaonkar, Constable, Rupak Karmakar, Constable, H.B. Pawar, Constable, Sita Ram, Constable and (Late) S. Jagtap, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 134–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Nirmal Chand, Head Constable**
2. **Surender Mohan, Constable**
3. **Om Prakash, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 05/07/2005 at about 0915 hrs a group of fidayeen attacked Ram

Janam Bhumi/ Babri Masjid Complex at Ayodhya. The terrorists entered the security zone by blasting the outer barricading by the use of an explosive laden jeep and advanced towards inner barricading of the security scheme where ' D' Company of 33 Bn, CRPF under the command of Shri Vezoto Tinyi, Asstt. Commandant was deployed. No. 015612499 Om Prakash and No. 005000159 Ct/GD Surender Mohan was posted as Morcha NO.2 (A) on 05/07/2005. This Morcha's position became critical after the fidayeen began their attack on the Ram Janam Bhoomi/ Babri Masjid complex. This post came under a blistering attack by the fidayeen who concentrated heavy automatic as well as grenade fire on it. A part of the Morcha was blown up by a grenade but these Cts/GD stuck to their position and task resolutely. This post was merely 25 mtrs from the fidayeen and crucial to the defence of the disputed structure. No. 851170907 HC (GD) Nirmal Chand was a member of the Quick Reaction Team of E/33 Bn posted in the isolation zone on the day of the attack. Upon the commencement of the attack this HC/GD rushed towards Morcha No.2 (A) and took up his position in support of his comrades. These personal rose to the challenge and without caring for their life amid heavy fire succeeded in neutralizing the attack. In the performance of this task the above three personnel have exhibited outstanding qualities of bravery in the service of the nation. Their actions are in the finest traditions of the CRPF. In this engagement the above three personnel exhibited devotion to duty and complete willingness to lay down their life in the service of the nation.

In this encounter S/Shri Nirmal Chand, Head Constable, Surender Mohan, Constable and Om Prakash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th July, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 135–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri P. Chakma,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

At about 0905 hours on 18-10-2005 one person wearing long coat/jacket approached the residence (T-20) of Shri Mohd. Yusuf Taragami, MLA, CPI(M) in Tulsibagh Colony, Srinagar where two sections of A/50 CRPF are deployed, one each for the residential guard and mobile escort with the VIP. The person was wanted to meet the VIP. When he was stopped by the PSO at the main gate for security checking, suddenly he took out his weapon concealed under his jacket and started firing at the PSO as a result of which the PSO was hit by the bullets and killed on the spot. No.031510775 CT/GD P. Chakma of 50 BN, CRPF, who was on sentry duty in morcha at the main gate showing tremendous presence of mind, and high level of alertness reacted swiftly and shot at the militant injuring him seriously and inflicted grievous injury which forced the militant to retreat and ran towards the adjacent complex in a injured condition. Militant entered into the adjacent complex but due to grievous injury caused to him by No.031510775 CT/GD P. Chakma of 50 Bn, CRPF, he was bleeding profusely and could not move further and lay near the staircase in a seriously injured condition where he was fired at by chasing No.830764783 HC/GD Sudhir Singh Negi of 50 Bn, CRPF and PSO and killed. Showing exemplary presence of mind, courage of highest level and timely action by No.031510775 CT/GD P.Chakma foiled the attempt by militant to attack Shri Mohd. Yusuf Taragami, MLA, CPI(M).

In this encounter Shri P. Chakma, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 136–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Rajender Kumar, Constable**	**(PPMG)**
2.	**R. Aji Kumar, Constable**	**(PPMG) (Posthumous)**
3.	**Puran singh, Inspector**	**(PMG)**
4.	**Manjit Singh, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27/07/2004 at about 2015 hrs, 2 Fidayeens entered nto the B Coy Hqr of 65 at Leeward Hotel, Srinagar lobbing Grendades and firing indiscriminately, killing CT(GD) Ravinder Mishra, performing Sentry duty and SI(GD) Hari Chandra Rajwar at the Main gate. Thereafter, one of the Fidayeens ran towards the Coy Kote. No. 921330035 Ct (GD) Rajendra Kumar, performing Kote-Sentry duty, without caring for his life opened fire aiming at the Fidayeen with his Insas Rifle and killed the Fidayeen 9-10 yards away from the Kote. In the meanwhile, the second Fidayeen killed HC/Ftr Satya Prakash Sharma at the 1st Floor and subsequently reached IInd Floor and killed CT/GD Uday Singh and bolted the door from inside. Immediately after this, No.881333465 Ct/GD Manjit Singh took position barely 9-10 feet awary, in front of the hidden Fidayeen's room. After this, No.680090825 Insp.(GD) Puran Singh reached the IInd Floor tactically, risking his life amid Fdayeen's firing and took position near the door of the room right in front of the Fidayeen's room and kept on firing off and on to compel the Fidayeen to be confined in the room. No.951221742 CT/GD R. Aji Kumar, tactically climbed up to the the IInd floor under the cover fire without caring for his life and took position near the door of Fidayeen's room under the wall-shelter. He kicked the door repeatedly and broke the bolt and opened the door partly. On this, the Fidayeen opened indiscriminate fire and one of the bullets went on its way touching the leg of CT/GD R. Aji Kumar, but without caring for the injury and his life CT/GD R. Aji Kumar resisted stubbornly and kept on firing off and on. In the meantime, 3 W.P. Shells were fired by the Fedeeral Wright Gas Gun and one long range tear Smoke Shel and 4 Hand grenades were also lobbed inside the Fidayeen's room. Now as there was no response from inside the room, CT/GD Aji Kumar, risking his life, kept on firing and entered into the room to make sure that the Fidayeen

was killed. But the Fidayeen, lying injured in the room, fired bursts. Though CT R.Aji Kumar ws struck by the bullets he showed great courage and opened counter firing killing the Fidayeen on the spot and later on sacrificed his life in performing the nobel task. The two Fidayeens killed in this operation have been identified as Abu Tala and Abu Musa, residents of Pakistan and were staunch militants of Al-Mansurian, an associate of Lashkar-e-Toyeba. 2 A.K-47 rifles, 10 Magazines, 145 live rounds, 155 empty cases and 5 Chinese Grenades have been recovered from them. During this Operation S.P.(East) and SDOP of JKP, reached with their protection parties and ensured outer cordon of the spot.

In this encounter S/Shri Rajender Kumar, Constable, (Late) R. Aji Kumar, Constable, Puran Singh, Inspector and Manjit Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th July, 2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 137–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anil Kishor Yadav,**
   Assistant Commandant
2. **Shiv Vir Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding movement of ULFA militants, a CRPF/Assam Police party under command Shri Anil Kishor Yadav, Asstt. Comdt., and Addl S.P. Assam Police conducted Search/Raid Operation at Mishahatkhola(Borangabari) on 16/3/2005. While the party was moving close to the house of Digant Barua alias Keshav Jyoti Saikia (Self Styled Sergeant Major and bodyguard of ULFA Chief Paresh Barua) for cordon, the militant, on hearing shouting of a girl got alerted and tried to make good his escape from rear of the house. This was seen by Shri A.K. Yadav, A/C who challenged him and asked to surrender but he did not do so and kept on running in village area and also on firing from his Pistol. While entering towards paddy field, he threw a grenade from very close range which exploded very close to Shri A.K.Yadav, A/C and Ct Shiv Vir Singh. They immediately took tactical position on the ground and saved themselves from splinters of the Grenade. Despite grave risk to their lives, Shri A.K.Yadav, A/C and Ct Shiv Vir Singh fired upon him to stop the fleeing militant, but he kept on running. In the mean time, Shri A.K.Yadav, A/C directed the party to chase the militant from flanks to avoid his entry into densely populated area and prevent any loss to Civilians. After running nearly for about 400 meters, the militant jumped into a 'nullah'. The Party Commander after taking stock of the situation, signalled his men to reach near the nullah from sides, keeping safe distance. Noticing party on the bank of nullah, the militant threw another grenade, fired from his Pistol and crossed the nullah immediately from thick bamboo/bushy ground. Sensing the possibility of entry of militant into the next village, Shri A.K.Yadav, A/C directed two Const. to advance from left flank, and another two Const. from behind the militant and he himself with Ct Shiv Vir Singh advanced from the right flank. In his final efforts, the militant threw third grenade towards Shri A.K. Yadav , A/C and Ct. Shiv Vir Singh and tried to reload his Pistol. Taking advantage of time

in reloading the Pistol, Shri A.K.Yadav, A/C and Ct Shiv Vir Singh reached very close to him in open ground and challenged him to surrender but he again tried to fire on them. Showing exemplary courage, Shri A.K.Yadav, A/C and Ct Shiv Vir Singh fired upon the militant without caring for their own lives and killed him on the spot. One 9 mm M-20 Pistol with two magazines, Seven Rounds, one fired case, VHF-FM Transreceiver Set, ULFA Radio Signal code and incriminating documents were recovered from the possession of dead militant, which were handed over to Assam Police.

In this encounter S/Shri Anil Kishor Yadav, Assistant Commandant and Shiv Vir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th March, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 138–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M.S. Malik,**
   Superintendent of Police
2. **Hawa Singh,**
   Inspector,
3. **Mahabir Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26.05.2005, information was received from P.S. Jullana Distt. Jind that a robbery has been committed in the State Bank of Patiala, Quila Zafergarh Branch, P.S. Jullana, District Jind and the criminals have fled towards village Akalgarh, Shri Mohinder Singh Malik, IPS, S.P. Jind alongwith his gunman Surinder Kumar and driver Constable Vijender Singh proceeded towards village Akalgarh immediately. On the way, he found a Honda City car coming from Akalgarh village side and tried to stop it for checking. Since the car did not stop, S.P. Jind followed the same suspecting the involvement of the occupants of the car in the bank robbery. He also informed SHO P.S. Meham, District Rohtak that a suspect black Honda City car was coming towards their area and that he was chasing them. On receipt of the above information, Inspector Hawa Singh SHO P.S. Meham(Distt. Rohtak) alongwith Head Constable Harpal, Head Constable Sada Nand, Head Constable Balwan Singh, Constable Mahabir Singh and Constable Ramesh Kumar proceeded towards Jullana side. Inspector Hawa Singh SHO P.S. Meham alongwith his team advanced blocked the road with their vehicle near village Farmana with a view to intercept the suspects. Seeing the police party, the suspect vehicle (black Honda city car) stopped at a distance of about 25 yards from the police jeep and started firing at the police jeep. When the police party returned the fire, the suspect's car went backwards on the reverse gear. Meanwhile the car of S.P. Jind who was chasing the criminals came from Jullana side and hit the suspect's car from the rear. The suspect's car skidded to the side due to the impact of the collision. The two suspects got out of the car and started firing at S.P. Jind's car and at the police jeep, holding weapons in both the hands. The S.P's car was hit thrice and the jeep was hit thrice by assailant's bullets. Shri M.S. Malik, S.P. Jind got out of his car and

took position behind the suspect's car and returned the fire. On seeing the S.P. line and their own police jeep being fired upon by the suspects, Inspector Hawa Singh came out of the Gypsy alongwith Constable Mahabir Singh No.1167/RTK, took position and challenged the suspects to stop firing. However, since they did not stop firing, he and Constable Mahabir Singh opened fire at the suspects, instantly killing them. A sum of Rs. 1,60,000/- alongwith 2 Revolvers (0.32 bore), 2 Revolvers (0.22 bore), one Mouser Gun (0.12 bore) and large quantity of live cartridges were recovered from the suspects person and large quantity of live cartridges were recovered from the suspects who were killed in the above encounter were subsequently identified as Ashok Malik r/o S-240 Sanjay, Safiabad Road, Narela, Delhi and Anoop r/o Tejpur Delhi. Both the criminals were involved in a number of heinous criminal cases and were in the most wanted criminals list of Delhi as well as Haryana.

In this encounter S/Shri M.S. Malik, Superintendent of Police, Hawa Singh, Inspector, and Mahabir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th May, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 139–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Inder Singh, Constable**
2. **Jitender Singh, Constable,**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.06.2005, the information was received that Jagbir @ Kunti s/o Partap Singh Jat r/o Danoda Kalan, P.S. Sadar Narwana, Distt. Jind, a dreaded criminal wanted by Jind police in murder case, has come to Uklana Mandi. Jagbir @ Kunti was wanted in many criminal cases. On receiving this information SHO P.S. Uklana constituted a raiding party consisting ASI Krishan Lal No.1004/HSR, Constable Inder Singh and Constable Jitender Singh etc. ASI Krishan Lal alongwith SI Ishwar Singh, Constable Inder Singh and Constable Jitender proceeded to the shop of Dharambir Financer. Taking the lead, ASI Krishan Lal was the first to enter the room in which the criminal Jagbir @ Kunti was sitting. The criminal fired at ASI Krishan Lal and ASI was shot in the stomach. ASI Krishan Lal fired back. Constable Inder Singh jumped on the criminal deflecting his second fire to the ceiling and Constable Jitender shot him with the SLR. SI Ishwar Singh also fired. During the encounter Jagbir @ Kunti died on the spot. Case FIR No. 129 dated 24.06.2005 u/s 307/332/353 IPC & 25/54/59 Arms Act P.S. Uklana stands registered in this regard.

In this encounter S/Shri Inder Singh, Constable and Jitender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 140-Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajesh Sharma
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.03.2005, on a specific information regarding presence of terrorists, provided by CI Group Kupwara, a Joint Operation was conducted by CI Group Kupwara and troops of 18 RR in Jungle area of Dooraswani. During the Operation terrorists fired upon the search party. The search party under the command of Shri Rajesh Sharma, Deputy Superintendent of Police Sogam advanced towards terrorists and came under the heavy volume of fire from the terrorist side. The terrorists also lobbed several grenades in succession upon the party. The officer and his associates advanced by creeping and crawling towards the terrorist and with the highest degree of bravery and professionalism retaliated effectively the attack of the terrorists and in the ensuing encounter six terrorist were killed, who were identified as:-

i. Nazir Ahmad S/o Anwar Code Jaffer
ii. Tanveer Ahmad Naikoo S/o Gh. Mohd. R/O Devar
iii. Shabir Ahmad Tass @ Danish S/O Abdullah R/O Kalaroos
iv. Muzaffar Ahmad Lone S/O Gh. Mohd. @ Sajad R/O Khumriyal.
v. Mohmad Usman @ Usman; and
vi. Ajaz R/o Pak.

In this encounter Shri Rajesh Sharma, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 141–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Daljeet Singh Sidhu
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.04.2005, on specific information about the presence of terrorists in village Kaneer Chadoora Budgam, a Special Police party of District Budgam assisted by personnel of RR, under the command of Inspector Daljeet Singh Sidhu was deputed for an operation. The holed-up terrorist had taken shelter in an underground hideout in the house of Bashir Ahmad Mir. They were asked to surrender, but paying no heed to the surrender offer, they resorted to indiscriminate firing upon the search party. Troops also retaliated in self defence with the result a fierce encounter took place. During the gun battle one civilian namely Gulzar Ahmad Wagay S/o Ahmad Wagay R/O Kaneer lost his life. Inspector Daljeet Singh without caring for his precious life sneaked into the house where from the terrorists were firing upon the troops. The hideout was busted by the gallant action of the Inspector without causing any more harm to the security forces or civilian. Meanwhile the Inspector came out from the house and eliminated two terrorists one known with code name as Chacha Div. Commander of LeT outfit, the identity of other terrorist was not ascertained. The said slain terrorists were wanted in many militancy/criminal cases. However, the fire from the other side of the house continued and Inspector Daljeet Singh Sidhu with the assistance of three constables and one section of 35 RR engaged the remaining terrorists, during the intervening night of 14/15.04.2005 and on 15.04.2005 Inspector Daljeet Singh managed to eliminate both the foreign terrorists who were involved in number of killing in Chadoora and Beerwah area. The whole operation was concluded under the supervision of SP Budgam. The following recoveries were made:-

(i)	AK 47 Rifles	- 03 Nos
(ii)	AK Mag	- 05 Nos.
(iii)	Radio Set	- 01 No. damaged
(iv)	Binacullar	- 01 No. damaged

(v)	AK – 56 Rifle	- 01 No.
(vi)	AK Ammn.	- 85 Rounds
(vii)	Decta Phone	- 01 No. damaged
(viii)	UBGL	- 01 No. damaged

In this encounter Shri Daljeet Singh Sidhu, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 142–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohammad Rashid, Deputy Superintendent of police**
2. **Krishan Rattan, Sub-Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information a joint operation was launched by Police Component Tral and troops of 42 RR in general area of Tsuru Pantsal Tral during intervening night 16/17.08.2005, where some suspicious movement were observed in Dhoks. The Operation team cordoned off the area which was noticed by the hidden terrorists who opened heavy volume of fire on the operating forces. The firefight continued for a long time. The security forces, led by Dy.SP Mohammad Rashid Nad, assisted by SI Krishan Rattan, engaged the terrorist in firing and started moving towards the target Dhok from back side by crawling/using battle field tactics in the most professional manner. As soon as they reached near one of the Dhoks, they spotted a terrorist who was trying to escape. The team fired on the terrorist and killed him on spot. In the meantime another terrorist threw hand grenades and fired indiscriminately towards the team, which was retaliated effectively. The fire fight continued, which resulted in elimination of the other terrorist as well. The killed terrorists were identified as under:-

1. Ustad @ Master @ Abu Bakar R/Pok (Div. Commander JeM)
2. Mohd. Ali @ Doctor set code Bilal, area Comdr. JeM, S/O Khursheed Ahmed Chak No.644-GB Faisalabad Pakistan.

The killed terrorists were active in District Pulwama and Anantnag and were IED Experts. Both were involved in many attacks on security forces and killing of civilians in the area. The terrorist at S.No.1 above was involved in imparting IED training to the terrorists of other organizations also. Both the slain terrorists were also involved in extortion and creating terror among the people of south Kashmir. Their elimination proved a great relief to the general public.

From the site of encounter following arms and ammunition were recovered:-

1.	AK 47. 56 Rifles	- 02 Nos.
2.	AK Mag.	- 03 Nos.
3.	AK Rounds live	- 08 Nos.
4.	Grenades	- 02 Nos.
5.	Mobile with SIM	- 02 Nos.
6.	Incriminating documents.	

In this encounter S/Shri Mohammad Rashid, Deputy Superintendent of Police and Krishan Rattan, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th August, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 143–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Harmeet Singh
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During intervening night of 15/16.08.2005 on specific information, SOG Anantnag under the command of Shri Harmeet Singh Dy.S.P, launched a cordon operation at Mati Pora, Anantnag to nab the terrorist hiding in the village. During search operation one hardcore terrorist namely Waheed Majid Qurashi @ Waleed R/O POK (FM) fired upon the SOG Party. The party retaliated in a professional manner and without caring for their personal safety killed the said terrorist on spot. The gallant action of Deputy Superintendent of Police Harmeet Singh was lauded on spot by general public. The operation was conducted without any collateral damage to civilian. One AK Rifles, 03 AK Mag, 45 AK Rds, 3 Rc circuits, 01 UBGL, 02 UBGL shells and 1 pounch were recovered from the possession of the slain terrorist. Earlier also, the officer was instrumental in eliminating/arresting some most wanted top terrorists such as Gulzar Ahmad @ Sahhid Ul-Aslam Bn, Commander HM Hashim Company Commander of HM Abu Baker @ Arsalan Bn. Commander, Mohd. Ashraf Dar of Let out fit, Bashir Ahmad Chopan CC. LeT Manzoor Ahmad, Mohd Saleem, Irshad Ahmad of HM Mukhtar Ahmad Lone launching Commander HM, Fayaz Ahmad Mir Code Dawood CC LeT and Ab Haimd Dar R/O Chee, dreaded killer HM during the operation held on 18.05.2005, 09.03.2005, 10.06.2005, 01.07.2005 03.07.2005 and 27.07.2005 respectively. Large quantity of arms/ammunition has been recovered.

In this encounter Shri Harmeet Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th August, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 144–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gurjinder Pal Singh
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the intervening night of 6/7th October 2003, information was received by Shri G P Singh, as SP Rajnandgaon, that 40-50 armed Naxalites of various Dalams from Maharashtra, Chhattisgarh & MP were running a training Camp near the jungle and hills of village Mandlatola, PS Gatapar. According to the information, Naxalites were armed with automatic weapons, hand grenades and land mines. Shri G P Singh acted immediately and rushed to PS Gatapar .He collected a total force of 1Inspector, 2 SI's, 1PC, 1ASI, 10HC's and 47 Ct's from various Police Stations and DRP line in a short time and organized them into 4 parties viz , 3 Cut Off parties and the Attack party led by Shri G P Singh himself .All the parties were minutely briefed about the hostile and treacherous terrain and the threat perception from the enemy camp . Keeping the threat of mine blasts in mind the whole party went on foot for 15 kms to reach the destination point. Under the leadership of Shri G P Singh, the police party crossed the inaccessible and treacherous terrain at the mid of night and with adept tactical planning laid a total seize of the camp site, without the notice of either the nearby villagers or the extremists. After the extremist camp was totally surrounded by the cut off parties, Shri G P Singh along with his party crawled the hostile terrain for a considerable distance to reach near the camp to launch an effective attack. The Naxalite Sentries on detecting the police party opened heavy concentrated fire on the attack party. Bullets sizzled past very close to the ear of Shri G P Singh. Despite heavy and intense fire from the enemy camp and threat to his personal life, Shri G P Singh, without caring for his personal safety provided very strong leadership to the force and bravely crawled and advanced his party by opening fire in the direction of the Naxalite camp. Even the threat of mine blasts did not impede his advance to counter the enemy. However, Shri G P Singh without caring for his life, exhibited exemplary courage, to nab a dreaded armed Naxalite Sher Singh @ Somji along with 303 rifle and live rounds and suffered serious injuries. Despite sustaining serious injuries he was undeterred by the critical situation and the presence of

large number of extremists who showered volley of fire on him and his party. Shri G P Singh went beyond the call of his duty , to bear the brunt of Naxalite firing to make the mission successful . This finely tactically planned operation led by Shri G P Singh, under extremely adverse and hostile conditions, resulted in apprehension of 5 dreaded and armed Naxalites and seizure of huge quantity of arms & ammunition from the extremists. The arrested Naxalites namely 1. Sher Singh @ Somji & 2. Kailash @ Pandu @ Sukul belonging to Tanda Dalam operating in Balaghat Dist. of MP and Rajnandgaon Dist. of Chhattisgarh , 3. Vinay @ Dulesh & 4. Durg Singh @ Sunil belonging to Korchi Dalam of Garchirolli Distt. of Maharastra and 5. Triveni @ Lalita belonging to Kurkheda Dalam of Garchiroilli Dist. of Maharastra , have committed scores of Heinous offences like Murder , Dacoity , Arson and murderous attack on Policemen . The result of this Brave, Courageous and Gallant action on the part of shri G P Singh also led to the seizure of huge quantity of arms & ammunitions at the camp site which were left by the fleeing Naxalites. On interrogation, it further led to seizure of - arms & ammunition, Naxalite literature and arms repairing workshop from the nearby dumps maintained by the extremists. Under extremely adverse conditions and grave danger to his life , Shri G P Singh exhibited an extra ordinary courage , valour and leadership to face the situation boldly and gallantly which led to the arrest of dreaded extremists who carried huge rewards and led to seizure of large cache of arms & ammunitions at the camp site . With his exceptional presence of mind and extraordinary operational capability, he not only ensured the safety of his men but also the life & property of villagers, without caring for his own safety. With this unmatched gallant action, the entire region was freed from the sense of insecurity that gripped the community as a result of the presence of these arrested Naxalites.

In this encounter Shri Gurjinder Pal Singh, Suprintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th October, 2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 145-Pres/2007- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Daljit Singh Chawdhary, Deputy Inspector General of Police**	**(2nd Bar to PMG)**
2.	**Jitendra Kumar Srivastava, Deputy Superintendent of Police**	**(PMG)**
3.	**Ajay Pal Gautam, Sub-Inspector**	**(PMG)**
4.	**Lal Singh, Constable**	**(PMG)**
5.	**Shanti Sharan, Constable**	**(PMG)**
6.	**Santosh Kumar, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10-01-2006, Daljit Singh Chawdhary, DIG/SSP Etawah along with Dy.SP. Jitendra Kumar Srivastava, SI Ajay Pal Gautam and other members of the force were in combing operations in the ravines of Sakatpura in search of the Ajit-Manoj gang who had recently committed sensational mass kidnappings. At about 1045 hrs., while passing through the deep and dense ravines of village Sakatpura near the banks of river Yamuna suddenly the Gang consisting of 15-20 members seeing the small posse of police party and taking the advantage of the strategic upper part of the hillock threw one powerful grenade on the police party with the intention to give fatal blow to the police party who was chasing the gang for various days. This sudden attack stunned and shocked the police party. Without wasting any time, Shri Daljit Singh Chawdhary showing true courage and valour and without worrying about his life along with Jitendra Kumar Srivastava, Ajay Pal Gautam, Lal Singh, Santosh Kumar and Shanti Sharan formed into an assault party to fight the gang and the rest of the police party rushed to the south and north flanks of the hillock to cover/stop the gang. When the assault party was climbing the narrow steep slope of the hillock to reach near the gang, second grenade was lobbed on them to deter the police party from climbing the hillock. Pellets of the grenade hit Daljit Singh, Jitendra Srivastava and Ajay Pal Gautam and they all fell down from the steep slope but the very next moment without losing courage and with heroic daring, in a do or

die situation, the attack party under the command of Daljit Singh fought back to face the attack of the gangsters who were firing from the top of the hillock. The gangsters had kidnappees with them. The gang leader shouted that if the police party tried to come near the gang they will shoot down the hostages. The gang took shield behind the kidnappees and indiscriminately fired on the assault party. The assault party had no other option but to restrain themselves from firing and reach near the firing desperadoes and save the hostages from getting killed in the cross fire. The entire ravines were echoing with the sound of bullets. The attack party under the leadership of Daljit Singh Chawdhary without caring for the bullets buzzing past them entered into the firing range and in a close quarter battle fired on the gangsters and killed one desperado on the spot. On seeing this, the criminals started running from the spot firing on the attack party and shielded themselves behind the hostages. Police party chased them but they fled away throwing their weapons and also left the hostages and vanished in the dense and bushy terrain. Shri Daljit Singh Chawdhary despite suffering injuries did not give up and inspired the police party on the spur of the moment by exemplary courage and showed exceptional fortitude, outstanding leadership, bravery and conspicuous gallantry in the face of danger. The following recoveries were made:-

1. One Semi Automatic Rifle.303 bore, 80 live rounds & 20 empties.
2. Two DBBL Gun 12 bore.
3. One SBBL Gun 12 bore, 85 live rounds & 25 empties. All above weapons are factory made.
4. One .315 bore rifle (Country made) with 90 live rounds & 10 empties.
5. One SBBL Gun (Country made)

In this encounter S/Shri Daljit Singh Chawdhary, Deputy Inspector General of Police, Jitendra Kumar Srivastava, Deputy Suprintendent of Police, Ajay Pal Gautam, Sub-Inspector, Lal Singh, Constable, Shanti Sharan, Constable and Santosh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 146–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amitabh Yash,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22.7.2005 Sri Amitabh Yash, SP Jalaun received reliable information that the heavily armed and dreaded inter-state gang of Nirbhay Gurjar was to cross the Yamuna near Jalauni Mata temple. Mr. Yash immediately collected his crack team and laid ambush on the ravenous banks of the river. At about 3.30 am, ten well armed members of the gang ferried across the river in a boat along with some goods. The police force tightened the cordon. The gang was twice exhorted to surrender, to which it responded with heavy indiscriminate automatic fire. Mr. Yash ordered firing in self-defense and closed on the gang. In the process, Mr. Yash was hit by a bullet which penetrated the upper layers of his Bullet Proof Jacket. The precaution he had taken saved his life. In such do or die situation, it is to the credit of his indomitable courage, undulating spirit, dedication to duty and dynamic leadership that undeterred by the heavy firing. Mr. Yash led his police team to keep the heat on the dacoits with controlled but aggressive firing. The police was also facing automatic fire from across the river. Under such grave danger to his life, Mr. Yash battled the cornered dacoits for about forty five minutes. On seeing the aggressive approach of the police, the dacoits, some of whom may have been injured, jumped into the fast flowing river in spate and were washed away. Some dacoits took their weapons along, but most dumped them on the banks. Mr. Yash also fired upon the dacoits firing from across the river, who them decamped. On search of the area, the dead body of Budh Singh alias Lathiwala, the ruthless sharpshooter and second in command of the Nirbhay Gurjar gang was found with bullet wounds. On his head was a reward of Rs.20,000/- from DGP, UP and Rs.5,000/- from SP Bhind. Also recovered an AK 56 rifle, One Thomson machine carbine, One Sten-gun, One Springfield semi-automatic rifle, one .405 rifle, two .315 bore rifles (all factory made) and 648 rounds of live ammunition alongwith empty shells, letter pads and items of daily use.

In this encounter Shri Amitabh Yash, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd July, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 29th June 2007

No. U-13019/1/2007-CHD—In supersession of this Ministry's Notification No. U. 13019/1/99-CHD dated 7th January 2005, the following persons will be the Members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh from the date of issue of this Notification until further orders, in terms of para 1(c) and 1(e) of the principal Notification number U. 13019/1/97 dated 22.09.2000 :

Under para 1 (c) :—

(i) Shri Bhajan Singh, Chairman, Zila Parishad
(ii) Shri Dharminder Singh, Member, Zila Parishad

Under para 1 (e) :—

(i) Smt. Amrit Bolaria
(ii) Shri Jatinder Bhatia
(iii) Smt. Anu Chatrath
(iv) Smt. Kamlesh

B. A. COUTINHO
Joint Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 13th June 2007

RESOLUTION

No 4(2)/97-M.I.(.)—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 20th August, 2002, 2nd June, 2003 and 2nd Feb., 2006 constituting 7 Sub-committees of Central Geological Programming Board (CGPB), it has been decided to include the following offices/ organization/Departments in Sub-committee Group IV of CGPB on environmental Geology and Natural Hazards :—

i. The Additional Director General, EREC, New Delhi.
ii. The Director General, Boarder Roads Organization, New Delhi.
iii. The Chairman, Centre for Disaster Mitigation & Management, Vellore.
iv. The Vice Chairman, National Disaster Management Authority, New Delhi.
v. The Director, The Centre for Environmental Planning and Technology, Ahmedabad.
vi. The Member Secretary, Up Pollution Contral Board, Lucknow.
vii. The Director, DGM (UP), Lucknow.
viii. The Director, Central Road Research Institute, New Delhi.

Further it has also been decided to delete the following names of the 08 organizations who are permanent absentees from the above Sub-committee Group IV of CGPB :

(1) The DGM, Madhya Pradesh.
(2) NTPC, New Delhi.
(3) NEC, Shillong.
(4) NALCO, Bhubaneswar.
(5) SAIL, New Delhi.
(6) TISCO, Jamshedpur.
(7) JNU, New Delhi.
(8) Indian Institute of Wild Life, Dehradun.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution (in English & Hindi) be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution (in English & Hindi) be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK SRIVASTAVA
Adviser (Tech.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 13th June 2007

No. F. 9-2/2003-U. 3—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, a proposal was received by the Central Government to declare a group of institutions of Santosh Trust, Ghaziabad as deemed to be a university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their Communication No. F. 6-77/2004(CPP-I) dated the 18th May, 2007 have recommended that the said institutions be declared as deemed to be a university in the name of Santosh University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, under Section 3 of the UGC Act, 1956;

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the following institutions as deemed to be a university in the name and style of Santosh University for the purposes of the aforesaid Act, subject to a review after one year by an Expert Committee of the UGC to assess its performance as also to verify its compliance with respect to rectification of the deficiencies pointed out in the reports of UGC's Expert Committees that visited and physically inspected them :

(i) Santosh Medical College, Ghaziabad, and

(ii) Santosh Dental College, Ghaziabad.

5. This declaration of Santosh University as deemed to be a university shall come into effect after the conditions stipulated as below have been complied with by it under intimation to this Ministry and the UGC :

(i) In the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education all the moveable and immovable assets of both the Santosh Medical College, Ghaziabad and Santosh Dental College, Ghaziabad are to be legally transferred and vested with the Trust/ Society formed to manage the Santosh University and registered as such; and

(ii) The Santosh Medical College, Ghaziabad and Santosh Dental College are to be disaffiliated from their affiliating University, viz., Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh.

6. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 7 of the endorsement to this Notification.

7. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Santosh University or its constituent teaching units.

RAVI MATHUR
Joint Secy.

New Delhi-1, the 27th June 2007

No. F. 20-47/2005-U.3.—Whereas Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu, initially Comprising five teaching units under its ambit, was declared as Deemed to be a University', under *de novo* category, under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notifications bearing No. F. 9-25/2000-U.3, dated the 13th January, 2003 and 5th February, 2003, subject to a review after five years.

2. Now, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter of inclusion of one more institution, do hereby allow that "Amrita School of Biotechnology", Amritapuri, Kerala, which is presently functioning as 'Centre for Biotechnology' of one of the constituent teaching units of Amrita Vishwa Vidyapeetham in Amritapuri, be included in the ambit of "Amrita Vishwa Vidyapeetham", Deemed-to-be-University', Coimbatore, as its separate constituent unit, for the purposes of the aforesaid Act, with immediate effect.

3. The declaration made in para 2 above is subject to a condition that Amrita School of Biotechnology, Amritapuri shall also be reviewed at the time of review of the Amrita Vishwa Vidyapeetham and its other constituent units as per the requirement under *de novo* category.

4. The declaration is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement of this notification.

5. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Deemed-to-be-University' or to any of its constituent institutions.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 2nd July 2007

Subject :—Re-constitution of Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan.

No. F-4/2000-EE.3.—In pursuance of this Ministry's notification of even number, dated 03.12.2004, notifying the composition of Governing Council and Executive Committee of the National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). The Government of India hereby makes the following nominations on the Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) mission for the next two years.

2. The Governing Council will comprise of the following :—

GOVERNING COUNCIL

(i) Prime Minister of India—Chairman

(ii) Minister of Human Resource Development—Vice-Chairman

(iii) Minister of State, Human Resource Development

(iv) Finance Minister, Govt. of India

(v) Deputy Chairman, Planning Commission

(vi) Minister of State for Women & Child Development

(vii) Minister of State for Social Justice & Empowerment

(viii) Six Senior level political leaders of the main National Parties (as nominated by the Political Parties) shall be as follows :—

(a) Dr. G. Parmeshwar, M.P., Indian National Congress, 24, Akbar Road, New Delhi-110011.

(b) Shri D. P. Tripathi, General Secretary, Nationalist Congress Party (NCP), B-9-6249, Vasant Kunj, New Delhi.

(c) Bahujan Samaj Party—Nominee Awaited.

(d) Shri Shameem Faizee, Member, Central Secretariat, Communist Party of India (CPI), Ajooy Bhavan, 15, Com. Indrajit Gupta Marg (Kotla Marg), New Delhi-110002.

(e) Communist Party of India (Marxist)—Nominee Awaited.

(f) Shri Balwant P. Apte, Vice President, Bhartiya Janta Party (BJP), Ashoka Road, New Delhi-110001.

(ix) Three Members of Parliament (Two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha) (nomination by the Ministry of Parliamentary Affairs awaited)

(x) Six Education Minister of States responsible for Elementary Education nominated by Government of India shall be as follows :—

(a) Education Minister of Mizoram

(b) Education Minister of Uttar Pradesh

(c) Education Minister of Madhya Pradesh

(d) Education Minister of Rajasthan

(e) Education Minister of Jammu & Kashmir

(f) Education Minister of Andhra Pradesh

(xi) Six representatives of Teachers and Teacher unions nominated by Government of India shall be as follows:—

(a) Shri Ram Phal Singh, President, All India Primary Teachers' Federation (AIPTF), 41, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058.

(b) Shri Kasinath Jha, President, Prathmik Shiksha Mahasangh, Exhibition Road, Patna-I, Bihar.

(c) Shri Mrinmoy Bhattacharya, General Secretary, World Federation of Teachers' Union.

(d) Mrs. B. Nair, Kendriya Vidyalaya, Sector-II, R. K. Puram, New Delhi.

(e) Shri Girish Kumar Nigam, Assistant Teacher, Government Girls Middle School, Ward No. 3, Singhpur Road, Shahdol, Madhya Pradesh.

(f) Smt. Diki Donka Lepcha, Primary School Teacher, Modern Govt. School,Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737 101.

(xii) Five persons from among educationists, Scientists etc. nominated by Government of India shall be as follows :—

(a) Swami Swarupananda, Ramkrishna Mission Ashram, Suresh Nagar, Thatipur Gwalior.

(b) Shri Paul Dinakaran, Karunya Deemed University, Siruvani main Road, Karunya Nagarpost, Coimbatore, Tamil Nadu.

(c) Dr. Shanta Sinha, Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights, New Delhi.

(d) Sister Cyril, Principal, Loreto Convent, Kolkata.

(e) Shri M. Haleem Khan, Ex-Chairman, Madarsa Board, Madhya Pradesh.

(xiii) Six persons from non-Governmental organizations working in the field of Education nominated by Government of India shall be as follows :—

(a) Shri S. S. Chakraborty, Director, R. K. Mission, Kolkata.

(b) Shri Sanjay Bhadoriya, Secretary, Savyasanchi Centre for Urban & Rural Development, Arjun Nagar, Sidhi, Madhya Pradesh.

(c) Dr. Madhav Chavan, Pratham, 101, Royal Crest. Lokmanya Basant Road-3, Dadar, Mumbai-400014.

(d) Shri Lalit Surjan, Chairman, Jan Darshan Media, Raipur, Chhattisgarh.

(e) Dr. K. Vishwanathan, Director, Mitra Niketan, Vellanad, Kerala-695 543.

(f) Shri S. N. Methi, 223, Gayatri Nagar-B, Maharani Farm, Durgapura, Jaipur, Rajasthan.

(xiv) Three persons from woman's organizations nominated by Government of India shall be as follows :—

(a) Ms. Sharda Jain, Sandhan, Jaipur.

(b) Prof. Fatima Ali Khan, Director, Centre for Women's Studies, Osmania University, Hyderabad-500 007.

(c) Dr. Kalyani Menon Sen, Director, Jagori, C-54, South Extension Part-II, New Delhi-110049

(xv) Three persons working among Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the field of Elementary Education nominated by Government of India shall be as follows :—

(a) Shri Ram Dayal Munda, Former Vice-Chancellor, Ranchi Universtiy, Ranchi, Jharkhand.

(b) Prof. Mrinal Miri, Vice-Chancellor, North Eastern Hill University (NEHU), Shillong.

(c) Shri I. S. Rao, Dr. Baba Sahib Ambedkar Institute of Social Sicences, Mhow, Madhya Pradesh.

3. The following shall be the ex-officio members :

(a) Secretary, Department of School Education & Literacy

(b) Director General, National Literacy Mission (NLM)

(c) Vice Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)

(d) Director, National Council of Educational Research & Training (NCERT)

(e) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)

(f) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)

(g) Joint Secretary, Elementary Education and Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

4. The Chairman of Sarva Shiksha Abhiyan National Mission may additionally, invite to the meeting of the Councils, as special invitee, such person as may be deemed necessary. The Members of the Governing Council of National Mission of sarva Shiksha Abhiyan shall hold office for a term of two years and will be eligible for re-nomination.

EXECUTIVE COMMITTEE

5. The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will have an Executive Committee consisting of the following :—

(i) Minister, Human Resource Development—Chairman

(ii) Minister of State (incharge of elementary education), Human Resource Development Senior Vice-Chairman

(iii) Secretary, Deptt. of School Education & Literacy-Vice-Chairman

(iv) Director, National Council of Educational Research & Training (NCERT)

(v) Vice-Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)

(vi) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)

(vii) Director General, National Literacy Mission (NLM)

(viii) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)

(ix) Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development

(x) Principal Adviser (Education), Planning Commission

(xi) Seven non-officials comprising of teachers, NGOs representatives, educationists nominated by the Government of India shall be as follows :—

(a) Shri John Kurrien, Centre for Learning Resources, 8 Deccan College Road, Yerawada, Pune-411006.

(b) Ms. Hina Sen, Rupantar, A-26, Surya Apartments, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh.

(c) Shri Lalit Surjan, Chairman, jan Darshan Media, Raipur, Chattisgarh.

(d) Dr. Mithur Alur, Chairperson, National Resource Centre for Inclusion, Mumbai.

(e) Ms. Sehba Hussain, Director, BETI Foundation, B-66, Sector C, Mahanagar, Lucknow, Uttar Pradesh.

(g) Dr. Anand Lakshmi, Chennai.

(h) Mr. javed Abidi, National Centre for Promotion of Employment for Disabled, A-77, South Extension (Pt. II), New Delhi-110049.

(xii) Education Secretaries of Four States as nominated by Government of India :—

(a) Education Secretary of Tamil Nadu
(b) Education Secretary of Assam
(c) Education Secretary of Maharashtra
(d) Education Secretary of Bihar.

(xiii) Joint Secretary, Elementary Education & Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

D. K. GAUTAM
Deputy Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 8th June 2007

No. K-14012/101/2006-NURM—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 27-02-06, 21-07-06 and 03-01-07, para 5 of the notification of even number dated 27-2-2006 is amended to the extent that it may be read as under:—

"Non-official members of the Group will be entitled to (i) reimbursement of air travel (economy), (ii) hotel expenses @ Rs. 2500/- per day and (iii) taxi charges on actual basis".

Other terms and conditions of TAG as envisaged in the Ministry's earlier notification dated 27-2-2006 will remain the same.

This issues with the approval of Minister for Urban Development.

S. KANAKAMBARAN
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007